

CONTENTS

**Fifteenth Series, Vol.V Third Session, 2009/1931 (Saka)
No.5, Wednesday, November 25, 2009/Agrahayana 4, 1931(Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
OBITUARY REFERENCES	2-5
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.82 to 85	6-34
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.81, 86 to 100	35-86
Unstarred Question Nos.902 to 1131	87-500

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	501-511
ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER	
Cancellation of Sitting of the House	512
FINANCIAL COMMITTEES (2008-09) – A REVIEW	512
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS’ BILLS AND RESOLUTIONS	
1st Report	512
COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES	
1st Report	512
STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION	
1st Report	513
STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT	
218th Report	513
STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE	
35th to 37th Reports	514
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	
7th Report	514
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE	
Situatoin arising out of shortage of fertilizers and seeds in the Country and steps taken by the Government in this regard	515-539
Shri Basu Deb Acharia	515, 520-524
Shri Srikant Jena	515, 517-520 531-539
Shri Jagdambika Pal	522-523
Shri B. Mahtab	525-526

Shri Shailendra Kumar	526-528
Shri Lalji Tandon	528-530
MATTERS UNDER RULE 377	540-550
(i) Need to erect a wall along the sea coast in Kancheepuram Parliamentary Constituency to provide protection to the Coastal villages and Nuclear Power Station against high tidal waves	
Shri P. Viswanathan	540-541
(ii) Need to take stringent action against the persons and companies indulging in adulteration of milk and milk products in the country.	
Shri Jayant Gangaram Awale	542
(iii) Need to set up a Cashew Board in district Kollam, Kerala.	
Shri Kodikkunnil Suresh	542
(iv) Need to release the share of Central Funds for payment to farmers whose crops have been damaged due to drought in Andhra Pradesh.	
Shri Anantha Venkatarami Reddy	543
(v) Need to release special grants for "Sandhya Courts" in Gujarat	
Shrimati Jayshreeben Patel	544
(vi) Need to open Indian Institute of Information Technology and Indian Institute of Management in Himachal Pradesh.	
Shri Anurag Singh Thakur	544

- (vii) Need to set up a NTPC power plant in District Chitrakoot, Uttar Pradesh.
- Shri R.K. Singh Patel 545
- (viii) Need to provide air-conditioned chair car coach in Sahrasa-Danapur (train No. 3225A) and Danapur-Sahrasa Intercity Express (train No. 3226A) in East Central Railway Zone
- Shri Dinesh Chandra Yadav 545
- (ix) Need to include the Attingal revolt of 1721 in the history syllabus for school children
- Shri A. Sampath 546
- (x) Need to sanction rice under 'Antyoday Anna Yojana' for additional BPL families in Kandhamal district of Orissa
- Shri Rudramadhab Ray 546
- (xi) Need to organize education tours to Andaman and Nicobar Islands
- Shri Prasanta Kumar Majumdar 548
- (xii) Need to set up Cotton Purchase Centres of Cotton corporation of India in Nalgonda and Rangareddy districts of Andhra Pradesh
- Shri Gutha Sukhender Reddy 549
- (xiii) Need to provide special allowance to the employees working in the coalfields located in the naxalite-affected areas
- Shri Vilas Muttemwar 550

WORKMEN'S COMPENSATION (AMENDMENT) BILL, 2009	551-624
Shri Arjun Ram Meghwal	551-554
Shri Sanjay Nirupam	555-558
Shri Shailendra Kumar	559-560
Shri Kalyan Banerjee	561-564
Shri Basu Deb Acharia	565-568
Dr. Prasanna Kumar Patasani	569-570
Shri Chandrakant Khaire	571-573
Shri Gorakh Nath Pandey	574-575
Shri Bishnu Pada Ray	576-580
Shri Paban Singh Ghatowar	581-584
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	585-588
Shri P. Lingam	589-591
Shri Ganesh Singh	592-594
Dr. Prabha Kishor Taviad	595
Chaudhary Lal Singh	596-598
Shri Prasanta Kumar Majumdar	599-600
Shri J.M. Aaron Rashid	601
Shri Mohammed E.T. Basheer	602-604
Shri Jagdambika Pal	605-608
Shri Arjun Charan Sethi	609-611
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	612-613
Shri Ramkishun	614-615
Shri Kamal Kishor 'Commando'	616-617
Shri Mallikarjun Kharge	618-624

Motion to Consider	551-623
Clause 2 to 10 and 1	624
Motion to Pass	624

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	639
Member-wise Index to Unstarred Questions	640-643

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	644
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	645

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Franciso Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, November 25, 2009/ Agrahayana 4,1931 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

OBITUARY REFERENCES

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have to inform the House of the sad demise of four of our former colleagues, Shri V. Kandasamy, Shri P. Mohan, Shri Ajit Bag and Shri B. Shankaranand.

Shri V. Kandasamy was a Member of the Eleventh Lok Sabha from 1996 to 1997 representing the Pollachi Parliamentary Constituency of Tamil Nadu. Shri Kandasamy was a Member of the Committee on Food, Civil Supplies and Public Distribution during the Eleventh Lok Sabha. A committed social and political worker Shri Kandasamy worked for the welfare of the poor, downtrodden and the deprived sections of the society. A Trade Unionist, he was associated in mobilisation of Trade Unions and worked for the welfare of the working class and the youth.

Shri V. Kandasamy passed away on 10 September, 2009 at the age of 74.

Shri P. Mohan was a Member of the Thirteenth and Fourteenth Lok Sabhas from 1999 to 2009, representing the Madurai Parliamentary Constituency of Tamil Nadu. Shri Mohan was a Member of the Committee on Petroleum and Chemicals during the Thirteenth Lok Sabha. He was a Member of the Committee on Urban Development and Committee on Petroleum and Natural Gas during the Fourteenth Lok Sabha.

A well known social worker, Shri Mohan fought for the rights and welfare of the poor, downtrodden and the deprived sections of the society. Shri Mohan played a proactive role in the campaigns for the protection of interests and for the betterment of the health facilities for the sick and the needy. He was instrumental in improving and setting up modern medical facilities at the Madurai district hospital.

Shri P. Mohan passed away on 30 October, 2009 at Chennai at the age of 60.

Shri Ajit Bag was a Member of the Seventh Lok Sabha from 1981 to 1984 representing the Serampore Parliamentary Constituency of West Bengal. Shri Bag was a Member of the Committee on Papers Laid on the Table.

A committed social and political worker, Shri Bag served as the Vice-Chairman of the Kotrung Municipality during 1961 to 1962 and later served as Councillor of the Uttarpara-Kotrung Municipality in 1981.

An educationist, Shri Bag was associated with teachers' movement for over three decades. He was a Member of the Senate, University of Kolkata. He was the Founder President of the School Teachers' Federation of India (STFI) Shri Bag also served as the President of the All Bengal Teachers' Association.

Shri Ajit Bag passed away on 7 November, 2009 at Hooghly, West Bengal at the age of 79.

Shri B. Shankaranand was a Member of the Fourth to Tenth Lok Sabhas from 1967 to 1996 representing the Chikkodi Parliamentary Constituency of Karnataka.

An able parliamentarian, Shri Shankaranand was a Member of the Consultative Committee of Foreign Trade and the Consultative Committee of Mines and Metals during the Fourth Lok Sabha. He was a Member of the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes; Committee on Subordinate Legislation; Business Advisory Committee and Committee of Privileges during the Fifth Lok Sabha. Shri Shankaranand served as the Chairman, Joint Parliamentary Committee on Bofors during the Eighth Lok Sabha. He was a Member of the Consultative Committee of the Ministry of Planning and Programme Implementation; Consultative Committee constituted under the Punjab State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1987 and Committee of Privileges during the Ninth Lok Sabha.

An experienced administrator, Shri Shankaranand was the Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs from May, 1971 to March, 1977; Minister of Education from January, 1980 to October, 1980; Minister of Health and Family Welfare from January, 1980 to December, 1984 and later from



January, 1993 to December, 1994; Minister of Irrigation and Power from December, 1984 to September, 1985; Minister of Water Resources from September, 1985 to August, 1987 and again from June 1988 to July, 1989; Minister of Law and Justice from July to December, 1989 and the Minister of Petroleum and Natural Gas from June, 1991 to January, 1993.

An advocate by profession, Shri Shankaranand was associated with a plethora of social development activities. He was instrumental in the establishment of a number of educational institutions, cooperative banks and cooperative societies for the weaker sections of the society. He served as the Vice-Chairman of the Municipal School Board, Belgaum. Shri Shankaranand was the Founder member of the Jagriti Co-operative Bank, Belgaum; Dr. Ambedkar Medical College, Bangalore and the Dr. Baba Saheb Ambedkar Memorial Foundation, New Delhi. He also served as the President, Karnataka Depressed Class Welfare Society, Belgaum.

A widely traveled person, Shri Shankaranand was the leader of the Indian Parliamentary Delegation to Canada in June 1987.

Shri B. Shankaranand passed away on 20 November, 2009 at Belgaum, Karnataka at the age of 84.

We deeply mourn the loss of these friends and I am sure the House would join me in conveying our condolences to the bereaved families.

Hon. Members, as you are aware, the recent unprecedented rains, landslides and floods in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu created havoc and paralysed the normal life in these States. Hundreds of people died and many were rendered homeless besides large scale destruction of property and cattle. Several fishermen also lost their lives in a cyclone in Maharashtra.

In an accident at the Bharat Aluminium Co. Ltd. (Balco) Plant at Korba in Chhattisgarh about 50 workmen died when an under construction 275 metre chimney tower collapsed on 23 September, 2009.

In another huge fire accident on 29 October, 2009 at Indian Oil Corporation terminal at Sanganer, Jaipur, 11 people were killed and over 100 were injured. The

fire destroyed 11 tanks at the depot resulting in huge loss of money amounting to over Rs. 250 crores.

I am sure the House would join me in expressing profound sorrow on the death of innocent persons in these natural calamities and tragic accidents.

The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed.

11.09 hrs.

The Members then stood in silence for a short while.

MADAM SPEAKER: Q. 81. - Shri Sudarshan Bhagat – not present.

Shri Bhisma Shankar Alias Kushal Tiwari – not present

Q. 82 - Shri Harish Chaudhary -- not present.
Shri Amarnath Pradhan

(Q. No. 82)

SHRI AMARNATH PRADHAN : Has Mahanadi Coal Field Limited formulated any scheme for Underground Coal Gasification (UCG) and production of syn-gas to revive the fertilizer plant at Talcher?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य को मालूम है कि हमारे देश में ऊर्जा आवश्यकताओं की 55 परसेंट आपूर्ति कोयले द्वारा होती है। कोयले के उत्पादन में जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वह एन्वार्थनमेंटल क्लियरेंस को लेकर हो, लैंड एक्वीजिशन को लेकर हो या किसी और दिक्कत को लेकर हो इसलिए आज के युग में यह जरूरी हो गया है कि दुनिया में जो नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही हैं, उनका उपयोग करें। इन टेक्नोलॉजीज़ में अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से हम देश में कोल को एक्सट्रेक्ट करने में बहुत सी समस्याओं से अपने को बचा सकते हैं और कोयले का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हम अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेंगे। अभी तक किसी भी कंपनी ने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दिया है, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या महानदी कोल फील्ड ने कोई प्रोजेक्ट दिया है? लेकिन हमारी सरकार ने यह डिजाइड जरूर किया है कि हम अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन में तेजी से आगे बढ़ेंगे जिससे हमें जिन समस्याओं का समाधान कोल माइनिंग के क्षेत्र में करना पड़ रहा है, उनका सामना न करना पड़े।

SHRI AMARNATH PRADHAN : What technology would be used in the plant to make it cost-effective or economically viable?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: महोदया, दुनिया के कुछ देशों में इस तकनीक का उपयोग शुरू किया गया है। रशिया ने वर्ष 1945 में इस तकनीक का उपयोग शुरू कर दिया गया था। आस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में भी इस तकनीक का उपयोग शुरू किया गया है। इसी तकनीक के आधार पर हमारा मंत्रालय आगे बढ़ रहा है। अभी हमें दुनिया के बहुत से देशों से इस तकनीक को प्राप्त करना है क्योंकि हम अभी तक बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पर हैं। यह तय कर लिया गया है कि हमारी सरकार अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेगी ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कोयले का उत्पादन कर सकें, ज्यादा से ज्यादा कोल माइनिंग कर सकें क्योंकि इस तकनीक के माध्यम से हमारे देश में कोल माइनिंग की जो दिक्कतें हैं उनका मुकाबला पूरी तरह से कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि जैसे-जैसे हमारा देश ग्रो कर रहा है, जैसे-जैसे हमारे देश में इंडस्ट्रलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे-वैसे कोयले की आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है। हमारे पास ओपन कॉस्ट और अंडरग्राउंड की तकनीक है इससे हम केवल 40 परसेंट कोयला ही एक्सट्रेक्ट कर

पाते हैं। इस तकनीक के माध्यम से 300 मीटर से नीचे की कोल माइनिंग नहीं हो पाती है जिसके कारण 300 मीटर के नीचे की सील्स का कोयला छोड़ना पड़ता है। हम अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन की तकनीक के माध्यम से 300 मीटर से ज्यादा नीचे जाकर गैसीफिकेशन कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कोयले की तरह उसका उपयोग कर सकते हैं।

श्री बंस गोपाल चौधरी : अध्यक्ष महोदया, कोल इंडिया को 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। मैं अपना प्रश्न पूछने से पहले बताना चाहता हूँ कि कोल इंडिया और कोल मिनिस्ट्री ने कोयले का ज्यादा भाव बढ़ा दिया है। 15 फीसदी भाव बढ़ा दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि अंडर ग्राउंड कोल गैसीफिकेशन भी हो। अभी जो नए तरीके से कोल इंडिया कोल गैसीफिकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कोल इंडिया खुद कोल गैसीफिकेशन का काम कितनी जगह पर करेगी और कितनी जगह उसने आइडेंटिफाई की हैं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदया, जहां तक कीमतों को बढ़ाने का प्रश्न है, मैं बताना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हमारे देश में कोयले की कीमतें बहुत कम हैं और जितनी कीमत बढ़ाई गई है, उतनी कीमत बढ़ाना बहुत जरूरी था।

जहां तक आपने पूछा कि कोल गैसीफिकेशन का काम कौन-कौन सी जगह पर आप करना चाहते हैं, इस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक केवल पांच लिग्नाइट ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और दो कोल ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनमें कि कोल गैसीफिकेशन के मैथॉड के द्वारा हम गैसीफिकेशन कर सकते हैं।

कोल इंडिया से भी कहा गया है कि और ज्यादा ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करने का काम करे। हमारे यहां एक संस्था सी.एम.पी.डी.आई.एल. है, जो कि आइडेंटिफाई करने का काम करती है। उसे भी कहा गया है कि और तेजी के साथ आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू करे, जिससे कि हम कोल गैसीफिकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।

श्री तूफानी सरोज: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल और झारखंड स्थित कुछ कोयला भंडारों में लम्बे अरसे से आग लगी हुई है, यदि ऐसा है, तो कोयला भंडारों में लगी इस भूमिगत आग से सम्भावित गैस उत्पादन को कितनी क्षति होने का अनुमान है?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष महोदया, अगर कोयला खदान में आग लगी हुई है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे भंडार को क्षति पहुंचती है, फिर चाहे वह कोल को एक्सट्रैक्ट करने की बात हो, चाहे गैसीफिकेशन करने का मैथॉड हो और चाहे कोल को लिक्विड में परिवर्तित करने का मैथॉड हो, लेकिन

जिन क्षेत्रों में आग लगी हुई है, उन क्षेत्रों में आग से लोग प्रभावित न हों, इसके लिए हमारे मंत्रालय ने एक पैकेज बनाया है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों और स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से हम इसे लागू करेंगे।

श्री तूफानी सरोज : अध्यक्ष महोदया, मैंने पूछा था कि क्षति कितनी हुई है?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदया, इस क्षति का आकलन अभी सही तौर पर नहीं किया जा सकता है कि जमीन के अंदर लगी आग से कोयले के भंडारों को कितनी क्षति पहुंची है, लेकिन लम्बे समय से आग लगी हुई है। जिस पैकेज को हमारे मंत्रालय ने निर्धारित किया है और जिसे कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। इसलिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि वहां के जो भी लोकल एम.पी. या जनप्रतिनिधि हैं, वे उस पैकेज को जल्दी से जल्दी लागू कराएं ताकि हम वहां के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज सकें। सुरक्षित जगह पर जाने के बाद ही हमें पता लग पाएगा कि वास्तव में आग से कितनी क्षति हुई है।

SHRI ADHIR CHOWDHURY: Madam, in the reply, it is seen that the hon. Minister is a little parsimonious in giving the details. We all are aware that underground coal gasification, in abbreviation UCG is a modern technology. In so far as India is concerned, India is recognized as a country which has been endowed with huge coal reserve. Naturally, the country has the potential to exploit this technology so as to reduce the carbon emission and to convert the coal into *in situ* product gas including synthesis gas, liquid fuel, fertilizer feed etc. So far my knowledge goes, I came to learn that the hon. Minister has framed certain UCG guidelines in compliance with the hundred days commitment of the UPA-II Government.

May I know from the hon. Minister, as the UCG technology is meant for extracting gas from the un-mined coal area, whether any assessment has been done to ascertain the quantum of coal which is yet to be tapped, and whether Raniganj has been identified for UCG technology?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अभी स्पष्ट तौर पर कहा है कि अभी हम इस क्षेत्र में बहुत प्राइमरी स्टेज पर हैं। किन-किन क्षेत्रों में अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन के द्वारा गैस निकाली जा सकती है, यह अभी तय होना बाकी है, लेकिन पांच लिग्नाइट ब्लॉक और दो कोल ब्लॉक इसके लिए आईडेंटिफाई किये गये हैं, जिनमें कि अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन आने वाले समय में होना है। इसके लिए हम लोगों ने एक नीति भी बनाई है। उस नीति को, अगर आप चाहेंगे तो पूरी की पूरी पालिसी

...(व्यवधान) वैसे अगर लोक सभा की लाइब्रेरी में चाहेंगे तो पूरी की पूरी पालिसी उपलब्ध है, वैबसाइट पर भी पूरी की पूरी पालिसी उपलब्ध है। अगर हमारे माननीय सदस्य चाहेंगे तो हम इनके लिए अलग से भी पूरी पालिसी भेज देंगे। लेकिन मैंने एक बात यह कही है कि अभी यह बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पर है। आगे चलकर हमको इस क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ना है, यह हमारी मिनिस्ट्री पूरी तरह से तय कर चुकी है।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैडम, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने गैस के बारे में जो जवाब दिया है, उसमें पूरी तरह से वैसे तो उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी और अन्य जगह उपलब्ध है, लेकिन हमें जवाब यहां चाहिए था। इसमें मुझे याद है कि एन.डी.ए. गवर्नमेंट के वक्त में कोल बैड मीथेन के लिए रोड शो भी हुआ था और बहुत सी निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। सरकार क्या यह मानती है कि इसमें जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, जितना काम भारत सरकार को करना चाहिए था, उतना काम हम नहीं कर पाये हैं और अगर यह काम नहीं कर पाये हैं तो इसकी वजह क्या है और आगे इस पर आपकी नीति क्या है?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय अध्यक्ष जी, दुनिया में जिन-जिन देशों में कोल गैसीफिकेशन का काम शुरू हुआ था, आज से नहीं, बल्कि 20, 30 या 40 साल पहले भी शुरू हुआ था। यू.एस.ए. में भी शुरू हुआ था, आस्ट्रेलिया में भी शुरू हुआ था। उसके बाद कुछ ऐसी दिक्कतें कोल गैसीफिकेशन के मैथड में आई थीं, जिसकी वजह से उन देशों ने भी अपने देश में उस काम को बन्द कर दिया था, लेकिन जैसे-जैसे समय बीता है, नयी-नयी टेक्नोलोजीज़ आई हैं। अब उन देशों ने भी अपने यहां कोल गैसीफिकेशन का काम शुरू किया है। नयी टेक्नोलोजी का यह दावा है कि जो दिक्कतें आज से 30-40 साल पहले अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन में आई थीं, उन दिक्कतों पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है, इसलिए हम समझते हैं कि आज के युग में, खास तौर से हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारे देश के हालात को ध्यान में रखते हुए कोल गैसीफिकेशन के क्षेत्र में बढ़ना हमारे देश के लिए सर्वथा सुरक्षित और उपयोगी है।

(Q. No. 83)

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : महोदया, मैंने मंत्री जी का जवाब देखा है। इसमें राजस्थान में एक भी मॉडल स्कूल स्वीकृत नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान के 247 ब्लॉक्स में कब तक मॉडल स्कूल स्वीकृत कर दिये जाएंगे? दूसरा...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : एक ही प्रश्न पूछिये।

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : मॉडल स्कूल का जो साइट सलैक्शन होता है, क्या उसमें क्षेत्रीय सांसद की सहमति ली जाती है, राय ली जाती है या उसकी राय को प्राथमिकता दी जाती है?

श्री कपिल सिब्बल: माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में कोई ऐसा स्कूल आज तक सैंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव हमें भेजा ही नहीं है। आपको मालूम है कि यह जो हमारी नीति है, 2008 में इसको लांच किया गया था और उसके बाद जो नीति हमने बनाई है कि राज्य सरकारों को स्कीम जाने के बाद राज्य सरकारें अपने प्रस्ताव पेश करेंगी कि हम इस जगह, इस ब्लॉक में यहां मॉडल स्कूल खोलना चाहते हैं। जब वे इस बात को पेश करेंगे, उसको देखकर हम तय करेंगे और स्वीकृति देंगे। उसके बाद वह डिटेल्ड डोक्यूमेंट्स हमें भेजेंगी, क्योंकि उनको सोसाइटी बनानी होती है और तय करेंगी कि किस जगह पर होगा और उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? ये सब चीजें वे पेश करेंगे, उसके बाद हम पैसा रिलीज करेंगे। आज तक राजस्थान की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव आया ही नहीं है। इसलिए राजस्थान में हम यह काम नहीं कर पाए। ...(व्यवधान)
आपका जो दूसरा सवाल है, यह भी राज्य सरकार ही तय करेंगी कि किस ब्लॉक में कहां मॉडल स्कूल लगाना चाहिए। इसमें केंद्र सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है।

अध्यक्ष महोदया : आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए।

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : आप जो मॉडल स्कूल सैंक्शन करेंगे, इसमें क्या जो पिछड़ा क्षेत्र है, विशेषकर ट्राइबल्स का, स्वीकृति देते समय क्या उसमें प्राथमिकता देंगे या पीपीपी बेसिस पर उसको खोलेंगे?

श्री कपिल सिब्बल : यह 6 हजार स्कूलों की स्कीम है। इसमें जो 3,500 स्कूल हैं, वह एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज में हैं, ई.डी.बी. हम उनको कहते हैं, वह आइडेंटिफाई किए गए हैं और उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए दो बातें सामने रखी गयीं। हर स्टेट में वह आइडेंटिफिकेशन है और उस आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से ही मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदया : श्री जी. एस. बासवराज - उपस्थित नहीं।

श्रीमती सुषमा स्वराज।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ, जैसा कि आपने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि these schools are envisaged as co-educational schools having classes from 6th to 12th or from 9th to 12th, मैं आपसे पहला सवाल का उत्तर जानना चाहूंगी कि छठी से बारहवीं तक का स्कूल खोला जाए या नवीं से बारहवीं तक का स्कूल खोला जाए, उसके लिए आपने क्या मानदंड निर्धारित किए हैं कि एक ब्लॉक में छठी से बारहवीं तक का खोला जाएगा और दूसरे किसी ब्लॉक में नवीं से बारहवीं तक का खोला जाएगा? यह अंतर आप किस आधार पर निर्धारित करेंगे?

दूसरा, जो आपने 75 और 25 प्रतिशत की शेयरिंग कही है कि 75 प्रतिशत सेंटर देगा और 25 प्रतिशत राज्य सरकार देगी, क्या यह केवल भवन निर्माण तक सीमित रहेगा या बाद के संचालन के खर्च को भी 75 और 25 प्रतिशत में बांटा जाएगा।

श्री कपिल सिब्बल : महोदया, माननीय सदस्या ने सवाल पूछा कि किस आधार पर छठी से बारहवीं तक हो या नवीं से बारहवीं तक होगा, यह भी राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर है। जो चाहते हैं कि एक ब्लॉक में छठी से बारहवीं तक हो, तो छठी से बारहवीं तक खोल सकते हैं। हम जो चाहते हैं और जो हमारी नीति है, वह यह है कि सारे बच्चे उस ब्लॉक में या उस एरिया में अगर कोई एग्जामिनेशन दे, उसके आधार पर सबसे अच्छे बच्चे चुने जाएं, क्योंकि ये मॉडल स्कूल हैं। वहां सबसे अच्छे बच्चे भर्ती हों। अगर आप छठी से बारहवीं तक करना चाहते हैं, तो वह कर सकते हैं और अगर नवीं से बारहवीं से तक करना चाहते हैं, तो वह कर सकते हैं।

जहां तक 75 और 25 प्रतिशत का सवाल है, जो भी मैक्सिमम खर्च है, उस पर कैप लगाया गया है और 75 और 25 प्रतिशत के आधार पर वह तय किया जाएगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : चौधरी लाल सिंह।

...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह : मैडम, आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन्होंने जो 6 हजार स्कूल दिखाये हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि जो जम्मू-कश्मीर का एरिया है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब लाल सिंह जी प्रश्न पूछ रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, मंत्री जी ने संचालन में भी बोला है या संचालन में नहीं बोला है?

...(व्यवधान)

SHRI KAPIL SIBAL: Both capital expenditure and running expenditure. ...
(Interruptions)

MADAM SPEAKER: Please address the Chair.

... (Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : लाल सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

चौधरी लाल सिंह : महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो बैकवर्ड ब्लॉक एजुकेशन की तरफ से घोषित हुए हैं या इनको बैकवर्ड ब्लॉक कहने का कोई और तरीका है? किस आधार पर बैकवर्ड ब्लॉक तय होगा? जिसको आप स्कूल देंगे, आपने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, वह ही आधार फिक्स करेगी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मेंबर आफ पार्लियामेंट की भागीदारी न होने से हमें यहां क्वेश्चन करने का क्या फायदा है? मेरी चाहत और मेरी रिप्रेजेंटेशन क्या रही? जब मैं कहूँ कि मेरा यह ब्लॉक बैकवर्ड है और मैं उसके लिए न करूँ। **What is the fun of me being the Member of Parliament!** मैं इसलिए पूछूँगा कि यह आपका कौन सा तरीका है, एमपी का रोल तो आहिस्ता-आहिस्ता आप लोग खत्म ही करने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है।

श्री कपिल सिब्बल : आपको यहां बैठकर हमारे लिए बहुत से काम करने हैं। लेकिन जहां तक इसका सवाल है कि किस आधार पर एजुकेशनली बैकवर्ड निर्धारित किया गया। वह हिसाब सीधा है और हमारी नीति में कहा गया है कि जहां भी फीमेल रूरल लिट्रेसी 47.13 से कम है, तो वह एजुकेशनली बैकवर्ड होगा। साथ ही जो जेंडर गैप है, अगर नेशनल एवरेज 21.59 प्रतिशत से ज्यादा है तो वह एजुकेशनली बैकवर्ड कहलाया जाएगा। इन दो नीतियों के आधार पर है, इसमें ब्लॉक पर कोई अंतर नहीं है। सारे देश में इसी नीति को अपनाया जाएगा। अगर आपका ब्लॉक बैकवर्ड में आता है, तो आपको वह सुविधा मिलेगी।

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, पक्ष-विपक्ष के सम्मानित सदस्यों की चिन्ता बिल्कुल जायज है। प्रश्न में है कि आपने ब्लॉक स्तर पर उत्कृष्ट बेंच वाले छः हजार आदर्श विद्यालय खोलने की बात कही है। सम्मानित सदस्यों ने भी बात कही है। जहां तक पिछड़े जिले और पिछड़े ब्लॉक की बात है, खासकर जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और माइनोरिटी के लोग हैं जो बहुत ही गरीब हैं और जिनमें शिक्षा की कमी भी है, क्या ऐसे ब्लॉक और जिलों को चयनित करने के लिए, खासकर सम्मानित सदस्यों की चिन्ता को ध्यान में रखते हुए, आप कुछ करेंगे? उत्तर प्रदेश में मेरे निर्वाचन क्षेत्र कौशाम्बी और प्रतापगढ़ के बिहार, कुण्डा, चायल, मंझनपुर, सिरातू जो बहुत पिछड़े ब्लॉक्स हैं और नया जिला भी है, क्या ऐसे जनपदों और ब्लॉक्स को इसमें लेने के लिए आपका कोई विशेष पैकेज है?

श्री कपिल सिब्बल : हम किस आधार पर तय करते हैं कि एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स क्या हैं, वह मैंने आपको बता दिया। साथ ही हम इसमें थोड़ा चेंज भी लाए हैं। 404 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां फीमेल लिट्रेसी रेशियो, खास तौर पर देहात में, वहां यदि 45 प्रतिशत से कम है, तो वह भी बैकवर्ड कहलाया जाएगा। साथ ही वैस्ट बंगाल का एक एससी ब्लॉक ऐसा है जहां फीमेल लिट्रेसी रेशियो केवल 19 प्रतिशत था। वह भी बैकवर्ड कहलाया। उड़ीसा में एक एसटी ब्लॉक है जहां फीमेल लिट्रेसी रेशियो केवल 9 प्रतिशत था। वह भी बैकवर्ड कहलाया। इसके अलावा और कुछ नहीं है।

SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJI : I would like to ask the hon. Minister what are the main features of this model school. I find, in the list, that there is no proposal from the State of Maharashtra. May I know whether the Central Government has approached the Government of Maharashtra to submit the proposals and whether there is no response from the Government of Maharashtra?

SHRI KAPIL SIBAL: As far as the model schools are concerned, I might also mention that conceptually we have to have one model school in every block; so, we have 6,000 model schools. In terms of the 6,000 model schools, 3,500 model schools have to be run by the State Government, owned by the State Government; and 2,500 model schools would be under Public-Private Partnership. But the 3,500 model schools will be based in educationally backward blocks.

As far as the States are concerned, there are 16 States who have responded; of the 16 States who have responded, 12 States' requests have been accepted; and we are in the process of releasing money. As far as the other four States are concerned, their proposals are being looked at; as far as Maharashtra is concerned, no proposal has come so far.

(Q. No. 84)

SHRI MADHU GOUD YASKHI : It is shocking and disturbing to see the number of attacks on Indian Embassy, and Indians elsewhere including Australia and other countries.

Before the July 7th, 2008 attack, I was myself in Kabul, Afghanistan, as a part of the Member of Parliament Delegation. The personnel working at Embassies work under extreme hardships; their families are not allowed to be there. In July 7th incident, we lost an outstanding IFS Officer and three other officers. He has completed his term; he was the one who said that he would be coming to India next month, in August, to see and join his family. Within 15 months or so, there was another attack in Indian Embassy in Kabul. I have seen the answer placed on the Table of the House. The Government is taking it up with the Afghan Government. In Afghanistan it is the US and other coalition forces which are monitoring the law and order situation there. It is a known fact that the terrorist groups like ISI, Al-Qaeda are operating from Afghanistan to Pakistan, Bangladesh. Is there any measure taken by the Government to take up this issue with the security forces of these coalition forces operating in Afghanistan? Hon. Minister is a former UN official. I would like to know whether he has taken any step to isolate these terror groups and sensitise other countries where they are present and take not only India but their help also to contain and dismantle these terror groups.

DR. SHASHI THAROOR: Madam, Speaker, we share the great concern expressed by the hon. Member about the security of Indian personnel both in the embassy and on various projects by which we are assisting the people of Afghanistan. Security is of course fundamentally the responsibility of the host Government and the Afghan Government has given us assurances of additional measures they have taken. Indeed, we all have noticed that the tragic assault on our Embassy on the 7th of July 2008 did result in certain security measures with the result that the assault in October this year did not in fact create any Indian fatality. So, there have been some improvements. We continue to work with the

Afghan authorities. Of course, we are in touch with those who are providing security in Afghanistan.

I might add that we have completed successfully the construction of a 218 Km. road in South-Western Afghanistan where the protection was provided by our own paramilitary personnel and they were able to ward off certain attacks on their projects, they have now been de-inducted and come back. So, where necessary we will provide our own security to our on-going projects.

SHRI MADHU GOUD YASKHI : Madam, in Afghanistan we are undertaking a lot of developmental activities. By and large the people in Afghanistan are against the coalition forces present there and they are quite sympathetic and welcome the Indian presence there. So, there are not only the Indian officials at the Embassy but a lot of civilians working in Afghanistan under various power or road projects. I would like to know the steps taken by the Government to safeguard other Indian civilians working in Afghanistan.

DR. SHASHI THAROOR: Madam Speaker, first of all I would like to endorse the point made by the hon. Member about the effectiveness of our economic development programmes. We have been active in doing everything from building roads to hospitals, clinics, schools and the kind of development assistance we have given has been welcome. There is a recent Gallup Poll in Afghanistan which shows that India's role has been the highest praised by the Afghan public, with 56 per cent of the Afghans praising India's role in reconstruction. Indeed, I might add that the United Nations only got 51 per cent and NATO got 44 per cent. Similarly, in the economic development of the country, India got the highest rating in this public opinion poll. So, we are very happy that our efforts are being appreciated and acknowledged by the Afghan people. Indeed, right now if Kabul has 24 hours a day of electricity it is because of the Indian engineers.

We are conscious that we must not send our citizens into danger. So, all sorts of security measures are being under taken to ensure that they remain safe while working. Nonetheless, sadly in the course of all these activities and including the attacks on our Embassy, we have lost 13 lives in the course of the last few years in Afghanistan. Each Indian life is precious to us. We will take as many measures as are realistic and feasible to ensure that we do not have to fear this but the development commitment, Madam Speaker, is extremely important for us to maintain in Afghanistan.

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आतंकवादियों का हमला एक चिंता का विषय है, चाहे वह भारत में हो या विदेश में हो। दुनिया के लिए यह चिंता का विषय बनता जा रहा है। इस बारे में अगर भारत इनीशियेटिव लेकर कुछ सुझाव देने का प्रयत्न करेगा, तो अच्छा रहेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं या उठाने जा रही है? क्या यह मामला हम यूएन में नहीं ले जा सकते?

DR. SHASHI THAROOR: Madam, the broader question raised by the hon. Member about terrorism is of course a major concern to us. We speak today in this House on the eve of the anniversary of the horrible attacks in Mumbai on the 26th of November. That day is a day that will live in infamy in the history of the sub-continent. Terrorism is a principal preoccupation in most of our international contacts. We seek to ensure that all countries show us support in the actions we need to undertake and that they cooperate with us. Obviously, we have had some difficulties in ensuring that our neighbour, Pakistan, provides the necessary cooperation in bringing the perpetrators of what happened last year to justice in arresting, prosecuting and punishing those who guided, financed, trained and equipped them and in dismantling the infrastructure of terror from which attacks have been launched against our country. We continue to raise this issue with the Government of Pakistan and more friendly Governments including Governments friendly to Pakistan.

As far as the United Nations is concerned, we are of course active there. The appropriate body in United Nations is the Committee set up under the

Resolution 1267 of the Security Council and under that Committee, various actions have been taken including to proscribe Lashkar-e-Toiba and Jamaat-ul-Dawah as two organizations involved in terrorism. India continues to work within the UN and as we have additional information to share with that Committee of the United Nations, we will do so.

I might add that most United Nations Members have shown us a great deal of support in this matter. We are also pursuing the adoption of a comprehensive convention on terrorism. This has not yet come to fruition but we have made considerable progress and the current draft being circulated in the United Nations shows some promise of adoption. This is not to imply that terrorists are respectors of legal conventions. Very clearly, they are not, but it will strengthen the international mechanisms that we have at our disposal to resist terror.

SHRIMATI MANEKA GANDHI : I want to ask the hon. Minister as to what stand have we taken on the American intervention in Afghanistan and the US President's decision to increase the troops. Our stand on this issue determines whether we will be the victims of further terrorism. That is why, it is important for you to tell us your stand on it.

DR. SHASHI THAROOR: Madam Speaker, India has essentially stayed out of the debate on the security measures to be taken at the request of the elected Government of Afghanistan by friendly powers, essentially in NATO in which the largest component, as the hon. Member has mentioned, is the United States Military Forces. We ourselves, as you know, have had no military role in Afghanistan other than, as I mentioned, to protect our personnel of the Border Roads Organisation and small projects of that nature. Nonetheless, our interest is certainly in ensuring that the pressure on Afghanistan's Taliban and Al-Qaida elements should not be eased because our concern would be that if an attempt were made to back away or to come to an accommodation with these elements, then neither the interest of India nor those of the broader international community would be served in such circumstances. So, to that degree, we are supportive of the efforts that are being made by the United States and NATO but I do want to

make it very clear that we ourselves do not participate in those efforts or in the military discussions.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Madam, the situation in Afghanistan, it appears, is no doubt serious. The first attack was on 7th July, 2008 causing death of 59 people and injuring 150 people. In the next year, on 8th October, 2009, the death figure was 18 and injured were 83 persons. We do not know what is going to happen in 2010. It is a foregone conclusion and you appear to be a nice responder to the questions to which you first responded on the floor of the House. I also appreciate it.

We are much interested to know about the vehicle borne improvised explosive devices which are normally carried for these operations. Some more scientific measures are to be taken to tackle all these issues. It is not only in the case of Afghanistan but also for India which is possibly one of the worst sufferers due to the movement of terrorists. I want to know whether Government has made any assessment on the issue of terrorism in embassies of other countries where terrorists exist or where any threat perception exists.

DR. SHASHI THAROOR: Madam Speaker, vehicle-borne IEDs have sadly been used in very many contexts. We know of their use in Iraq and we have seen their use in Afghanistan. I am not sure there are technical measures that can be used for stalling the explosions, but there are measures that can be used to reduce the damage done by these vehicle-borne explosions. We have seen, as I said, that whereas in July, 2008 sadly we have lost four Indian lives and that of a local driver working for the Indian Embassy, this time in October 2009, at least there were no Indian fatalities. So, there are security measures possible to prevent the extreme damage that is caused each time. But this is the best, unfortunately, that can be done.

Having said that, the broader concern that the hon. Member has expressed is absolutely correct. He said, "We do not know what will happen in 2010." I am sorry to say we can be sure that attempts will be made in 2010 again, as they have been made in 2008 and 2009, and we will have to remain vigilant.

The security situation in Afghanistan has been deteriorating since 2006. Last month, October, 2009, was possibly the worst month, including for US troops, which suffered a large number of casualties. So, we are not going to be complacent. We will take every measure necessary. But we must not be deterred, we must not be intimidated by these killers from the path we have chosen, which is that of support for the Afghan people and for upholding our legitimate interests and concerns in this region through our work in Afghanistan.

श्री रेवती रमन सिंह : अध्यक्ष महोदया, अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास पर दो बार हमले हो चुके हैं। अभी अमेरिकी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि उन हमलों में आईएसआई का हाथ था। मैं विदेश राज्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आपने यह बात पाकिस्तान सरकार को बताई और क्या पाकिस्तान सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई की है? अभी आईएसआई के चीफ भारत आए थे और यहां के अधिकारियों से मिल कर गए हैं। क्या उनसे इस सम्बन्ध में कोई बात हुई और क्या कोई ठोस कार्रवाई पाकिस्तान आईएसआई के खिलाफ कर रहा है या नहीं?

DR. SHASHI THAROOR: As far as the attack of the last year is concerned, it is indeed accurate, as the hon. Member has stated, that a large number of indications pointed to the involvement of elements associated with the Pakistani ISI. This information has certainly been shared by the Government of India with the Pakistani Government. As far as this year's attack is concerned, the Afghan Government has stated that they believe this finds its origins on the other side of the border. It is very clear what they mean. But, as far as I am aware, we are still awaiting the conclusive investigation which is on-going on the part of the Afghanistan authorities. None-the-less, I think, no one in India and no one in this august House has any doubt who is interested in attacking Indian interests in Afghanistan and who is interested particularly in attacking our Embassy.

So, putting the evidence forward is only one step. We have to be vigilant. A combination of both security measures and diplomatic measures are necessary in order to ensure that India and Indian interests in Afghanistan remain safe. Your Government is undertaking those measures.

MADAM SPEAKER: Thank you, Mr. Minister.

MADAM SPEAKER: Q. 85 -- Shri Danve Raosaheb Patil – not present.
Dr. Bholu Singh.

(Q. No. 85)

डॉ. भोला सिंह : अध्यक्ष महोदया, मेरे लिखित प्रश्न के जो जवाब आए हैं, उनके आलोक में मैं कहना चाहता हूँ कि यूरोप के विकसित समाज की शिक्षा पद्धति की तरह भारत के समाज की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाने के सम्बन्ध में मंत्री जी ने कदम उठाए हैं। भारत के विभिन्न राज्यों की जो विकास की सम्भावनाएं हैं, अवधारणाएं हैं और सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों को देखते हुए शिक्षा पद्धति में ग्रेडिंग सिस्टम उचित नहीं लगता। इसका कारण यह है कि हमारे देश के राज्यों की भिन्न-भिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति है और कई राज्य पिछड़ेपन के शिकार हैं। वे पिछड़ेपन के शिकार हैं। आपने जो ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने का कदम उठाया है और उसमें आपने जो अंक निर्धारित किये हैं, ससे शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर राज्य पिछड़े हुए हैं, उनके छात्र उसमें विफल होंगे। आप इसका सामंजस्य किस प्रकार करेंगे, किस आधार पर करेंगे और कैसे करेंगे?

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदया जी, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ कि जो स्कीमें हमने इंटरोड्यूस की हैं वे केवल सीबीएसई सिस्टम में लागू की हैं। सीबीएसई सिस्टम के साथ जो भी स्कूल हिंदुस्तान में हैं, केवल उन्हीं में यह प्रस्ताव पास हुआ है कि वहां दसवीं क्लास का बोर्ड ऑप्शनल रहेगा और साथ-साथ में कान्टिन्युअस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन रहेगी। बाकी स्कूलों पर हमारी कोई ज्युरीडिक्शन नहीं है, वहां हम इसे लागू नहीं कर सकते हैं लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमने केप कमेटी की मीटिंग कॉल की और वहां यूनेनिमस्ली रेजोल्यूशन पास किया कि यह कदम जो आपने उठाए हैं। ये सही उठाए हैं और हम स्टेट्स में भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे। जो कौंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ सैकेन्डरी एजुकेशन है, जिसे कॉबसे से कहते हैं, वहां भी रेजोल्यूशन्स पास हुए हैं कि यह जो आपका निर्णय है यह सही है। जहां तक कान्टिन्युअस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन की बात है तो इसे हम स्टेट्स में दो-तीन वर्ष में ले आएंगे और जहां तक दसवीं क्लास के बोर्ड की बात है तो हम देखेंगे कि सीबीएसई सिस्टम में कैसे काम कर रहा है और उसके बाद सोचेंगे कि कैसे उसे वहां लागू करना है।

डॉ. भोला सिंह : मैडम स्पीकर, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आप जो सीबीएसई के सिस्टम में छात्रों के बोझ को कम करने के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, इसे पूर्णतया लागू करने के लिए आपको कितनी निधि की आवश्यकता होगी और आपने इसके लिए क्या व्यवस्था की है?

श्री कपिल सिब्बल: इसके लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं है।

श्री संजय निरुपम : अध्यक्ष महोदया, बुनियादी सवाल यही है कि सीबीएसई से एफिलिएटेड जो स्कूल हैं उनमें आपने दसवीं क्लास के एग्जामिनेशन को रद्द करने और ग्रेडिंग सिस्टम को लागू करने की व्यवस्था

की है। लेकिन इस समय पूरे देश में, अलग-अलग राज्यों में सरकारें, अलग-अलग ढंग से कैरिकूलम चला रही हैं और एग्जामिनेशन्स ले रही हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले दो-तीन वर्षों में ही दो अलग-अलग वर्ग बन जाएंगे। एक सीबीएसई कैरिकूलम से पढ़े बच्चे, जो बगैर दसवीं का एग्जाम दिये आगे जाएंगे और दूसरे राज्य सरकारों के जो दसवीं के बोर्ड एग्जाम होते हैं, उनसे निकले हुए बच्चे होंगे। इस विषमता को दूर करने के लिए तत्काल, जल्दी से जल्दी क्या व्यवस्था की जा रही है? क्या आने वाले दिनों में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को बुलाकर इस दसवीं क्लास के एग्जाम को रद्द करने, वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित करने के बारे में उनसे भी आग्रह किया जा सकता है।

श्री कपिल सिब्बल: महोदया, पहली बात तो यह है कि यह जो हम दसवीं क्लास के बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं, यह उन्हीं स्कूलों में आप्शनल किया गया है जहां बच्चे उसी स्कूल में बारहवीं तक जाते हैं। अगर कोई स्कूल बारहवीं तक है, वहां दसवीं से ग्यारहवीं में जाने के लिए किसी बोर्ड एग्जाम की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा दसवीं का एग्जाम देकर कहीं और जाना चाहता है वहां बोर्ड एग्जाम की व्यवस्था उसे उपलब्ध है, वह बोर्ड एग्जाम भी सीबीएसई ही लेगी, लेकिन वह उस किसम का बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा, वह ऑन-डिमांड होगा। कोई बच्चा अगर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना चाहता है, तो वह जो नॉन सीबीएसई सिस्टम है, हमने एक व्यवस्था रखी है कि वह ऑन लाइन एग्जाम भी दे सकता है और पैर और पैपर के साथ भी एग्जाम दे सकता है। वही बोर्ड एग्जाम होगा और उसके साथ वह दूसरे स्कूल में भी जा सकता है, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा।

जहां तक राज्यों का सवाल है तो हमने स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स को बुलाया है, केप कमेटी में एजुकेशन मिनिस्टर्स होते हैं, वहां यह चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि जहां तक कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन का सवाल है, वह तो हम मानते हैं, जहां दसवीं क्लास का सवाल है, हम आपका प्रयोग सीबीएसई सिस्टम में देखकर इसे आगे बढ़ाएंगे।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो कल्पनाएं आप यहां बैठकर करते हैं और जितने भी एग्जाम लिये जाते हैं वे रोल नम्बर पर एग्जाम लिये जाते हैं। इसी तरह से एग्जामिनेशन में भी रोल नम्बर के साथ लोगों के एग्जाम लिये जाते हैं। मैं स्वयं इंजीनियरिंग कालेज में पढ़ा हूँ और मुझे मालूम है कि जो हाथ में वाईबा-वाईस होता था, उसमें किस तरह का भेदभाव हो सकता है। हिंदुस्तान बहुत बीमारियों से भरा हुआ है। आपने यहां से जो कल्पना की है, वह ठीक हो सकती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां रोल नम्बर का सिस्टम क्यों आया था। यह इसलिए आया, क्योंकि हमारे देश में कितने तरह के भेद हैं, उन्हें गिनाने का यह अवसर नहीं है। इस भेदभाव के भोगी हमारे जैसे लोग हैं। आपने यह जो ग्रेडिंग सिस्टम रखा है, आपको पता नहीं कि हिंदुस्तान



में सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली में एक विशेष तबके के लोग हैं। वे लोग उनके साथ किस तरह का भेदभाव करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप लगातार बहुत सारे बयान देकर बहुत सी चीजें कहते हैं, आपने यह जो तरीका अपनाया है, यह लोगों के साथ जो भेदभाव सदियों से हैं, उसे और ज्यादा बुरी तरह से भुगतने का काम करेंगे।

श्री कपिल सिब्बल : महोदया, इसमें भेदभाव की कोई बात नहीं है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप लोग शांत हो जाइए। मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी के उत्तर के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : हमने सिस्टम में जो बदलाव लाने की कोशिश की है, यह मैंने नहीं की है, बल्कि पिछले पचास सालों से प्रयास हो रहा है। यह आज की बात नहीं है। मुदालियर कमीशन ने 1952-53 में कहा था कि एग्जाम सिस्टम को रद्द करना चाहिए और एक कम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन लेनी चाहिए। उसके बाद 1993 में रिपोर्ट आफ नेशनल एडवाज़री कमेटी में कहा। मैं पढ़कर बताता हूँ :

“Board examinations, taken at the end of Class X and XII, have remained rigid, bureaucratic, and essentially uneducative and ... mainly a source of awe because of the amount of information they demand in a manner ready for instant recall.”

उसके बाद नेशनल पालिसी आफ एजुकेशन 1986 में हमने बनाई और 1992 में उसमें परिवर्तन लाए, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ :

“Continuous and Comprehensive Evaluation that incorporates both scholastic and non-scholastic aspects of evaluation, spread over a total span of instructional time... ” ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप मंत्री जी को बोलने दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : चाहे 1952 की बात हो, 1986 की एजुकेशन पालिसी की बात हो, 1992 एजुकेशन पालिसी की बात हो, 1993 नेशनल एडवाइज़री कमेटी की बात हो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 की बात हो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की बात हो, सभी ने 50 सालों से यही कहा है, लेकिन हम

लागू नहीं कर पाए। अब हम लागू करना चाहते हैं, तो आप कह रहे हैं कि हम क्यों लागू कर रहे हैं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने दीजिए।

SHRI T.K.S. ELANGO VAN : I would like to know from the hon. Minister one thing. This subject was under discussion for the past one year or more. I want to know from the hon. Minister whether the State Governments were consulted in this matter. Why is the system adopted only in the CBSE system? I want to know whether the State Governments have negatived the proposal from the Government of India. What were the reasons stated for having negatived such a proposal by the States?

SHRI KAPIL SIBAL: First of all, the hon. Member should know that we have no jurisdiction over State Boards. So, the Central Government cannot force the State Boards to adopt the system that the Central Government can adopt under the CBSE system. This is number one. Number two, in fact, the State Education Ministers, when they came, through a unanimous resolution, welcomed the proposal. I can read the unanimous resolution if you want. They said that this is something that should be done even in the State Boards. Number three, in the Council for the Board of Secondary Education (COBSE), which was also represented by various State Secretaries and other representatives of State Governments, they said that they would bring out a continuous and comprehensive evaluation within a period of two or three years. There is no opposition that you are talking about. But we do not want to impose anything on the State Boards.

SHRI P.C. CHACKO : This is a matter of great concern for a great number of parents whose children are studying in Class X.... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please be brief. We do not have time.

SHRI P.C. CHACKO : I appreciate the intention behind this reform.

But the whole teaching in our schools is examination oriented. If the examination is dispensed with, then surely the standards will fall down. Here, the alternative suggested by the hon. Minister is continuous and comprehensive evaluation. It is



still not in place. The training will take at least one year. So, will the hon. Minister assure this House that this will be postponed at least till the comprehensive evaluation is completed?

SHRI KAPIL SIBAL: Madam, I want to assure the hon. Member that there is an examination system in place. Hon. Members are not quite appreciating that. There is an examination system in place. In fact, it is the Board that gets the kind of examination papers on which children should be tested. Those examinations will be held, but they are not Board examinations. They are examinations where the papers are suggested by the Board and children sit for those examinations and they will result in evaluation through the examination system. So, let the hon. Members not think that we have set aside the examination system.

12.00 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now Papers to be laid.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Ocean Technology, Chennai, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Ocean Technology, Chennai, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No.LT 803/15/09)

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No.LT 804/15/09)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Centre for Antarctic Ocean Research, Goa, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Centre for Antarctic Ocean Research, Goa, for the year 2008-2009.
(Placed in Library, See No.LT 805/15/09)
- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian National Centre for Ocean Information Services, Hyderabad, for the year 2008-2009, along with Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian National Centre for Ocean Information Services, Hyderabad, for the year 2008-2009.
(Placed in Library, See No.LT 806/15/09)
- (5) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Vigilance Commission, New Delhi, for the year 2008, under sub-section (3) of Section 14 of the Central Vigilance Act, 2003.
(Placed in Library, See No.LT 807/15/09)
- (6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951:-
(i) The Indian Police Service(Uniform) Amendment Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 616(E) in Gazette of India dated the 31st August, 2009.
(ii) The All India Services (Discipline and Appeal) Amendment Rules, 2009 published in Notification No. G.S.R. 714(E) in Gazette of India dated the 30th September, 2009.
(Placed in Library, See No.LT 808/15/09)
- (7) A copy of the Central Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairmen and Members) Amendment Rules, 2009 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 545(E) in Gazette of India dated the 23rd July,

2009 under sub-section (1) of section 37 of the Administrative Tribunal Act, 1985.

(Placed in Library, See No.LT 809/15/09)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI SHRIPRAKASH JAISWAL): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Coal Mines Provident Fund Organization, Dhanbad, for the year 2006-2007, alongwith Audited Accounts.
(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Coal Mines Provident Fund Organization, Dhanbad, for the year 2006-2007.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No.LT 810/15/09)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI JAIRAM RAMESH): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986:-
 - (i) The Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2009 published in Notification No. S.O. 1799 (E) in Gazette of India dated the 21st July, 2009.
 - (ii) The Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Second Amendment Rules, 2009 (published in Notification No. S.O. 2447 (E) in Gazette of India dated the 23rd September, 2009.

- (iii) S.O. 2412 (E) published in Gazette of India dated the 22nd September, 2009 making certain amendments in the Notification No. S.O. 394(E) dated 16th April, 1987.

(Placed in Library, See No.LT 811/15/09)

- (2) A copy of the Central Pollution Control Board (Method of Recruitment, Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees other than Member-Secretary) Amendment Regulations, 2009 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 820(E) in Gazette of India dated the 24th March, 2009 under sub-section (3) of section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No.LT 812/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI D. PURANDESWARI): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan State Mission Authority Manipur, Imphal, for the year 2007-2008, along with Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan State Mission Authority Manipur, Imphal, for the year 2007-2008.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No.LT 813/15/09)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Karnataka, Bangalore, for the year 2007-2008, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Karnataka, Bangalore, for the year 2007-2008.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No.LT 814/15/09)

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli Mission Authority (Sarva Shiksha Abhiyan), Silvassa, for the year 2006-2007, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli Mission Authority (Sarva Shiksha Abhiyan), Silvassa, for the year 2006-2007.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No.LT 815/15/09)

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Union Territory of Pondicherry Mission Authority (Sarva Shiksha Abhiyan), Pondicherry, for the year 2005-2006, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Union Territory of Pondicherry Mission Authority (Sarva Shiksha Abhiyan), Pondicherry, for the year 2005-2006.

- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in Library, See No.LT 816/15/09)

- (9)(a) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Union Territory of Lakshadweep State Mission Authority (Sarva Shiksha Abhiyan), Kavaratti, for the year 2002-2003, along with Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Union Territory of Lakshadweep State Mission Authority (Sarva Shiksha Abhiyan), Kavaratti, for the year 2002-2003.

Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) (a) above.

(Placed in Library, See No.LT 817/15/09)

- (9)(b) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Union Territory of Lakshadweep State Mission Authority (Sarva Shiksha Abhiyan), Kavaratti, for the year 2003-2004 along with Audited Accounts.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Union Territory of Lakshadweep State Mission Authority (Sarva Shiksha Abhiyan), Kavaratti, for the year 2003-2004.

Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) (b) above.

(Placed in Library, See No.LT 818/15/09)

- (9)(c) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Union Territory of Lakshadweep State Mission Authority (Sarva

Shiksha Abhiyan), Kavaratti, for the year 2004-2005 along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Union Territory of Lakshadweep State Mission Authority (Sarva Shiksha Abhiyan), Kavaratti, for the year 2004-2005.

Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) (c) above.

(Placed in Library, See No.LT 819/15/09)

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands Mission Authority (Sarva Shiksha Abhiyan), Port Blair, for the year 2007-2008, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands Mission Authority (Sarva Shiksha Abhiyan), Port Blair, for the year 2007-2008.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

(Placed in Library, See No.LT 820/15/09)

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Union Territory of Daman and Diu (Sarva Shiksha Abhiyan), Daman, for the year 2007-2008, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Union Territory of Daman and Diu (Sarva Shiksha Abhiyan), Daman, for the year 2007-2008.

- (14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

(Placed in Library, See No.LT 821/15/09)

- (15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli Mission Authority (Sarva Shiksha Abhiyan), Silvassa, for the year 2007-2008, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli Mission Authority (Sarva Shiksha Abhiyan), Silvassa, for the year 2007-2008.

- (16) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

(Placed in Library, See No.LT 822/15/09)

- (17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Union Territory of Pondicherry (Sarva Shiksha Abhiyan), Pondicherry, for the year 2006-2007, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Union Territory of Pondicherry (Sarva Shiksha Abhiyan), Pondicherry, for the year 2006-2007.

- (18) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

(Placed in Library, See No.LT 823/15/09)

- (19) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi University, Itanagar, for the year 2007-2008, together with Audit Report thereon.

- (20) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (19) above.

(Placed in Library, See No.LT 824/15/09)

- (21) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mizoram University, Aizawal, for the year 2007-2008, together with Audit Report thereon.

- (22) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (21) above.

(Placed in Library, See No.LT 825/15/09)

- (23) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tezpur University, Tezpur, for the year 2008-2009, together with Audit Report thereon.

(Placed in Library, See No.LT 826/15/09)

- (24) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Manipur University, Imphal, for the year 2007-2008.

- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Manipur University, Imphal, for the year 2007-2008.

- (25) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (24) above.

(Placed in Library, See No.LT 827/15/09)

- (26) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tripura University, Suryamaninagar, for the year 2007-2008, together with Audit Report thereon.

- (27) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (26) above.

(Placed in Library, See No.LT 828/15/09)

(28) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Visva Bharti, Santiniketan, for the year 2007-2008, together with Audit Report thereon.

(29) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (28) above.

(Placed in Library, See No.LT 829/15/09)

(30) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi National Open University, New Delhi, for the year 2007-2008.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indira Gandhi National Open University, New Delhi, for the year 2007-2008.

(31) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (30) above.

(Placed in Library, See No.LT 830/15/09)

(32) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Axom Sarba Siksha Abhijan Mission, Guwahati, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Axom Sarba Siksha Abhijan Mission, Guwahati, for the year 2008-2009.

(Placed in Library, See No.LT 831/15/09)

(33) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Dr. B. R. Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar, for the year 2006-2007, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Dr. B. R. Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar, for the year 2006-2007.

(34) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (33) above.

(Placed in Library, See No.LT 832/15/09)

(35) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Gujarat Council of Elementary Education (Sarva Shiksha Abhiyan), Gandhinagar, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Gujarat Council of Elementary Education (Sarva Shiksha Abhiyan), Gandhinagar, for the year 2007-2008.

(36) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (35) above.

(Placed in Library, See No.LT 833/15/09)

(37) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi Shiksha Mission (Sarva Shiksha Abhiyan), Bhopal, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajiv Gandhi Shiksha Mission (Sarva Shiksha Abhiyan), Bhopal, for the year 2007-2008.

(38) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (37) above.

(Placed in Library, See No.LT 834/15/09)

- (39) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi Shiksha Mission (Sarva Shiksha Abhiyan), Bhopal, for the year 2007-2008, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajiv Gandhi Shiksha Mission (Sarva Shiksha Abhiyan), Bhopal, for the year 2007-2008.
- (40) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (39) above.
- (41) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Ujala Society, Sarva Shiksha Abhiyan Jammu and Kashmir, for the year 2007-2008, along with Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Ujala Society, Sarva Shiksha Abhiyan Jammu and Kashmir, for the year 2007-2008.
- (42) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (41) above.

(Placed in Library, See No.LT 835/15/09)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES

(SHRI VINCENT H. PALA): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Section 619A of the Companies Act, 1956:-
- (a) (i) Review by the Government of the working of the U.P. Projects Corporation Limited, Lucknow, for the year 2005-2006.
- (ii) Annual Report of the U.P. Projects Corporation Limited, Lucknow, for the year 2005-2006, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No.LT 836/15/09)

(b) (i) Review by the Government of the working of the Andhra Pradesh State Irrigation Development Corporation Limited, Hyderabad, for the year 2006-2007.

(ii) Annual Report of the Andhra Pradesh State Irrigation Development Corporation Limited, Hyderabad, for the year 2006-2007, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No.LT 837/15/09)

(c) (i) Review by the Government of the working of the Kerala Land Development Corporation Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2004-2005.

(ii) Annual Report of the Kerala Land Development Corporation Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2004-2005, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No.LT 838/15/09)

12.02 hrs.**ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER
Cancellation of Sitting of the House**

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I have to inform the House that as decided in the meeting of Business Advisory Committee held on 24th November, 2009, the sitting of the House fixed for Friday, the 27th November, 2009 may be cancelled on account of Idu'l Zuha (Bakrid) being celebrated in some parts of the country.

12.02 ¼ hrs.**FINANCIAL COMMITTEES – A REVIEW**

SECRETARY-GENERAL: Madam, I beg to lay on the Table a copy (Hindi and English versions) of the 'Financial Committees (2008-09) – A Review'.

(Placed in Library, See No.LT 839/15/09)

12.02 ½ hrs.**COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
1st Report**

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Madam, I beg to present the First Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.02 ¾ hrs.**COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND
SCHEDULED TRIBES
1st Report**

SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR (BANGAON): Madam, I beg to present a copy of the First Report (Hindi and English versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on "Reservation for and Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC)."

12.03 hrs.

**STANDING COMMITTEE ON FOOD, CONSUMER AFFAIRS AND
PUBLIC DISTRIBUTION
Ist Report**

SHRI VILAS MUTTEMWAR (NAGPUR): Madam, I beg to present a copy of the First Report (Hindi and English versions) on action taken by the Government on the observations/recommendations contained in the Twenty-seventh Report (14th Lok Sabha) of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution pertaining to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs).

12.03 ¼ hrs.

**STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
218th Report**


कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद (मुज़फ़्फ़रपुर): महोदय, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2009' संबंधी 218वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.03 ½ hrs.**STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE
35th to 37th Reports**

DR. TARUN MONDAL (JOYNAGAR): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following Action Taken Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Health and Family Welfare:-

- (1) Thirty-fifth Report on Action Taken Note (ATN) furnished by the Department of Health and Family Welfare on the recommendations/observations contained in Committee's Twenty-seventh Report on Demands for Grants (2008-2009) of the Department;
- (2) Thirty-sixth Report on Action Taken Note (ATN) furnished by the Department of AYUSH on the recommendations/observations contained in Committee's Twenty-eighth Report on Demands for Grants (2008-2009) of the Department; and
- (3) Thirty-seventh Report on Action Taken Note (ATN) furnished by the Department of Health Research on the recommendations/observations contained in Committee's Twenty-ninth Report on Demands for Grants (2008-2009) of the Department.

12.04 hrs.**BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
7th Report**

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, I beg to present the venth Report of the Business Advisory Committee.

12.05 hrs

**CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC
IMPORTANCE**

**Situation arising out of shortage of fertilizers and seeds in the Country and
steps taken by the Government in this regard**

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Madam, I call the attention of the Minister of Chemicals and Fertilizers to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

“Situation arising out of shortage of fertilizers and seeds in the country and steps taken by the Government in this regard.”

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): Madam, the availability of fertilizers in the country in the current year is comfortable. During Kharif 2009, sufficient quantities of fertilizers were made available by the Department in various parts of the country... (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, where is the Cabinet Minister? It is a very important issue. The Cabinet Minister should remain present in the House and he should make a statement... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please take your seat.

... (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, it is a very important matter... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let the Minister make his statement. Please take your seat.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: There is a collective responsibility of the Cabinet.

... (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): Madam, we want the Cabinet Minister to make the statement... (*Interruptions*) Fertilizer is a very important issue... (*Interruptions*)

श्री रामकिशुन (चन्दौली): महोदया, खाद और बीज की बहुत कमी है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

... (व्यवधान)

SHRI ANANTH KUMAR : Therefore, we want the Cabinet Minister to make the statement... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The Minister is making the statement. Please take your seat.

... (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : The Cabinet Minister should come... (*Interruptions*)

SHRI ANANTH KUMAR : Why is the Cabinet Minister not present in the House?... (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): There is no rule. They should read the Rule Book... (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : On such an important issue, the Cabinet Minister should be present... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: All this will not go on record.

(*Interruptions*) ... *

MADAM SPEAKER: Shri Acharia and Shri Ananth Kumar Ji, you know about the collective responsibility of the Cabinet. The Minister is replying.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please take your seats. Let us proceed with the Calling Attention. It is something very important.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Shri Acharia, let us proceed with the Calling Attention.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
(SHRI V. NARAYANASAMY): Let the hon. Minister reply to this, please...

(Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : यह किसानों का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसा मैंने अभी कहा यह कलेक्टिव रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ कैबिनेट है। मंत्री महोदय स्टेटमेंट दे रहे हैं, वे इस स्टेटमेंट को देने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। आप इस बात को समाप्त कीजिए ताकि हम कॉलिंग अटेंशन के संबंध में आगे बात करें।

...*(व्यवधान)*

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam Speaker, he is an ex-Minister... *(Interruptions)* If he challenges your ruling, this is totally unacceptable... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: Let us proceed. It is something very important. It concerns the farmers. Hon. Minister, please proceed.

... *(Interruptions)*

SHRI SRIKANT JENA : The availability of fertilizers in the country in the current year is comfortable. During Kharif 2009, sufficient quantities of fertilizers were made available by the Department in various parts of the country. There were no significant complaints on supply front during Kharif 2009.

The requirement of fertilizers is assessed by the Department of Agriculture and Cooperation (DAC) at the start of the each agriculture season in consultation with the State Governments. This year, DAC has assessed a requirement of fertilizers for Rabi 2009-10 as follows:

UREA	-	145.53 LMT
DAP	-	57.76 LMT
MOP	-	22.24 LMT
COMPLEX FERTILIZERS	-	40.21 LMT

The DoF finalized the production and imports of fertilizers with fertilizer companies for making fertilizers available during Rabi 09-10 as per requirement well in advance. DoF has also advised all the State Governments to tie up the supplies of decontrolled fertilizers like DAP, MOP and NPK with the importers/manufacturers well in advance for Rabi 09-10 through their State level Marketing agencies like State MARKFED etc. to avoid any shortage. Many States like Punjab, Haryana, Rajasthan, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Chhattisgarh etc. have taken advance action to tie up supplies of these fertilizers through their State level marketing agencies. The availability of fertilizers is comfortable in these States. ... (*Interruptions*) The States like Bihar, Assam, Jharkhand etc. have not nominated any State level agency to deal in fertilizers despite repeated requests made by DoF.

The requirement of Urea, DAP, MOP and Complex fertilizers for the month of October 09 is assessed as 23.33 LMT, 21.25 LMT, 4.92 LMT and 9.45 LMT respectively. Against this requirement, the availability of urea, DAP, MOP and Complex Fertilizers during October 09 has been 27.03 LMT, 25.69 LMT (this includes 14.45 LMT of DAP pre-positioned in Kharif against the requirement of Rabi 2009-10), 5.31 LMT and 10.44 LMT respectively. As can be seen, the availability of all fertilizers has been very comfortable during the month of October 2009.

In the month of November 09, against the requirement of Urea, MOP, DAP and Complex Fertilizers of 29.70 LMT, 15.80 LMT, 4.62 LMT and 9.27 LMT, the availability as on 23-11-2009 is 24.85 LMT, 11.7 LMT, 5.16 LMT and 7.80 LMT respectively.

During November 09, no State except Madhya Pradesh and Rajasthan has indicated any shortage of urea. The State Governments of Madhya Pradesh and Rajasthan wanted priority movement of urea to certain Districts immediately and dispatches of the entire allocated quantities by the companies as per the supply plan by November end. The Department of Fertilizers has already advised all the supplying companies to move urea on priority to these two States and ensure

compliance of supply plan by month end. The availability of MOP and Complex Fertilizers is comfortable during November 2009. As regards DAP, the States of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar have reported shortages. The Department of Fertilizers is in touch on regular basis with the State Agriculture Secretaries of these States and is making all efforts to dispatch rakes to the desired destinations on priority basis to ensure that there is no shortage of DAP in these States.

There is no perceptible shortage of Seeds in the country during Kharif 09 and Rabi 09-10.

Prior to each sowing season, i.e. Kharif and Rabi, Department of Agriculture & Cooperation organizes Zonal Seeds Review Meeting (ZSRM) with all State Departments of Agriculture, State Seeds Corporation, National Seeds Corporation, State Farms Corporation of India, Indian Council of Agricultural Research and representatives of private sector seed companies (National Seeds Association of India) to assess the crop-wise requirement and availability of certified/quality seeds in States and to facilitate advance tie-up arrangements for meeting shortages, if any.

ZSRM for Rabi 2009-10 was organized in August/September, 2009 to assess requirement and availability of certified/quality seeds for the country. The outcome of ZSRM reveals that at National level there is no overall shortage of certified/quality seeds for Rabi 2009-10. At all India level 153.21 lakh quintals of certified/quality seed is available as against the requirement of 138.15 lakh quintals indicated by the States. Adequate seed is available at start of Rabi 2009-10 with surplus of 15.06 lakh quintals. However, at National level minor shortages have been indicated in case of Lentil (2519 quintals) and Linseeds (2241 quintals). This shortage will be met from farm saved seeds or seeds procured locally or States will shift to alternative crops. Regional shortages pointed out by specific States were tied-up with seed producing agencies.

MADAM SPEAKER: Now, Shri Basu Deb Acharia, please make your submission.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Basu Deb Acharia says.

(*Interruptions*) ... *

SHRI BASU DEB ACHARIA : The Statement made by the hon. Minister has shown that the situation is quite comfortable in regard to fertilizer, urea, DAP, MOP and complex fertilizer as well as in regard to the availability of certified seeds. But the ground reality is quite contrary to what the Minister of State in the Ministry of Chemicals and Fertilizers has stated in his Statement.

Madam, I have the State-wise figures in respect of the availability of urea for the last one year. In Chhattisgarh, there is a wide variation between the requirement and the availability of urea. In the case of Haryana also, there is a wide variation between the requirement and the availability of urea; there is a shortfall. In J&K also, where the requirement is not so much, there is a huge shortfall. Then, I come to Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and West Bengal. These are the major States. I have mentioned about Bihar.

In this Statement, the Minister has stated that the availability is more than the requirement. Fertilizer is not reaching the farmers. Fertilizer is there but it is being sold at a double the price. The farmers have to pay much more for one bag of fertilizer. That is the ground reality in a number of States.

When DAP is required during potato-sowing season, it is not made available to the farmers. DAP is not used when it is required. Madam, when DAP is available more than the requirement and it is not made available to the farmers, then how will the farmers be benefited?

The per head consumption of fertilizers or the per acre consumption of

* Not recorded.



fertilizers in our country is much less than the consumption in other developed countries. Although there has been an increase in the production of urea, DAP and other fertilisers during the last 62 years from 0.3 metric tonnes to 53 million tonnes, still we are to import urea.

Last year, the total production of urea in our country was 108.70 lakh tonnes and the production of phosphate was 34.64 lakh tonnes whereas during the same period we imported 56.66 lakh tonnes of urea, 66.31 lakh tonnes of DAP and 43.66 lakh tonnes of MOP by spending thousands and thousands crores of rupees.

Madam, the Durgapur unit is closed in the year 2002. How can the farmers of West Bengal get fertilizers? Hundred per cent fertilizers, which are being used in West Bengal is imported... (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): What about Haldia?

SHRI BASU DEB ACHARIA : Haldia Fertilizer unit was not commissioned at all... (*Interruptions*) Hindustan Fertilizer Corporation was not a State Public Sector Undertaking... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Mr. Basu Deb Acharia, please address the Chair.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam, during the National Democratic Alliance regime, seven urea manufacturing units starting from the Gorakhpur unit were closed. At that time, Trinamool Congress was the ally of the NDA... (*Interruptions*) Gorakhpur unit, which was one of the units of the Fertilizer Corporation of India was closed in 1998. Then, only urea manufacturing unit of Bihar, which is the Barauni unit, was closed in 2002. Dr. Raghuvansh Prasad Singh is sitting here. He knows it. Myself and Dr. Raghuvansh Prasad Singh went to the then Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayeeji to plead before him that at least one urea manufacturing unit should be there in the State of Bihar.

Similarly, the Durgapur unit of the Hindustan Fertilizer Corporation was closed in 2002. Then, the Haldia unit; Talchar unit of Orissa, which was one of the coal based fertilizer units of the Fertilizer Corporation of India, and the Ramagundam unit, which was also a coal based fertilizer unit of the Fertilizer Corporation of India in Andhra Pradesh were closed. So, in all, seven units of the

Fertilizer Corporation of India and the Hindustan Fertilizer Corporation were closed.

What we were told at that point of time was that there was no gap in demand and supply. At that point of time, we produced what we required and because of that seven units were closed. What is the situation today? We have to import 56.63 lakh tonnes of Urea, 66.31 lakh tonnes of DAP and 43.66 lakh tonnes of MOP.

The first United Progressive Alliance, not the second one, decided to reopen these fertilizer units in principle in 2007 but no action has yet been taken. As there is a huge shortage and because of delayed monsoon, the farmers could not cultivate more than 10 lakh hectares of our cultivable land. There is no sowing in almost 10 lakh hectares of cultivable land. In Kharif, the Minister has admitted while replying to a question that there will be less production of Kharif crop.

Last year, the total food production was 232 million tonnes. This year, it will be almost 200 million tonnes which is 32 million tonnes less than what our Agriculture Department is expecting. Their assessment is like that. So, there is a need to compensate the loss of Kharif season. There is a need for increasing the production of Rabi crop. I would like to know from the Minister what steps he is going to take in order to bridge the gap, in order to compensate in Rabi season and to provide for the DAP which is required now. The farmers of West Bengal are asking for DAP. Now, one rack will come from Kandla Port of Gujarat because 100 per cent is imported as we have closed down all the seven fertilizer units and also one unit in the private sector, that is, Duncan of Kanpur.

MADAM SPEAKER: Please frame your question.

SHRI BASU DEB ACHARIA : This unit has been closed for the last five years.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदया : आपका प्वाइंट ऑफ आर्डर कौन से नियम के तहत है?

श्री जगदम्बिका पाल : मैं नियम 197 के अंतर्गत प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाना चाहता हूँ।

श्री बसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदया, इनका क्या प्वाइंट ऑफ आर्डर होगा। Under what rule?

SHRI JAGDAMBIKA PAL : “A member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance and the Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date:

Provided that no member shall give more than two such notices for any one sitting.”

जो आपने उसकी परमीशन दे दी।

“There shall be no debate on such statement at the time it is made but each member in whose name the item stands in the list of business may, with the permission of the Speaker, ask a clarificatory question and the Minister shall reply at the end to all such questions.”

श्री बसुदेव आचार्य : आप नए मैम्बर हैं।...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि प्रश्न पूछना है या डिबेट है?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बसुदेव आचार्य जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : मैंने आपकी अनुमति से व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।...(व्यवधान)

अब आप इसमें कृपया व्यवस्था दीजिए अन्यथा हमें भी खाद में रुचि है। हमने ज़ीरो आवर में बोलने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन हमें बोलने का मौका नहीं मिला।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : वे बोल रहे हैं तो आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : अगर आप इस पर डिबेट करने का मौका दे रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी अनुमति दे दीजिए, क्योंकि मैंने भी कल ज़ीरो आवर में बोलने के लिए नोटिस दिया था लेकिन मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला। कल हाउस को इस सवाल पर एडजर्न करा दिया गया। क्या इस पर डिबेट हो सकती है या केवल सवाल क्लेरीफाई करने के लिए क्लेरीफिकेटरी क्वश्चैन पूछा जा सकता है? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ऐसा है कि जो प्रथम वक्ता होता है, उसे लगभग दस मिनट का समय दिया जाता है। इस समय में वह अपना प्रश्न पूछेंगे। बसुदेव जी, अब आपका समय समाप्त हो रहा है।



...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : आप हमें भी इस विषय पर बोलने के लिए परमीशन क्यों नहीं दे देतीं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : I am asking the question.... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please sit down. There is no debate taking place. इस विषय पर कोई डिबेट नहीं हो रही है। यह कालिंग अटेंशन है और जिस तरह से होना चाहिए, वैसे ही हो रहा है। बसुदेव जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। **Do not prolong, ask your question.**

...(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA : The Hon. Minister has stated that fertilizer is available. But the availability of fertilizer will not solve the problem of farmers unless farmers get the fertilizer at subsidized rates. Farmers are not getting it.

He has mentioned about only three States. I can mention about more than three States. There are major States like Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal where every year the consumption of fertilizer is increasing.

MADAM SPEAKER: Basu Deb Achariaji, please conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I would like to know what measures the Minister of State for Fertilizer will take immediately. It has to be taken immediately. It cannot be delayed. Farmers cannot wait for one month to get DAP. They need DAP immediately. But it is not made available to the farmer. I do not know where it is made available. What the Minister has stated is ...

MADAM SPEAKER: Please conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA : In order to reduce the import of Urea, DAP and MOP, what has been decided by the UPA Government in its earlier incarnation was that all the closed fertilizer units starting from Gorakpur to Ramagundam, seven units, will be revived. I would like to know whether Government will take steps to revive and restart production in those units, so that the import of DAP, Urea and MOP can be reduced substantially. I have also mentioned about Barauni in Bihar.

Then we revert to the availability of seeds. He has mentioned about the certified seeds. What about foundation seeds?

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, आप उन्हें बोलने दीजिए। यह तो कोई बात नहीं हुई कि उन्होंने कह दिया, तो आपने उनको बैठने के लिए कह दिया। आप उन्हें शार्ट में बोलने के लिए कह दीजिए। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: You have touched all the points. Basu Deb Achariaji, please address the Chair. Now please conclude.

SHRI BASU DEB ACHARIA: There is a shortage of foundation seeds everywhere. 25 per cent production depends on quality seeds, certified seeds, foundation seeds. But seeds are not being made available. In order to increase Rabi production, whether they will supply all types of seeds, both certified as well as foundation seeds, so that farmers can get the seeds and the production can be increased ... *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदया : बसुदेव जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आपने प्रश्न पूछ लिये, इसलिए अब आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बसुदेव जी, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। भर्तृहरि महताब जी, अब आप बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आचार्य जी, अब आप जो भी बोल रहे हैं, वह रिकार्ड में नहीं जायेगा। आप बैठ जाइये। Thank you so much.

...(व्यवधान) ... *

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, thank you very much for allowing me to participate and put certain questions regarding this Calling Attention relating to the situation arising out of shortage of fertilizers and seeds in the country and steps the Government intends to take in this regard. I would put my question on a different perspective relating to the same Calling Attention. The intention of India's fertilizer subsidy scheme is basically two-fold; firstly to ensure

* Not recorded.

availability of fertilizers at an affordable price to the farmers, and secondly to promote balanced fertilizer application, farm productivity and food security.

We are aware of the fact and that is why we have moved this Calling Attention Motion. I want to know whether subsidy outflow on account of phosphorous and potassium fertiliser for the year 2008-2009 went up to Rs. 57,618 crore from Rs. 15,290 crore in 2007-2008. I want to know whether this is 265 per cent increase in subsidy without enabling any substantial increase in food grains production which has been static in the range of 220 million tonnes for the past three years. I want to know whether being a major importer of fertiliser and intermediates we are not in a position to dictate terms in fixing global prices.

What steps the Government is taking for fixing the import price for fertilisers? I want to know whether the Government is going to fix the subsidy outflow and not leave it to the markets to decide? Is it true?

MADAM SPEAKER : Shri Mahtab, you also know; you have to ask one clarificatory question. Please concentrate on that.

SHRI B. MAHTAB : Yes, Madam. I will ask on shortage of fertilizers.

I want to know whether the Board for Construction of Public Sector Enterprises has proposed to the Government a revival of five-six fertiliser units with an investment of more than Rs. 50,000 crore. Is it true that the proposed revival of the units will be done by the Government funding mainly from revenue raised from ongoing disinvestment drive and what about Talcher Fertiliser Plant? Is it true that the Government has been increasing fertiliser subsidy for farmers thus inflating the import bill?

I want to know whether 88 per cent of the increase in subsidy has been due to sharp increase in international prices. Is it only 12 per cent increase in the past five years attributed to the increase in consumption of fertilisers? I would like to know about the reform agenda that the fertiliser department is working upon – are you going to shift from the cost plus subsidy system to a nutrient-based subsidy system?

As on today the use of balanced fertilisers had been stifled as only select products were subsidised and other fertilisers received no subsidy? Are you going to free MRPs from Government control? In this year's Budget speech the Finance Minister had signalled to move towards direct transfer of subsidy to farmers. What steps are being taken in this regard? Thank you.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे देश में उर्वरक एवं बीज की कमी पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

अभी इसके बारे में श्री बसुदेव आचार्य और महताब जी ने अपने विचार रखे हैं, कल शून्यकाल में भी यह प्रश्न उठा था और सदन को स्थगित करना पड़ा। केन्द्र सरकार राज्यों को बराबर दोषी करार देती है कि राज्यों की बिक्री और वितरण प्रणाली में दोष होने के कारण वहां पर वितरण प्रभावित होता है, जबकि भारत सरकार के पास राज्यों की कृषि जोत के आंकड़े उपलब्ध हैं, प्रति एकड़ किसान कितनी खाद का उपयोग करता है, यह बड़े विस्तार से मालूम है। मैं कहना चाहूंगा कि ब्लॉक स्तर पर खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सामान की दुलाई के लिए, भाड़े के लिए केन्द्र सरकार सब्सिडी दे, तभी जाकर खाद ब्लॉक लेवल पर उपलब्ध हो पाएगी।

जहां तक बीज की बात है, नेशनल सीड्स कारपोरेशन और उत्तर प्रदेश बीज निगम में भी बीज की कमी है। बीज आप बराबर भेज रहे हैं, लेकिन वहां पर निर्धारित भाव पर न देकर औने-पौने दाम पर बीज निजी दुकानों से मिलता है। लेकिन किसानों से वहां ज्यादा दाम लिया जाता है। मेरे क्षेत्र में जब बीज उपलब्ध कराया गया, तो 440 रुपए के सापेक्ष में किसानों से 550 रुपए वसूल किए गए। जब हमने इस पर ऑब्जेक्शन किया तो 100-100 रुपए वापस किए गए। आपने वेबसाइट पर निगरानी समिति द्वारा उपलब्ध कराने की बात कही है, वह एक अच्छी बात है। आपने सिंगल सुपर फास्फेट की निगरानी समिति द्वारा उपलब्धता के बारे में खुली छूट दी है कि उसकी खुली बिक्री होगी। यह बात सही है कि इससे किसानों लाभ मिलेगा। पूरे देश के अंदर जो गैस आधारित फर्टिलाइजर है, वह आपने 2.1 करोड़ मीट्रिक टन आंका है, यह अच्छी बात है। लेकिन पूरे देश के अंदर 60 प्रतिशत प्राकृतिक गैस पर आधारित उर्वरक का उत्पादन होता है। यहां पर तमाम राज्यों के बारे में कहा गया है, लेकिन मैं अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वहां पर दो लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता थी। आपने 3,82,000 टन खाद उपलब्ध कराई, फिर भी वहां पर किल्लत है। किसान जाता है तो उसे लाठियां मिलती हैं और वाजिब दाम पर खाद नहीं मिल पाती है, खासकर डीएपी की। जैसा आपने अपने उत्तर में भी कहा है कि डीएपी की उपलब्धता उत्तर प्रदेश में नहीं है इसलिए हम इसे विशेष तौर पर देखेंगे। आपने पहले ही अपने जवाब में

कह दिया कि पूरे देश के अंदर स्थिति संतोषजनक है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह भ्रामक है। मैं चाहूँगा कि किसानों को खाद पर सीधे सब्सिडी देनी चाहिए, तब किसान उत्पादन कर पाएगा। बिहार, झारखंड, असम में उर्वरक के सरकारी वितरण एजेंसीज नहीं हैं, इससे वहां खामियां हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आप खाद दे रहे हैं। देखने में यह आया है कि ज्यादातर सहकारी संस्थाएं दिवालिया हैं, वहां की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। किसान निजी दुकानों से खाद लाता है, तो उसकी गुणवत्ता की गारंटी नहीं रहती। आपकी उर्वरक की जो बीमार इकाइयां हैं, मैं चाहूँगा कि उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए आप 50,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान करें, जिससे वे चालू हो सकें और लोगों को खाद मिल सके। राज्यों में गलत आकलन और लचर व्यवस्था की बात आपने कही है, इसे विस्तार से देखना पड़ेगा। आने वाले समय में रबी की फसल पर गेहूँ, दलहन आदि पर इसका सीधा असर पड़ेगा, अगर किसानों को सही वक्त पर खाद मुहैया नहीं कराई गई।

अध्यक्ष महोदया: अब आप अपनी बात समाप्त करें। आप जो स्पष्टीकरण चाहते हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछ कर अपनी बात समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र से 48 लाख मीट्रिक टन की मांग की थी, आपने 30 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 12 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 4.5 लाख मीट्रिक टन एनपीके की खाद की व्यवस्था कराई है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको देखना पड़ेगा, राज्यों की निगरानी करनी पड़ेगी कि राज्य की मांग के सापेक्ष में आप आपूर्ति कर रहे हैं या नहीं, तब जाकर हम कुछ कर पाएंगे। जहां तक डीएपी की किल्लत की बात आपने कही है, इस समय रबी की बुवाई चरम सीमा पर है और किसान खाद के लिए दर-दर भटक रहा है। इसके बावजूद खाद की कालाबाजारी हो रही है। इस बारे में कल भी कई माननीय सदस्यों ने कहा था। मध्य प्रदेश की सीमा पार खाद भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश से चाहे नेपाल हो या बांग्लादेश वहां पर खाद जा रही है और इसकी खूब कालाबाजारी तथा चोरबाजारी हो रही है। इससे देश में एग्रीकल्चरल क्राइसेज़ आएगी, तब आप विवश होकर चावल आयात करेंगे, जैसे अभी गेहूँ बाहर से मंगा रहे हैं। इससे राजस्व पर बोझ बढ़ेगा।

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछकर अपनी बात समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : ये जो तमाम प्रश्न किए गए हैं, मैं चाहूँगा मंत्री जी इनका सकारात्मक जवाब देंगे। पूरे देश में इस समय उर्वरक और डीएपी की जो कमी है, वह दूर करने की बात कहेंगे। जिन राज्यों का आपने उल्लेख किया है, उनकी पुनः रिपोर्ट मंगाएं और वहां खाद मुहैया कराएं। खाद की वितरण प्रणाली की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, तो आप सरकारी माध्यम से पुनः सहकारी विक्रय केन्द्र खोलकर इन खादों का वितरण कराएं, तब जाकर किसान को समय पर खाद मिलेगी और किसान खुशहाल होगा। रबी की फसल

की जो चुनौती हमारे सामने है, वह भी पूरी हो सकेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री लालजी टण्डन (लखनऊ): महोदया, आज उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में खाद की कमी के कारण, सूखे के कारण या अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसल प्रभावित हुई है। एक उम्मीद थी कि खरी की फसल अच्छी होने पर बाजार पर कुछ नियंत्रण किया जा सकेगा। लेकिन हालत यह है कि कहीं भी खाद उपलब्ध नहीं है और जो है वह ब्लैक में बिक रही है। सरकारी आंकड़ों पर भी अगर आप ध्यान दें तो 37 लाख टन डीएपी की जरूरत है लेकिन हमारे पास 19.51 लाख टन खाद है। गेहूं की बुवाई के पहले डीएपी की जरूरत होती है। कितनी ही जगह बुवाई हो गयी है और डीएपी उपलब्ध नहीं हुई है। अक्टूबर से नवम्बर के बीच में इसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है और इसी समय बाजार से यह गायब है।

अभी मेरे पूर्व-वक्ता कह रहे थे कि जो कमी है वह तो है ही लेकिन जो उपलब्ध है उसकी भी स्मग्लिंग दूसरे राज्यों में हो रही है और उसे न केन्द्र सरकार और न ही राज्य सरकारें रोक पा रही हैं। आखिर किसान क्या करे, उसकी उत्पादन क्षमता घटती जा रही है। यहां पर माननीय कृषि मंत्री जी मौजूद नहीं है, कल उन्होंने स्वीकार किया था कि खाद की कमी को जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। लेकिन आज ध्यानाकर्षण के माध्यम से उन्हें यह बताना है कि उस कमी को कैसे वे पूरा करेंगे, तो वह यहां नहीं हैं। यूरिया अगर चार दिन बाद भी मिले तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है लेकिन डीएपी बुवाई के पहले नहीं मिली तो हमारा जो उत्पादन का लक्ष्य है वह घट जाएगा और उसके कारण महंगाई और बढ़ जाएगी। जो लक्ष्य सरकार निर्धारित करती है वह इन सब चीजों से जुड़े हुए होते हैं।

हम तरह-तरह के नये उद्योग लगाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं लेकिन जो फूड-ग्रेन्स हमारी बेसिक नीड है उसके लिए जो आवश्यक उद्योग हैं उन्हें लगाने के लिए भी क्या कोई व्यवस्था है? हमारी प्राथमिकता में वे आते हैं या नहीं आते हैं? माननीय मंत्री जी को बताना होगा कि आखिर क्या योजना है जिससे इस खाद की कमी को दूर किया जा सकेगा। हम कब तक आयात पर निर्भर करेंगे, हमारा किसान ब्लैक-मार्किटिंग से कब तक जूझता रहेगा? जो अब थोड़े से दिन बचे हैं, इसमें हम किसानों को डीएपी उपलब्ध करा दें ताकि बुवाई हो सके। यही हालत बीजों की है। ... (व्यवधान)

श्री जे.एम.आरुन रशीद (थेनी): कांग्रेस किसानों को लिए बहुत कुछ कर रही है।... (व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): कांग्रेस का किसानों से कोई मतलब नहीं है। कृषि मंत्री जी यहां मौजूद होते तो चिंता होती।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें विघ्न मत डालिये।

श्री लालजी टण्डन : क्या माननीय सदस्य उन आंकड़ों को गलत साबित करना चाहते हैं जो सरकार की तरफ से पेश किये गये हैं। आज जितनी आवश्यकता है उतनी खाद उपलब्ध नहीं है। क्या माननीय सदस्य इसे गलत कहना चाहते हैं। आज जगह-जगह बीजों का अभाव है, बीज नहीं मिल रहा है। अगर बीज मिल भी रहे हैं, तो ब्लैक में मिल रहे हैं। उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है। रबी की फसल पर इसका भयंकर दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। अगर हम सावधान नहीं हुए, तो लोग भूख से मरेंगे। जब हमारे देश में अनाज का उत्पादन नहीं होगा, जब हम विदेश से अनाज का आयात करेंगे, तब हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था मज़ाक बन कर रह जाएगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सरकार को निर्देश दें कि तत्काल जिस तरह से भी हो सके, खाद को उपलब्ध कराए।



अध्यक्ष महोदया : अब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदया, सारे देश में हाहाकार मचा हुआ है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया बैठ जाएं, तभी हम कुछ कहेंगे।

...(व्यवधान)

SHRI J.M. AARON RASHID : About Rs.30,000 crore subsidies has been given to the State Governments... *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदया : आप शांत रहिए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Lalji Tandon has said.

*(Interruptions) ... **

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदया, कृपया मुझे एक मिनट बोलने का मौका दीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम ऐसे कैसे आपको बोलने का मौका दे सकते हैं। आपको भी मालूम है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में डिबेट नहीं होती है। 193 के अंतर्गत डिबेट होती है या डिबेट करने के और भी जरिए हैं। अगर आप नोटिस देंगे, तो हम डिबेट करा लेंगे और सभी सदस्य उसमें हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन ध्यानाकर्षण में नियमानुसार डिबेट नहीं हो सकती है। आप आज इसे होने दीजिए। मुझे मालूम है कि आप सभी लोग इस

विषय पर चिंतित हैं और आप अपने सुझाव सदन में रखना चाहते हैं। आप नोटिस दीजिए, हम इस पर बहस करवा लेंगे, लेकिन इस समय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर डिबेट करवाना संभव नहीं है।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदया, लेकिन एक-एक सवाल पूछने की इजाजत तो है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please sit down. आप मंत्री जी का उत्तर सुनिए।

...(व्यवधान)

SHRI SRIKANT JENA: Thank you Madam Speaker. I am thankful to Shri Basu Deb Achariaji and other Members those who have raised this important issue today. ...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): मंत्री जी सभी सदस्यों की बात सुनेंगे, तभी तो उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना: फर्टिलाइजर को लेकर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह : मैं मध्य प्रदेश के मामले में भी जवाब चाहता हूँ।...(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : मध्य प्रदेश का जवाब भी मैं दे दूंगा। मैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ...(व्यवधान)

आप मुझे थोड़ा समय तो दीजिए। Please let me respond to the debate. I will give answers to all your questions. ऐसे नहीं होता है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदय जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उनको बोलने का मौका तो दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : आप थोड़ा सुन लीजिए। आप बैठिए न।...(व्यवधान) आप अगर नहीं सुनेंगे तो मैं क्या करूँ?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया मंत्री महोदय की बात तो आप सुन लीजिए। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Only what the Minister will say will go on record.

*(Interruptions) ... **

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप सब बैठ जाइए। उनकी बात तो सुन लीजिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जो नियम है, उसी के अनुसार है। आप कृपा करके मंत्री महोदय जो कहना चाह रहे हैं, उनकी बात तो आप सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उनकी बात को सुने बिना किस चीज पर एतराज कर रहे हैं? जब वह कुछ कहेंगे तब आप पूछिएगा कि ये-ये बातें नहीं कही। पहले आप उनकी बातें सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : आप बैठ जाइए। आप मेरी बात तो पहले सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदया : संजय निरुपम जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदया, देश में किसानों की दशा बहुत दयनीय है। किसान बहुत परेशान हैं।...(व्यवधान)

SHRI SRIKANT JENA: I will answer all the points raised in the House. आप सुनिए न। आप मंत्री हो चुके हैं, आप क्यों इतनी जोर से बोल रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया बैठिए। उनकी बात सुन लीजिए। रघुवंश प्रसाद जी, आप पहले उनकी बात सुन लीजिए। उनका वक्तव्य सुन लीजिए। फिर आपको कोई एतराज हो, कोई आपका स्पष्टीकरण हो, तब आप बात करिएगा। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : देखिए, जितने उनके प्रश्न हैं, उनकी शंकाएं हैं, उन सबका आप समाधान करिए।

...(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : मैडम, मैं जरूर जवाब दूंगा। I am prepared to give you all the answers.

... *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदया : आपको उन्हें सुनना है कि नहीं सुनना है? यह मुझे बता दीजिए। इस महत्वपूर्ण विषय पर आपको मंत्री महोदय की बात सुननी है या नहीं सुननी है, यह मुझे बता दीजिए। अगर नहीं सुनना है तो वह भी मुझे स्पष्ट बता दीजिए। आपको सुनना है या नहीं सुनना है?

...(व्यवधान)

13.00 hrs.

अध्यक्ष महोदया : आपको मंत्री जी की बात सुननी है या नहीं? यह स्पष्ट बताइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अगर बात सुननी है तो बैठ जाइए। इतने महत्वपूर्ण विषय के संबंध में उत्तर सुनना है या नहीं सुनना है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आप मंत्री जी को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए तभी तो मंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : रघुवंश प्रसाद जी, मैं समझ रही हूँ कि आपको बहुत तकलीफ है लेकिन आप मंत्री जी का वक्तव्य सुन लीजिए। आप कृपा करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम समझ रहे हैं कि आप सबको किसानों के बारे में कितनी तकलीफ है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैं जान गई हूँ आपके अंदर जो तकलीफ है उसके कारण ऐसा हो रहा है लेकिन आप मंत्री जी की बात भी सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

SHRI SRIKANT JENA: Thank you very much, Madam Speaker. ...
(Interruptions) Please listen to my reply, hon. Members. I will answer to all of your concerns in every respect. Shri Basu Deb Babu has raised three major issues – firstly, availability of fertilizers in different parts of the country and in different

States; secondly, there is a shortage of fertilizers, about which I have already made a statement, and I would give a detailed picture of the availability of fertilizers in different parts of the country. I am responding to you. ... (*Interruptions*) Thirdly, the closure of the units and its revival package. These are the three major issues which have been raised. ... (*Interruptions*) Let me complete first. You can supplement later. ... (*Interruptions*) Shri Shailendra ji, I am very thankful to you that as you know, most of these fertilizers – if you see the records – the requirements given to us by the State Governments through Department of Agriculture to the Ministry of Fertilizers and on the basis of that, whatever was your requirement in every State in terms of the requirement and availability, I would say that availability is more than the requirement. I will give the certificate of different State Governments, which I can place it, if you want. ... (*Interruptions*) Please listen to me. Let me complete. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: This will not go on record. Except the Minister's statement, nothing will go on record.

(*Interruptions*) ... *

श्री श्रीकांत जेना: अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम क्या करेंगे?...(*व्यवधान*) आप हमारी बात सुन लीजिए!...(*व्यवधान*) पहले मुझे अपनी बात कम्पलीट कर लेने दीजिए!...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। पहले उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया : आप फिर क्यों खड़े हो गए? आप बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, आप बोलिए।

...(*व्यवधान*)

SHRI SRIKANT JENA: Let me start from Uttar Pradesh. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, please continue.

... (*Interruptions*)

SHRI SRIKANT JENA: The availability of.... ... (*Interruptions*)

* Not recorded.

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, please address the Chair and continue.

... (Interruptions)

SHRI SRIKANT JENA: Madam, as you know, the Fertilizer Control Order is very specific. The duty of the Government of India is to make available the subsidized fertilizers at the district points of each State as per the requirement placed in advance by the State Government through the Agriculture Ministry and on the basis of that, we make available fertilizer to the district points as per their requirement. Whether it is urea or DAP or complex fertilizers, we always give it at the district points as per the supply plan of different State Governments. ... (Interruptions)

I am coming to that issue.

महोदया, मैं यू.पी. के बारे में फिगरर्स बता रहा हूँ। वर्ष 2009-10 में उत्तर प्रदेश में यूरिया की रिक्वायरमेंट 33 लाख मीट्रिक टन थी और हमने 30.73 लाख मीट्रिक टन यूरिया अवेलेबल कराया है।... (व्यवधान) This was certified by the Agriculture Department of the U.P. Government.

महोदया, 30.73 लाख मीट्रिक टन जा चुका है। इसमें से केवल 24.45 लाख मीट्रिक टन यूरिया सेल हुआ है।... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please address the Chair.

... (व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : मेरी बात सुन लीजिए। श्री लालजी टंडन बता रहे थे कि डी.ए.पी. की रिक्वायरमेंट है। मैं बता रहा हूँ कि यूरिया में प्रॉब्लम नहीं है। डी.ए.पी. की रिक्वायरमेंट अभी है।... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Only the hon. Minister's statement will go on record.

... (व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : अध्यक्ष महोदया, मैं यू.पी. के बारे में अभी बता रहा हूँ। बिहार के बारे में बाद में बताऊंगा।... (व्यवधान) हमने यू.पी. को 13 लाख मीट्रिक टन में से 12.29 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध कराया है और अभी नवम्बर खत्म होने में सात दिन बाकी है।... (व्यवधान) एक चीज तो मैं साफ बतला दूँ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। मंत्री महोदय को अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप बैठ जाइए।

श्री दारा सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश में जब से हमारी सरकार आई है ... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, यदि उत्तर प्रदेश सरकार ने काम ठीक नहीं किया है, तो ... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ... **

SHRI SRIKANT JENA: As per the Fertilizer Control Order, the State Governments are supposed to monitor and distribute fertilizer inside the State. If there is any black-marketing, under the Essential Commodities Act, they can arrest, and prosecute; we have been writing to the Chief Secretary of Uttar Pradesh also, to please take immediate action on this. But smuggling is taking place; we have written to the State Governments.

I am not politicizing this issue; I am only stating the facts before the august House so that the hon. Members can really know what is the scenario. In 2008-09, there was a good rainfall. In spite of the bad monsoon in 2009-10, we have supplied more fertilizer than what was the case in 2008-09. If the hon. Members understand, they could ask the State Governments as to where it has gone, when it was made available, and why they did not take action, why the Agriculture Ministry did not take any action. That is my point.

Last year, 2008-09, the total subsidy package was Rs.1,17,000 crore; this year, in 2009-10, the subsidy bill may even cross Rs.70,000 crore. If anybody asks this question as to why it was high last year, it is because of the international price; we are importing it and it was on a higher side. This year, the international prices of different fertilizers have gone down, but the quantity has not gone down. As per the requirement, we have supplied, and more than that also.

The only problem is that the small States like Punjab and other States like Maharashtra, through their cooperative societies, are pre-positioning their

* Not recorded.

fertilizer, keeping in view that in rabi, this requirement will be immediately supplied to the farmers; it is because the cooperative organizations in those States are really in operation, whereas in Uttar Pradesh, I am sorry to say this; I do not want to make any comment; but something has to be done. We have supplied, but that is not going to the farmers. That is the whole problem. Let me complete.

श्री दारा सिंह चौहान : महोदया, जितनी खाद यहां से दी गई है, वह सब बांटी गई है, लेकिन जो हमारी डिमांड है, उसे केन्द्र द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदय के अतिरिक्त किसी भी माननीय सदस्य का भाषण रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Only the Minister's statement will go on record.

*(Interruptions) ... **

SHRI SRIKANT JENA: So far as West Bengal is concerned... *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। मंत्री जी को सुनिये। वे आपको बता रहे हैं।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please address the Chair and continue making your statement.

SHRI SRIKANT JENA: Let me now come to West Bengal. In West Bengal the requirement of Urea in 2009-10 was 7,16,000 MT.... *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया बैठ जाइये। आप भी बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। आप बीच में बहुत बोल रहे हैं। आप बीच में मत बोलिये। यहां किसानों के हित की बात हो रही है। आप बीच में इतना मत बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। किसानों के हित की बात हो रही है।

... (व्यवधान)

SHRI SRIKANT JENA: In West Bengal the requirement of Urea fertilizer was 7,16,000 MT and the availability was 6.75 LMT. There is a surplus of fertilizer in West Bengal also. So far as DAP is concerned, its requirement was 3.07 LMT...
(Interruptions)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Mr. Minister, you may continue.

SHRISRIKANT JENA: The requirement of DAP in West Bengal was 3.07 LMT and the supply position is 3.10 LMT. There is a surplus.

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये और मंत्री महोदय को सुनिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। अब आप बोलिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया आप कंटीन्चु करें।

SHRI SRIKANT JENA: Let me place the facts with regard to West Bengal before the House. The requirement of DAP in West Bengal was 3.07 lakh MT and the supply position is 3.10 lakh MT.... (Interruptions)

MADAM SPEAKER: You may continue with your statement.

SHRI SRIKANT JENA: Madam, the total scenario of fertilizer in the country is actually satisfactory. I would request the hon. Members if they have shortage of any fertilizer anywhere in their parliamentary constituencies... (Interruptions)
There is absolutely no shortage of fertilizers, including DAP, in the country. A special care is taken... (Interruptions)

With these words I assure this august House that there will be absolutely no problem so far as the availability of fertilizer is concerned.

(Placed in Library See No.LT 840/15/09)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet at 2.30 p.m.

13.14 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till thirty minutes past Fourteen of the Clock.



14.30 hrs

*The Lok Sabha re-assembled after Lunch at thirty minutes past
Fourteen of the Clock.*

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Matters under Rule 377.

Shri P. Viswanathan.

SHRI P. VISWANATHAN (KANCHEEPURAM): Mr. Deputy-Speaker Sir, I would like to raise an important matter under Rule 377.... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : जो आपने दिया है, उसी को पढ़िए। डिटेल्स मत बताइए।

... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Only the approved text will go on record. Do not read other than the approved text.

**(i) Need to erect a wall along the sea coast in Kancheepuram
Parliamentary Constituency to provide protection to the
Coastal villages and Nuclear Power Station against high tidal waves**

SHRI P. VISWANATHAN (KANCHEEPURAM): Sir, in my constituency Kancheepuram, along the 66 kilometre coastline, there are 34 villages with about 25,000 fishermen families. High tidal waves cause severe sea erosion, submerging the coastal area inhabited by fishermen since 1966, and coastal landward length of sea ranging from 25 to 300 metres have been occupied by sea. The Nuclear Power Station of Kalpakkam had to be shut down during the Tsunami in 2004.

Due to the North East Monsoon effect, the coastal villages of Pudupattinam and Uyyalipuppam were seriously affected. The coastal belt can be protected from sea erosion by construction of groyne walls.

I request the Central Government to take up the work on top priority so that the fishermen families can be protected.

(ii) Need to take stringent action against the persons and companies indulging in adulteration of milk and milk products in the country.

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): महोदय, पूरे देश में नकली दूध, नकली घी का कारोबार फैल गया है। देश के विभिन्न राज्यों, शहरों विशेषकर दिल्ली, मुम्बई, उत्तर प्रदेश हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों में नकली दूध का बड़े पैमाने पर निर्माण एवं कारोबार होने से लोगों, बच्चों, महिलाओं, बीमार व्यक्तियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

अतएव सरकार से मांग है कि नकली दूध का निर्माण करने वाली कंपनियों, व्यक्तियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाए।

(iii) Need to set up a Cashew Board in district Kollam, Kerala.

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Cashew is one of the major industries in Kerala. We are earning crores of rupees as foreign exchange from cashew exports. About 90 per cent of the cashew processing units are in Kerala especially in Kollam district. Around 2 lakh cashew workers are working in Kollam, Alleppy, Pattanamthitta and Trivandrum. More than 300 cashew factories are running in Kerala. Cashew trees are also in Kannoor and Kasargod districts. There is a proposal for setting up of Cashew Board under the Ministry of Agriculture. Setting up of a Cashew Board is a long pending demand from the Kerala State. There is an urgent need to set up the Cashew Board in Kollam district, Kerala. Only then the cashew industry can be promoted and farmers' and workers' interests can be protected and we can earn more foreign exchange.

Keeping in view the above facts, I urge upon the Minister of Agriculture to set up the Cashew Board in Kollam at the earliest.

(iv) Need to release the share of Central Funds for payment to farmers whose crops have been damaged due to drought in Andhra Pradesh.

SHRI ANANTHA VENKATARAMI REDDY (ANANTAPUR): Sir, the State of Andhra Pradesh has faced severe drought last year, 2008, in kharif season and a large number of farmers have suffered losses. The Agriculture Insurance Company of India Limited, after taking all facts into account, had approved the first instalment of claims of Andhra Pradesh amounting to Rs. 801 crores for kharif season of 2008. Out of this, the share of the Government of India is Rs. 356 crore. The Government of Andhra Pradesh has released its share and the Government of India has to release its share of the total amount for payment of AICI.

I understand that the funds allocated by the Ministry of Finance for this purpose for the current year is only Rs. 640 crore and it is insufficient to meet this demand as the total amount payable by AICI works out to more than Rs. 3,200 crore and the share of the Central Government works out to approximately Rs. 1,500 crore. In this connection, I submit that the farmers have suffered great losses and are looking forward to the receipt of this amount from the AICI which would mitigate their grievances to some extent. The matter pertains to 2008 and the payment is already delayed.

I would request the Government of India to take immediate steps to obtain additional funds from the Ministry of Finance and release the share of the Government of India so that the payments could be made by the AICI to the farmers who suffered losses.

श्री विलास मुत्तेमवार	अनुपस्थित
श्री मनसुखभाई डी. वसावा	अनुपस्थित
डॉ. मुरली मनोहर जोशी	अनुपस्थित

(v) Need to release special grants for “Sandhya Courts” in Gujarat

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): महोदय, गुजरात सरकार ने गुजरात हाई कोर्ट के परामर्श से सांध्य कोर्ट नाम की योजना 14.11.2006 से चालू की है। हाल में 42 ऐसे कोर्ट राज्य में कार्यान्वित हैं। भारत सरकार से खास अनुदान के लिए विनती की गई है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस योजना हेतु खास अनुदान शीघ्र ही आवंटित किया जाए।

(vi) Need to open Indian Institute of Information Technology and Indian Institute of Management in Himachal Pradesh.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना जिला ऊना में किया जाना प्रस्तावित है। ऊना के उपायुक्त द्वारा अप मोहल सम-लैहड़ी में 132 एकड़ एकड़ भूमि इस हेतु चिन्हित की जा चुकी है जिसकी सूचना प्रदेश सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रेषित की जा चुकी है। अब उक्त संस्थान की स्थापना हेतु भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति आनी शेष है।

महोदय, मेरा निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के एवरेज के मुकाबले दुगना हाई एनरोलमेंट रेट प्राप्त कर लिया है। अतः वहां एक आईआईएम की स्थापना किया जाना भी अनिवार्य हो गया है। अतः मेरा आग्रह है कि उक्त दोनों संस्थानों की स्थापना हेतु तत्काल सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए सभी आवश्यक कार्यवाई शीघ्रतिशीघ्र की जाए।

(vii) Need to set up a NTPC power plant in District Chitrakoot, Uttar Pradesh.

श्री आर.के.सिंह पटेल (बांदा): महोदय, देश में ऊर्जा के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास समय-समय पर किए जाते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक विद्युत आपूर्ति की कमी बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी विद्युत की कमी के कारण नई औद्योगिक इकाइयों को स्थापित नहीं किया जा सका।

उ.प्र. के अति पिछड़े बुन्देलखंड के जनपद चित्रकूट में विद्युत की कमी एवं पिछड़े क्षेत्र की बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार द्वारा एक एनटीपीसी प्लांट लगाए जाने की मैं मांग करता हूँ।

उक्त क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है। पावर प्लांट लगाने से उ.प्र. व म.प्र. के किसानों एवं उद्योगों को तथा ग्रामीण क्षेत्रों को पर्याप्त बिजली मिलेगी तथा पिछड़े क्षेत्र का विकास हो सकेगा एवं नई औद्योगिक इकाइयों का गठन हो सकेगा।

अतः मैं जनपद चित्रकूट उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी प्लांट को शीघ्र लगाए जाने की मांग करता हूँ।

(viii) Need to provide air-conditioned chair car coach in Sahrasa-Danapur (train No. 3225A) and Danapur-Sahrasa Intercity Express (train No. 3226A) in East Central Railway Zone

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर अंतर्गत गाड़ी संख्या 3225 ए, सहरसा-दानापुर एवं गाड़ी संख्या 3226 ए, दानापुर-सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस में वातानुकूलित चेयरकार कोच शुरू से ही लगा हुआ था, लेकिन विगत 4-5 महीने से इंटरसिटी एक्सप्रेस से वातानुकूलित चेयरकार कोच हटा दिया गया है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है।

अतः गाड़ी संख्या 3225 ए, एवं गाड़ी संख्या 3226 ए, इंटरसिटी एक्सप्रेस में वातानुकूलित चेयरकार कोच की सुविधा पुनः बहाल करायी जाये।

(ix) Need to include the Attingal revolt of 1721 in the history syllabus for school children

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): The first revolt against the colonialism of the English East India Company erupted in April 1721 in the Angengo (Anjuthengu) of Attingal in Thiruvananthapuram district of Kerala. Anjengo was one of the earliest settlements of the British in East India Company India. Even though the revolt was crushed after several weeks, the spirit of the people could not be put down by the imperial rulers. The glorious history of the Attingal revolt still inspires the people to kindle the feelings of anti-imperialism and the peoples struggle for self-rule.

Hence, I urge upon the Government to include the Attingal revolt of 1721 in the history syllabus of school children at the earliest.

(x) Need to sanction rice under `Antyoday Anna Yojana' for additional BPL families in Kandhamal district of Orissa

SHRI RUDRAMADHAB RAY (KANDHAMAL): As per the World Bank Report, 2008 the food security is lowest in Kandhamal district and is at the bottom of the country. The percentage of S.T. population is 53 per cent. The intake capacity of food by the people of Kandhamal district is very low. Moreover, 25,000 families in Kandhamal district are out of BPL category due to a mistake in survey. As such these families are deprived of availing BPL rice at Rs. 2 per kg as introduced by the Government of Orissa.

The hon. Chief Minister of Orissa has requested the hon. Minister of Agriculture, the Government of India to sanction rice so as to cover 25,000 additional Antyoday Anna Yojana (AAY) families to enable them to avail rice at Rs. 2 per kg.

It is, therefore, urged upon the Union Government to sanction AAY rice for additional 25,000 families in Kandhamal district of Orissa urgently.

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पी. कुमार, - अनुपस्थित।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मजूमदार, आपने बंगला भाषा में बोलने का नोटिस नहीं दिया है।

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार (बलूरघाट): हमने बंगला में लिखकर दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बंगला में बोलने का नोटिस देना चाहिए था। आप अंग्रेजी भाषा में पढ़ लीजिए।

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार : हम बंगला से ही पढ़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप बंगला में बोलेंगे, तो वह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने अंग्रेजी भाषा में नोटिस दिया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में बहस न करिए । आपने नोटिस अंग्रेजी में दिया है, आप अंग्रेजी में पढ़िए।

अगर आपको बांग्ला भाषा में बोलना है, तो पहले नोटिस देना चाहिए था ।



**(xi) Need to organize education tours to
Andaman & Nicobar Islands**

SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): People who had participated in the freedom struggle of India against the Britishers had to sacrifice their lives. Many of them were confined in a jail in the Andaman & Nicobar Islands. Thus, from the historical perspective, these Islands are extremely significant. The Cellular Jail was home to hundreds of prisoners who fought valiantly for their country. The Jail occupies a prominent place in the history of the freedom movement.

Students of the present generation feel an urge to visit this historical place but are not able to go there due to financial constraints and lack of proper transport facilities. Especially, the airfare is too high. I, therefore, urge upon the HRD Ministry to arrange for educational tours to help the students visit the Islands, to see the Cellular Jail and also support them financially.

SHRI BISHNU PADA RAY (ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS): Sir, I am on a point of order. He is referring to the Cellular Jail. That is a Rashtriya Smarak. He cannot say "Cellular Jail." ... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

Next, Shri Jose K. Mani – not present.

Shri Gutha Sukender Reddy. Please come in time in future.

(xii) Need to set up Cotton Purchase Centres of Cotton corporation of India in Nalgonda and Rangareddy districts of Andhra Pradesh

SHRI GUTHA SUKHENDER REDDY (NALGONDA): Thank you, Sir.

Farmers in Nalgonda and Rangareddy districts are selling off huge quantity of cotton to middlemen and private buyers at a cheap rate due to the absence of purchase centres of Cotton Corporation of India (CCI). Knowing well how to make hay while the sun shines, the market forces are buying cotton at the farmers' doorsteps in a big way.

However, no effort is being made by the Central Government to operate CCI purchase centres at Konda Mallepally, Suryapet and Valigonda in Nalgonda district and Vikarabad, Thandur, Pargi, Marpally Mandal, Chevella in Rangareddy district. Farmers raised cotton in more than 1.5 lakh acres and they reaped 7-9 quintals per acre in many areas.

Farmers have taken serious exception to the delay in opening the CCI centres in these districts. Farmers are at the mercy of private parties since the Government machinery has failed to come to their rescue at this critical juncture. Officials have failed to encourage the farmers to approach the CCI centres.

I, therefore, urge upon the Government of India to take immediate steps to procure the cotton from farmers by opening Cotton Purchase Centres in the above-referred places. CCI has also to visit the doorsteps of the farmers who are unable to bring their produce to the centres. It is also requested that efforts be made in quick delivery of payments to the farmers.

(xiii) Need to provide special allowance to the employees working in the coalfields located in the naxalite-affected areas

SHRI VILAS MUTTEMWAR (NAGPUR): Sir, the employees working in the Coalfields, particularly in the naxalite-affected areas, have to stay permanently at their place of posting along with their families. They have to put in their best to continue in the service. Their lives are already hazardous and the hazard becomes all the more difficult when coalfields are located in the Maoist-dominated areas. Therefore, they have been demanding a special allowance of 15 per cent as an incentive for working in the coalfields located in the naxalite-affected areas besides other allowances like tribal allowance, etc. The request of the employees appears to be quite genuine and I would urge upon the Government to consider the sanction of special allowance to the employees working in the Coalfields in the naxalite-affected areas.

Incidentally, the hon. Minister is here and, I hope, he will take cognizance of this appeal.

14.49 hrs**WORKMEN'S COMPENSATION (AMENDMENT)
BILL, 2009- Contd.**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now the House will take up item no. 16. Shri Arjun Meghwal.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2009 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह एक्ट बहुत पुराना है और वर्षों बाद इसमें संशोधन हो रहा है, जिसके लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। इसमें मुख्यतः चार प्रावधानों पर विशेष जोर दिया गया है। मैं इन प्रावधानों पर कुछ कहना चाहूँगा और उसके साथ ही कुछ सुझाव देना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि इस संशोधन विधेयक द्वारा परिभाषा बदली जा रही है। पहले जो 'वर्कमैन' अर्थात् कर्मकार शब्द था उसकी जगह अब 'इम्प्लॉई' शब्द का प्रयोग किया जाएगा। वर्कमैन और इम्प्लॉई की परिभाषा को लेकर नेशनल लेबर कमीशन और आईओएल की कंवेन्शन में थोड़ा फर्क है। लेकिन चूंकि यह यहां किया जा रहा है।

इस संशोधन विधेयक द्वारा जो चार प्रावधान किए जा रहे हैं, उन पर कुछ कहना चाहता हूँ। पहला प्रावधान यह किया गया है कि श्रमिक की मृत्यु होने पर वर्तमान दर 80,000 रुपए को बढ़ाकर 1,20,000 करने की बात है। दूसरा प्रावधान यह है कि स्थाई रूप से विकलांग होने पर वर्तमान दर 90,000 रुपए को बढ़ाकर 1,40,000 रुपए किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा काम करते-करते वर्कर की मृत्यु होने पर उसकी अंत्येष्टि के लिए वर्तमान दर 2500 रुपए थी, उसे बढ़ाकर 5,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। हालांकि वर्ष 2000 में इसे 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए किया गया था। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2000 के बाद अब इसमें संशोधन हो रहा है। संसद की लेबर मिनिस्ट्री से सम्बन्धित जो स्थाई समिति की रिपोर्ट थी, उसमें यह अनुशंसा की गई थी कि काम करने पर जब कर्मकार बीमार हो जाता है तो उसके इलाज के लिए रिअम्बर्समेंट का प्रावधान होना चाहिए, जो कि पहले नहीं था। इसलिए उसे मद्देनजर रखते हुए रिअम्बर्समेंट का प्रावधान किया जा रहा है। इस तरह देखा जाए तो मुख्यतः इन चार प्रावधानों पर यह संशोधन बिल केन्द्रित है।

मान्यवर, यह शायद अकेला ऐसा कानून है, जो वर्कमैन की सोशल सिव्योरिटी से सम्बन्ध नहीं रखता है। इसलिए इस बिल पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। विभिन्न संगठन इसमें काम करते हैं, उनसे भी चर्चा होनी चाहिए, कुछ असंगठित क्षेत्रों में जो श्रमिक काम करते हैं, उनसे भी चर्चा होनी चाहिए, जो सम्भवतः नहीं हुई है। इसलिए जो प्रावधान इस संशोधन बिल में रखे गए हैं, वे बहुत कम हैं। आपने मृत्यु पर वर्तमान दर 80,000 रुपए को बढ़ा कर 1,20,000 रुपए करने की बात कही है, यह ठीक है कि यह न्यूनतम है, लेकिन आपके एक्ट में पहले से ही गैप है और वह करीब 4000 रुपए का है। जब तक उस गैप को आप ठीक नहीं करेंगे, तो यह दर बढ़ाना भी प्रासंगिक नहीं होगा। आपने इस एक्ट में वेज लिमिट 4000 रुपए तक रखने का प्रावधान किया है। जब तक आप उस वेज लिमिट को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक दोनों प्रावधानों में प्रस्तावित दर का कोई फायदा नहीं होने वाला है। मृत्यु होने पर 1,20,000 रुपए, स्थाई रूप से अपंग होने पर 1,40,000 रुपए आप करने जा रहे हैं, इसका लॉजिक मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई 22 साल का कर्मकार मर जाए तो उसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। ठीक इसके विपरीत अगर कोई 50 साल का श्रमिक स्थाई रूप से अपंग हो जाए तो उसे आप ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो यह लॉजिक मेरी समझ में नहीं आया। कब मृत्यु होने पर कब पैसा मिलेगा, यह भी साफ नहीं है। फेटेलिटी पर ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, कम से कम दस लाख रुपए मिलने चाहिए और स्थाई रूप से अपंग होने पर कम से कम पांच लाख रुपए मिलने चाहिए। इसी तरह आप अंत्येष्टि के लिए वर्तमान दर 2500 रुपए को बढ़ाकर 5000 रुपए करने जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? अंत्येष्टि के बाद उसे एक-दो दिन और खर्च करना पड़ता है। आप लेबर को सचमुच में कुछ देना चाहते हो तो उसकी सीमा 10 हजार रुपये की जानी चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि पांच हजार रुपये में अंत्येष्टि हो जाएगी। फिर उसका तीन-चार साल तक कोई अमेंडमेंट नहीं आयेगा वरना फिर परेशानी बनी रहेगी। इलाज के खर्च का आप रिइम्बर्समेंट करना चाहते हो। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि जिस तरह हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सेक्टर में इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, जिसमें कुछ अंशदान भारत सरकार का है, कुछ अंशदान स्टेट गवर्नमेंट का है और कुछ प्रमोटर का अंशदान है। उनको मिलाकर के प्रीमियम जमा करा दिया जाता है और अगर हैंडलूम वीवर बीमार होता है, दस्तकार बीमार होता है तो उसका हैल्थकार्ड बनाकर इलाज फ्री होता है। क्यों नहीं उनकी राय लेकर के इस स्कीम को इस वर्कमैनशिप में लागू करें। क्यों आप अभी प्रतिपूर्ति की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कोई वर्कर बीमार हो गया, उसने कहीं इलाज करा लिया और फिर वह कागज लेकर जाएगा तो कहेंगे कि डाक्टर के साइन नहीं हैं, डाक्टर ने यह दवाई क्यों लिख दी, यह दवाई तो हमारे यहां रिइम्बर्समेंट में आती नहीं है। उसे रिइम्बर्समेंट लेते-लेते ही दो-चार महीने का समय लग जाएगा। मेरा यह सुझाव है कि आप जैसे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में, इंश्योरेंस स्कीम के माध्यम से, हैल्थ कार्ड बनाकर के सरकारी अस्पतालों में

इलाज प्री में हो रहा है और कुछ चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों को भी अधिकृत कर रखा है। वह योजना अगर इसमें लागू करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

दूसरी नेशनल लेबर कमीशन की रिपोर्ट और आईएलओ के कंवेन्शन में यह विचार बार-बार किया गया कि वर्कमैन एंड एम्पलाई की क्या एक ही परिभाषा है। इसमें हम एम्पलाई कर रहे हैं। कहीं यह कानूनी जकड़न में न फंस जाए। इसलिए इसे स्पष्ट करना जरूरी है। क्योंकि बिल रचनात्मक श्रमिक कल्याण की थीम पर आधारित होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने सजेशनस कर दिये और उसे लागू कर दिया।

धारा(20) में आपने कहा है कि अब कमीशनर की नियुक्ति होगी, उसका अधिकार आपने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, उसमें क्वालिफिकेशन में भी कुछ बदलाव प्रस्तावित किये हैं। इसमें यह उल्लेख नहीं है कि आपकी इस विषय पर राज्य सरकारों से बात हुई है या नहीं हुई है। एक चीज जो आपने इसमें कही है, हम उस प्रपोजल का स्वागत करते हैं और वह यह है कि तीन महीने में उसका निर्णय हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है लेकिन जो अभी तक लेबर कोर्ट और लेबर विभाग का हमारा अनुभव है और जो स्टेट गवर्नमेंट का अनुभव है कि कई सालों तक निर्णय नहीं होता है। अब आप कह रहे हैं कि हम तीन महीने में निर्णय कर देंगे तो मेरा यह सुझाव है कि यह तीन महीने वाली बात प्रैक्टिकल नहीं है। अगर यह प्रैक्टिकल है तो मैं इसमें यह बात जोड़ना चाहता हूँ कि अगर 6-7 महीने लग जाते हैं तो तीन महीने के बाद उस वर्कर को कम से कम इतना भत्ता और सुविधाएं मिलनी चाहिए जितनी वह काम करते हुए ले रहा था। यह इसमें संशोधन आना चाहिए, अन्यथा उस तीन महीने का कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक और चीज में इसमें संशोधन के माध्यम से जोड़ना चाहता हूँ कि प्रस्तावित एक्ट उन लोगों पर लागू नहीं होता है जिन पर एम्पलाई स्टेट इंश्योरेंस लागू है। यह अड़चन इसमें क्यों डाली जा रही है। इसमें वर्कर को ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि वह चाहे जिससे लाभ ले सकता है। उसे ऑप्शन देना इस एक्ट में बेहतर हो सकता है।

मोटर व्हीकल एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रीब्यूनल स्थापित किया है और उन्होंने जो फॉर्मूला तय किया है वह बेहतर है, इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उसी फॉर्मूले के आधार पर अगर कंपनसेशन की राशि तय होगी तो वर्कर को ज्यादा पैसा मिलेगा। यह फॉर्मूला, जब तक 4 हजार रुपए वेज सीलिंग की कैप है, इसे आप नहीं हटाएंगे, तो उसे ज्यादा पैसा मिलने वाला नहीं है।



15.00 hrs.

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो कर्मचारी खतरनाक इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, वहां अगर मालिक ने सेफ्टी मेजर्स नहीं लगाए हैं जैसे हेलमेट नहीं है, ग्लब्स नहीं हैं, मास्क नहीं हैं और अगर वहां किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, उस स्थिति में उस कर्मचारी को दुगुनी राशि मिलनी चाहिए। यह कारखाने के मालिक की जिम्मेदारी है कि वह सेफ्टी मेजर्स यूज करे और कर्मचारियों का बीमा कराए। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है या वह अपंग हो जाता है, तो उसे दुगुनी राशि मिलनी चाहिए।

मैं एक बात असंगठित वर्ग के मजदूरों के बारे में जो निर्माण कार्य करते हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूँ। बीस फुट ऊंची बिल्डिंग पर जो मजदूर काम करते हैं, अगर उनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो उन्हें क्लेम मिलता है। लेकिन यदि बीस फुट से नीची बिल्डिंग में काम करने पर किसी दुर्घटना में यदि मजदूर को कुछ हो जाता है, तो उसे कुछ नहीं मिलता है। मैं राजस्थान से आता हूँ। वहां केवल दस फीट के मकान बनते हैं। वहां अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस क्लेम नहीं मिलता है। इसमें बीस फुट का बैरियर क्यों लगा रखा है? रूरल एरियाज़ में बीस फुट से नीचे ही मकान बनते हैं। यह भी संशोधन होना चाहिए। कम्पेंसेशन एक्ट में जो फार्मूला दिया गया है, उसमें मृतक की पत्नी तथा अन्य वारिसों में अगर किसी कारण संबंध खराब हो गए, तो उसके लिए भी कम्पेंसेशन का प्रावधान भी करना पड़ेगा।

मैं आपके माध्यम से पुनः कहना चाहता हूँ कि चार हजार की कैप को हटाएं और तीन महीने की आपने जो शर्त रखी है, वह ठीक है, लेकिन तीन महीने में अगर निर्णय नहीं होता है तो उस वर्कर को इतना पैसा मिले, जितना पैसा वह उस समय ले रहा था, जब वह दुर्घटनाग्रस्त हुआ था।

आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, कामगार मंत्री जी जो विधेयक लाए हैं, उसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। यह विधेयक मुख्य तौर पर कामगारों के हितों को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से संशोधन करने के लिए लाया गया है। हमारे देश में बड़े पैमाने पर कामगार हैं। अगर पूरी दुनिया के हिसाब से देखा जाए, तो सोशल सिक््योरिटी के नाम पर उनके लिए कुछ भी नहीं है। एक बहुत पुराना कानून, जो 1923 में अंग्रेजों के जमाने में बना था, जिसमें कहा गया था कि अगर काम करते समय अगर कोई मजदूर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उसे मुआवजा मिलना चाहिए। आज से सवा सौ साल पहले इस प्रकार की कोई अवधारणा देश में या दुनिया में नहीं थी। पहली बार जर्मनी में 1884 में इस प्रकार का कानून बनाया गया और इसके लिए कई आंदोलन हुए, उसके बाद यह महसूस

हुआ कि जो कामगार काम करते समय अगर शारीरिक रूप से घायल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए कम्पनी के मालिक को या सरकार को कुछ करना चाहिए। तब एक कानून आया और पूरी दुनिया के देशों ने उस कानून को फालो किया। उसी कानून का एक संशोधन मंत्री जी यहां लाए हैं। मुख्य तौर पर इस संशोधन में दो-तीन बातें हैं, जिन पर हमारे बीजेपी के साथी ने बहुत अच्छे ढंग से प्रकाश डाला है। पहली बात तो यह है कि मृत्यु पर या स्थायी अपंगता की स्थिति में पहले जो राशि कम्पनी को देना जरूरी होता था, वह राशि बढ़ाई गई है। 80 हजार रुपए मृत्यु के समय और अगर कोई बुरी तरह से अपंग हो जाए, उसके लिए पहले 90 हजार रुपए था, अभी मंत्री जी ने उसे नए संशोधन के हिसाब से उस राशि को बढ़ा कर सवा लाख रुपए से एक लाख चालीस हजार की है। मुझे नहीं लगता कि यह राशि बहुत पर्याप्त है। ठीक है, मंत्री जी ने इस संशोधन में यह भी प्रावधान किया है कि अब केन्द्र सरकार के पास यह अधिकार रहेगा कि वह जब चाहे, इस राशि को बढ़ा सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर अगले संशोधन के आने की आवश्यकता है। ऐसे में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आने वाले दिनों में जैसे ही आपका विधेयक पास हो और यह कानून लागू हो, यह सवा लाख और 1 लाख 40 हजार रुपये की राशि सीधे दुगुनी होनी चाहिए क्योंकि मृत्यु की कोई कीमत नहीं होती। कोई आदमी मर गया, उसका कोई मुआवजा नहीं हो सकता लेकिन अगर कोई कामगार मरता है और उसके घर में कोई काम करने वाला नहीं है तो पूरा परिवार एक भुखमरी की स्थिति में आ सकता है। ऐसे में उसको इतने पैसे तो मिलें कि वह परिवार आने वाले दिनों में अपना भरण-पोषण कर सके। वैसी स्थिति में सवा लाख रुपये की कोई कीमत नहीं है। आज के जमाने में, आज की मुद्रास्फीति के दौर में सवा लाख रुपये की कोई कीमत नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक बार कानून बन जाने के बाद यह सवा लाख रुपये और 1 लाख 40 हजार रुपये का जो आपने प्रावधान किया है, उस प्रावधान में तत्काल एक परिवर्तन करते हुए उसको दुगुना करें ताकि जिन कामगारों को एक संरक्षण देने के दृष्टिकोण से यह संशोधन लाया गया है, उनको सही मायने में संरक्षण मिल सके।

बहुत खुशी की बात है कि रेलवे के क्लर्क लैवल के जो कामगार हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। पहले ऐसा नहीं था और इसके लिए मैं मंत्री महोदय का अभिनंदन करना चाहूंगा। इसमें जो एक बड़ा संशोधन किया गया है, वह यह है कि कमिश्नर की नियुक्ति के लिए जो योग्यता होगी, उस योग्यता को बदला गया है। उस योग्यता का एक पूरा विस्तार किया गया है। मंत्री महोदय ने अपने विधेयक में बताया है कि इसमें वकील और ज्युडिशियल सर्विस के लोग भी हो सकते हैं और ऐसे गजटेड अफसर भी हो सकते हैं जिनके पास 5 वर्षों का काम करने का अनुभव हो। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा व्यक्ति कमिश्नर बनाया जाए जिसे कि तीन महीने के अंदर मुआवजा देने का काम पूरा करना है।

वह एक ऐसा व्यक्ति हो जिसका ट्रैक रिकार्ड कभी भी कामगार विरोधी न रहा हो क्योंकि बहुत याद रखने की जरूरत है कि इस समय हम लोग ग्लोबेलाइजेशन के जमाने में जी रहे हैं। निजीकरण अंधाधुंध हो रहा है। प्राइवेट कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं। हायर एंड फायर की पॉलिसी लागू हो रही है। मजदूर बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं हैं। आर्थिक सुधारों के इस दौर में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो वह हमारा कामगार वर्ग प्रभावित हो रहा है, चाहे वह निजीकरण के जरिये हो या ग्लोबेलाइजेशन की वजह से हो या इसके पहले जो डिसइंवेस्टमेंट वगैरह का काम हुआ जिसमें न जाने कितने कामगार सड़कों पर आ चुके हैं। हमारे मुंबई में तो कई होटल यूपीए की पहले के सरकार ने बेच डाले, आज कामगार सड़क पर घूम रहे हैं। कई लोगों ने उसमें सुसाइड कर लिया। इसलिए उनको संरक्षण देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे परिप्रेक्ष्य में इस वातावरण में इस कानून को लागू करते समय हमें थोड़ी संवेदनशीलता के साथ काम करना पड़ेगा और संवेदनशीलता यह है कि जिस व्यक्ति को कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया जा रहा है, उसकी योग्यता के जो मानदंड हैं, उसके साथ-साथ उसका एक ट्रैक रिकार्ड चैक करना चाहिए वरना यह होगा कि जो बड़ी-बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, वे जानबूझकर अपने किसी ऐसे व्यक्ति को कमिश्नर बनाने का प्रयास करेंगी ताकि जब कभी उनके ऊपर कोई संकट आए या मजदूर को मुआवजा देने की स्थिति आए तो वह कमिश्नर मजदूर के बजाए उस मालिक के हित को ज्यादा साधने में लग जाएगा। इसलिए उस कमिश्नर की नियुक्ति के समय विशेष रूप से ख्याल रखा जाना चाहिए।

दूसरे, असंगठित कामगारों के संदर्भ में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने इस बारे में ऐसा कहा है और इस कानून में ऐसा प्रावधान है कि जो खतरनाक स्थिति में काम करने वाला मजदूर वर्ग है, उसका ख्याल रखा जाएगा। वह इस कानून की परिधि में आता है। अब हैजारडस का मतलब बहुत ही मसीमित है। उसे विस्तार देने की आवश्यकता है। हमारे देश में अगर संगठित मजदूर 3 या साढ़े तीन-चार करोड़ हैं, तो लगभग 40 करोड़ के आसपास एक ऐसा वर्ग है जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है और उसके पास आज भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी बता रहे थे कि कहीं-कहीं बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने एक व्यावसायिक लाभ के दृष्टिकोण से सोशल सिक्योरिटी के नाम पर एक स्कीम चली रही हैं, अच्छी बात है लेकिन सही मायने में सिर्फ कंसट्रक्शन के क्षेत्र में ही ऐसा नहीं है, जिसका आपने जिक्र किया है। मैं सिर्फ मुंबई की बात कहूँ तो वहां इतने छोटे-छोटे धंधे चल रहे हैं और लाखों की संख्या में मजदूर काम कर रहे हैं। मुंबई की झोंपड़पट्टियों में रेडिमेड गारमेंट्स के छोटे-छोटे कारखाने चल रहे हैं। ये कारखाने किसी भी किसी लॉ के तहत रेगुलेटेड नहीं हैं। चमड़ा उद्योग का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। चमड़ा उद्योग में काम करने वाले मजदूरों का जीवन सचमुच नर्क होता है। उन्हें किसी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। हैंडलूम पावरलूम के क्षेत्र का थोड़ा इंतजाम हुआ है



लेकिन इसे ज्यादा फोकस नहीं मिला है। मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में बीड़ी मजदूरों की दशा इस कानून की परिधि में आ रही है। जरी का काम करने वाले मजदूर, सबसे ज्यादा दुखद मजदूर है। वे एकदम अंधेरे में काम करते हैं। जहां हवा, पानी और रोशनी नहीं है, वहां वह काम करते हैं और उसे सही पगार भी नहीं मिलती है। मुझे नहीं लगता है कि वे कहीं से भी इस कानून की परिधि में आ रहे हैं। इस तरह से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर को क्या इस आधार पर रखा जाएगा चूंकि वह हेजार्डियस कंडीशन में काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए इस कानून की परिधि में लाए जाएंगे या जिन क्षेत्रों का आपने जिक्र किया है, उन क्षेत्र के मजदूरों को इस कानून की परिधि में रखा जाएगा। मैं चाहता हूं इसके बारे में एक विशेष स्पष्टीकरण मंत्री महोदय की तरफ से आए।

महोदय, ये जो मजदूर वर्ग हैं, इनके लिए बार-बार आईएलओ कन्वेंशन में जिक्र हुआ है। इसमें बार-बार मजदूरों के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। पिछली यूपीए सरकार ने भी हमेशा असंगठित मजदूरों के हित और हक की बात कही है लेकिन इस कानून में इतनी गंभीरता रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय पूरे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के जीवन को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से सोचें। इसके साथ ही खेतिहर मजदूरों की बात आती है। खेतिहर मजदूर जो कॉटेज इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके पास यूनियन तक बनाने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अनरेगुलेटेड जिसे हम इन्फार्मल सैक्टर कहते हैं, क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की तरफ ध्यान दिया जाए तो इन कामगारों पर बहुत बड़ा उपकार होगा। आर्थिक सुधारों का एक मानवीय चेहरा होना चाहिए। आर्थिक सुधार हो रहे हैं और बहुत तेजी से हो रहे हैं लेकिन आर्थिक सुधार में इस तरह के कानून आ रहे हैं। मैं आर्थिक सुधारों के अंधाधुंध कार्यक्रमों के दौरान कामगारों के हितों को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण का स्वागत करता हूं और यह उचित दृष्टिकोण से लाया भी जा रहा है। इस आर्थिक सुधार कार्यक्रम में कहीं कामगार पीछे न छूट जाए, आहत न हो जाए, टूट न जाए, इसे देखना आवश्यक है। मैं वर्कमैन कम्पेनसेशन एक्ट 2009 संशोधन विधेयक की आत्मा का स्वागत करता हूं। इस विधेयक के कार्यान्वयन के समय मंत्रालय ने इस कानून को लागू करने के लिए पूरी ईमानदारी से रूल बनाए, ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर उस आत्मा को वहां लागू करने की कोशिश करनी चाहिए तब कहीं जाकर इस विधेयक का उद्देश्य पूरा होगा। मैं एक बार फिर मंत्री जी को इस संशोधन विधेयक को सदन में लाने के लिए बधाई देता हूं और इस विधेयक का समर्थन और स्वागत करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाब्धी): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे कर्मकार प्रतिकार संशोधन विधेयक, 2009 के बारे में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खरगे कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923 को लेकर इस सदन में आए हैं, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इस बिल पर बल भी देता हूँ। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि कल उन्होंने अपना भाषण हिंदी में दिया। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। खास तौर से हमारे कर्मकार प्रतिकार संशोधन विधेयक में कर्मकार की जगह कर्मचारी शब्द रखने का संशोधन किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कर्मकार शब्द कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन कर्मचारी शब्द तो आम जनमानस में प्रचलित है, इसको हर व्यक्ति जानता है और सभी प्रदेश के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें आपने कुछ विभागों को क्लासिफाई किया है जिसमें रेल कर्मचारी, पोत मास्टर और नाविक तथा उसके कर्मिदल, वायुयान के कप्तान और उसके कर्मिदल या किसी मोटरयान के ड्राइवर और हैल्पर, मैकेनिक एवं क्लीनर के संबंध में आपने बड़े विस्तार से चर्चा की है। उसमें कुछ संशोधन भी आपने किये हैं। अभी तमाम माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस पर व्यक्त किये हैं और यह बात सत्य है कि समय समय पर इंटरनेशनल लेबर आर्गनाइज़ेशन और तमाम श्रम विभाग के जो कानून हैं, उनके तहत यह कोशिश हुई है कि कर्मचारियों को हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे पाएँ, उनकी दिक्कतों और समस्याओं पर हमने बराबर इस सदन में भी बात की है।

अभी कुछ सम्मानित सदस्यों ने संगठित और असंगठित मज़दूरों के संबंध में भी तमाम सुझाव और विचार रखे हैं और उनको भी शामिल करना चाहिए। मेरे ख्याल से तभी इस बिल का सही मकसद सिद्ध होगा। जहां तक आप कर्मचारियों की मृत्यु और आहत होने के विषय पर संशोधन लाए हैं, आश्रितों को 80 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार रुपये किया है और दूसरी तरफ 90 हजार की जगह 1 लाख 40 हजार रुपये किया है, यह ठीक किया है। लेकिन वहीं पर आज की मौजूदा समय की महंगाई को देखते हुए मेरे ख्याल से यह धनराशि बहुत कम है। इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से किसी भी विषय पर अगर बार-बार संशोधन आए तो वह उपयुक्त और अच्छा भी नहीं होगा। वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो वह उपयुक्त होगा।

दूसरी बात आपने चिकित्सा व्यय के संबंध में की है। यहां जो धनराशि आपने बढ़ाई है - 2500 रुपये की जगह 5000 रुपये किया है, अभी सम्मानित सदस्य ने कहा कि जो केन्द्रीय कर्मचारी हैं, उनके लिए सीजीएचएस में व्यवस्था की गई है। कुछ तो सीजीएचएस के द्वारा अपना इलाज कराते हैं और कुछ कर्मचारी प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज कराते हैं। वर्तमान समय में स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो खर्च आ रहा है, एक पैसे वाला व्यक्ति तो अपना इलाज करा सकता है लेकिन जिसके पास पैसे नहीं हैं, वह इलाज

नहीं करा सकता। छोटे-मोटे इलाज की व्यवस्था हर व्यक्ति कर लेता है, हर कर्मचारी कर लेता है लेकिन जो गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हर्ट प्राबलम है या किडनी फेल हो गई तो इस विषय पर भी हमें गंभीरता से सोचना चाहिए जिसमें मेरे ख्याल से पांच लाख से ऊपर का खर्च आता है और 10-15 लाख रुपये तक का खर्च आ जाता है। वह कर्मचारी इतना खर्च नहीं कर सकता। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इन कर्मचारियों को चिकित्सा की सुविधा मिले।

एक बात आपने कही है कि अगर कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसकी अंत्येष्टि पर सहायता राशि को 2500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया है। यह बहुत अच्छा है। लेकिन मैं इस बिल के संबंध में अपने सुझाव देते हुए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बिल है, यह कर्मचारियों के लिए है। कर्मचारी इस देश के विकास की धुरी हैं। इन कर्मचारियों को, चाहे वेतन में हो या उनकी मृत्यु पर आश्रितों को सुविधा की बात हो या उनकी चिकित्सा की बात हो, या उनकी ज़िन्दगी की बात हो, उनके कल्याण की जो भी बातें हैं, अगर हम सही मायनों में उनको सुविधा दे पाएँगे तो मेरे ख्याल से देश के विकास में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं, वे इसका लाभ उठा पाएँगे।

अंत में मैं इस कर्मकार प्रतिकर संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Mr. Deputy Speaker Sir, at the threshold I would like to say that the amendments have been sought for, are nothing but periodical in nature. From time to time benefits have been extended. I have seen that this time you have brought in the definition of an employee. But there is no amendment in respect of Section 3 of the Workmen Compensation Act itself. You have brought in definition within the statute book relating to an employee. But the benefit of the employee has been extended under Section 7 (b) which would be substituted as Section 4 1(b) of the main Act. By this amendment Government are giving the benefits of an employee who will be working outside the country. But Government are not extending the benefit to an employee who is working within this country. Therefore, you are not giving the benefit under Section 3 to an employee. Section 3 has been restricted only to the workmen. By this amendment you are extending the benefit to an outside employee also. Therefore, this part itself is discriminatory in character. Government must give the benefit. When you have brought the amendment, you have given the definition of an employee, you must extend the benefit of an employee who will be working within the country, apart from the workman. You have engrossed it now by bringing in two identities – employee and workman.

The other point is that in Section 8 of the new Amending Bill you have said that apart from the member of a State Judicial Service for a period of not less than five years or is or has been not less than five years an advocate or a pleader or a gazetted officer, having educational qualification and experience in personnel management, can be appointed a commissioner. I do not have any difficulty insofar as the State Judicial Service is concerned. But what is the guideline for selecting an advocate for appointment to the post of commissioner? Would it be depending on the *ipse dixit* of the State Government or whoever is the ruling party there? In their discretion whoever lawyer is there, will he be appointed? What are the criteria for selecting a lawyer to be appointed as a commissioner? I am not against the selection of a lawyer for appointing him as a commissioner. But there

must be fixed guidelines for selecting an advocate for appointment to the post of commissioner.

Similarly, you are appointing a civil servant, who is a gazetted officer, to the post of commissioner. The next point is this amendment has been brought in regarding the disposal of the case by the commissioner. In my humble experience in which I have served for the last 28 years in my practicing career, not a single case is disposed of earlier than one year. Here, you have made a provision that within three months it has to be done. The provision has not been made mandatory, you have made it directory

. I can appreciate your thinking that it should be disposed of. If you want to get it disposed of within three months, it must be made mandatory. Some penal clause has to be there. If the commissioner is not in a position to dispose a matter within a period of three months because of the non-cooperation of the management, under the statute you must make a provision that the employer must give compensation for each and every day and it should be a penalized compensation. Ultimately what is happening? Who is gainer when a workman gets compensation? Ultimately the insurance company, that is, the most nationalized insurance company is fighting against the award of compensation. Now you will find in all litigations which are going up to Supreme Court, there is no shortage of money to the Central Government insurance company.

They are fighting for cases even where Rs. 100 is awarded as compensation going up to the Supreme Court taking the matter for long, 20 years or 25 years. Is it possible for a workman to contest in such cases? Therefore, an in-built provision has to be made. When the Central Government is bringing the Act for the benefit of the workmen of this country, the Central Government must also restrict its another hand regarding the national insurance companies. At one stage they must accept it. The Commissioner will pass the order, then in the High Court there are two stages and then the matter goes to the Supreme Court. In all matters the national insurance companies are going to court. Therefore, whatever laudable object that has been fixed by the Central Government by giving workmen

compensation and to provide benefit to the workmen, it is really frustrated. It is ultimately frustrated in the hands of the national insurance companies whoever those companies may be.

I would, therefore, request the hon. Minister of Labour to look into this. He is having a tremendous experience when he was in the Assembly. I find that earlier also he has said so many things in favour of labour. I would request you, Sir, to consider these aspects. You must stop your insurance companies from going to the higher courts. Ultimately one of the adjudicating authorities is deciding the matter. Thereafter the High Court is giving its order. Why should they carry every matter up to the Supreme Court? It is not a matter of fight for the moustache and the workman is suffering. ... (*Interruptions*) Therefore, I would humbly request for three things.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): What is that fight?

SHRI KALYAN BANERJEE : It is the fight for moustache – *mooch ki ladaai*. ... (*Interruptions*) Therefore, you kindly consider about the respect of the workmen. First of all, you kindly fix up a time. You have done it; but it has to be made mandatory. If the employer takes time, you give power to the Commissioner to impose a heavy penalty for the time he takes every time. Secondly, when you have got the definition of the employee under the Act, you extend him the benefits when he is outside the country. You give that benefit to them when he is within the country also.

My request to you, through the hon. Deputy-Speaker is, there must be a guideline. Rather I would say that there must be a subordinate legislation to this extent fixing up the criteria for selecting a lawyer to be appointed or a gazetted officer to be appointed as a Commissioner. Otherwise, in other things I find that this is really beneficiary so far as the workmen are concerned. To that extent I really support the Bill. Some benefits have also been extended. Of course, these are being extended periodically. To that extent I support this Bill.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to support the Workmen Compensation (Amendment) Bill, 2009. This amending legislation has been brought before the House after the second National Labour Commission, set up in 2002, recommended for amending certain provisions of the Workmen Compensation Act, 1923.

This Act was enacted in 1923. Since then there had been a number of amendments. The Act was amended to enhance the rate of compensation. The Bill was introduced and then it was referred to the Standing Committee. The Standing Committee on Labour has also made certain recommendations. Not all the recommendations have been accepted by the Ministry but some recommendations have been incorporated in the amending legislation.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, when the Act is being amended, there are four main purposes. One is to widen the definition of 'workman' and that is why, it is being replaced by 'employee' as in the original Act, certain employees were excluded from the ambit of the Act and there, it has referred to the Indian Railways Act, 1989. There, certain categories of employees have been excluded from payment of compensation. Before the enactment of the Indian Railways Act in 1989, there was Railways Act of 1898 where even the permanent employees of railways were paid as per the Workmen's Compensation Act while in the place of work, if an employee got injured or died because of an accident. When the Indian Railways Act was amended in 1989, in the definition of 'passenger', the 'railway employees on board' has been included, but certain categories of employees, say casual workers, were excluded. There is no casual worker now, but in the past, there were more than three lakh casual workers in the Railways. While working on the track, if a wagon or coach on another track falls on the workman and he dies because of that, he would be paid as per the Workmen's Compensation Act. He will not be treated as passenger.

Now when the Act is being amended and the amount of compensation is also being enhanced after eight years, I would submit that the amount which is being enhanced to be paid in case of death from Rs. 80,000 to Rs. 1,20,000 is not

sufficient. I would request the hon. Labour Minister to increase it because it is called 'minimum'. If certain amount is fixed as minimum, no employer will give more than what has been stated as the minimum in the Bill. We have the experience of the past. We have the Minimum Wages Act which mentions 'minimum' wage, but are the contractors' workers getting more than the minimum wage fixed by the State Government by way of notification? It is very rarely that they are getting more than that. Even the Labour Minister knows that the contractors' workers do not get even the minimum wages as per the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act of 1970. Their exploitation is taking place. So, my request is that the minimum compensation payable on the death of a workman or employee should be enhanced suitably as also in case he sustains injuries. It is mentioned that : "for the words "ninety thousand rupees", the words "one lakh and forty thousand rupees" shall be substituted." I would suggest that this amount should also be enhanced or increased.

Now, we have got the Act. Has the Minister got any report as to how many workmen are getting the workmen's compensation as per the existing Act? There are a number of cases where the kith and kin of the workmen do not get the minimum compensation after the workman's death. They do not even get the minimum compensation. Sometimes, they have to compromise or to accept it because they need immediate help. They need immediate succour when the only earning member dies while working in a factory or in a workplace. But the kith and kin have to wait for months together to get the workmen's compensation. As they have to wait for months together, they generally approach the employees or with the help of the Union they get some amount. It takes time to get compensation through Commissioner with the help of the Act, and because of this he has to accept any amount. Something has to be done to make expeditious payment of compensation. Sometimes, it takes more than one year to get this small amount of Rs. 85,000, which is there today. Therefore, some mechanism has to be developed, and some time-bound process should be there. This three months time - - which has been fixed now in this amendment -- should be made mandatory, and

the families of the workmen should be paid the monthly salary that he gets until that compensation is paid. This provision should also be incorporated in the amending legislation.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Acharia, please conclude your speech.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I am concluding. There are only a couple of points left to mention.

We have a number of labour laws. But what is happening today? These labour laws are being violated or not being observed. They are being violated blatantly. What is the safeguard here when the amending legislation is brought before this House? What is the safeguard here that these provisions of this legislation would not be violated? How can it be safeguarded in case it is violated? How can it be prevented? How many have been prosecuted for violation of the labour laws?

We have many labour laws. We have the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act; the Minimum Wages Act; the Workmen's Compensation Act; the Maternity Benefit Act; the Payment of Wages Act, and yet the workmen or the employees do not get their salary for months together. There is no such thing to prevent the violation of labour laws. That is the main problem today. The workers of our country are facing this problem. We have 37.5 crore workers who are under unorganized sector. The Social Security Act was enacted in the last Lok Sabha. The social security which the workers in the unorganised sector should get, they are not getting. Even the laws enacted by this Act are also not being implemented properly. So, I would request the Labour Minister that whatever amendments he has brought before this House, these are the good amendments. But there is a scope for further improvement. What is this amount of Rs.1.25 lakhs? It is nothing. It should be increased to minimum of Rs.5.00 lakhs.

15.42 hrs

(Shri Inder Singh Namdhari *in the Chair*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI HARISH RAWAT): You pass it first.

SHRI BASU DEB ACHARIA : Why? When you are amending it, you can increase it.

MR. CHAIRMAN : Please address the Chair.

SHRI BASU DEB ACHARIA : मैं आप ही को एड्रेस कर रहा हूँ। श्रम राज्य मंत्री श्री हरीश रावत जी हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। श्री मल्लिकार्जुन खरगे बहुत सीनियर मंत्री हैं। हम अक्सर उनसे मिलते हैं। ...(व्यवधान) हम तो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। ...(व्यवधान) He also knows about the contractor workers. Once he was discussing with me as to how their interests can be protected. How can the contractor workers be saved from exploitation? They are not even getting minimum wages. We have the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act of 1970. But nowhere this is being implemented.

MR. CHAIRMAN : Achariaji, Will you kindly conclude now?

SHRI BASU DEB ACHARIA : In the Central Public Sector Undertakings, this is not being implemented. My humble request is to enhance the compensation both for the death and for getting permanently injured and improve the functioning of labour court. There is the Office of the Commissioner. But unless there is some direction, some mandatory provision by which time it has to be disposed, till then such penalty has to be given to the workmen and that has to be incorporated in the Bill. Then this Bill will be welcomed by all.

DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Mr. Chairman, Sir, today I am delighted to greet you because of your permission to me on the discussion on the Workmen's Compensation (Amendment) Bill, 2009. Sir, I am delighted to participate on the Workmen's Compensation (Amendment) Bill, 2009. This Act may be called the Workmen's Compensation (Amendment) Act, 2009. In the long title to the Workmen's Compensation Act, the word "employees" shall be substituted throughout the principal Act with the words of "workman" and "workmen", wherever they occur.

A worker becomes a worker by his birth. *Itihasa ratha pachhaku ghurena, agaku thahargati; itihasa ratha chakrachalak, hemanisha mehnati.* The wheels of the world never move back. They always move ahead. The entire world is



organised because of the dedication of the poor workers. But they are born as workers and they die as workers. The greatest tragedy on this earth is the life of a worker. He sacrifices his life to construct roads, bridges, mansions, temples, mosques, churches, monasteries, etc. But the living conditions of a worker have almost been the same now as prior to our Independence.

In my Constituency there are about five hundred slum dwellers who are actually workers. They die without food, without clothing, without shelter and without medicine. This must be the case with every Constituency in the country. The hon. Minister is a senior Member of Parliament. He knows about the Act in and out. We people are sitting here formulating the Act. I would like to ask if the workers are really benefited by the legislations that we are formulating sitting here. They are not benefited at all. They do not have money to go to the court. They do not have money to pay to the advocate to argue their case.

The Minister has mentioned in the Bill that the compensation which is about Rs.85,000 now would be enhanced to Rs.1,20,000. What is the value of the rupee now? In these days of steep hike in the prices of essential commodities when even the middle class people are suffering, you can imagine what the situation of a poor man could be. The keeper of an Alsatian dog spends more than Rs.200 a day to feed meat to it these days. However, a worker gets less than Rs.100 a day to feed his entire family. Is this amount sufficient to feed a worker's family during these days of steep prices?

I would propose to the hon. Minister that it should be doubled for organised as well as unorganised workers. When a worker sleeps on a hungry stomach, the rich man's mansion would be moving. That natural calamity may come one day if we do not feed the poor workers who are living in the slum areas in our cities.

These people are living in the slums in the city areas. They are serving in our families. Therefore, I pray to the hon. Minister that money should be doubled. At the same time, law should be binding. I would say that Parliament is a law-making body, which is promulgating law, enacting law and the Act for the poor workers. But if the Acts are not being implemented properly, poor workers may



not go to the court. Therefore, I would like to pray to the hon. Minister that he should consider doubling the amount. Everywhere, Bills are brought to Parliament for carrying out amendments. अमेंडमेंट होते रहते हैं और होते रहेंगे, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम एक गरीब व्यक्ति के मन को शांति नहीं देंगे, तो फिर देश में भी शांति नहीं रख सकेंगे।

MR. CHAIRMAN : I think, the think-tank, the saffron colour would definitely make effect on the Minister.

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): सभापति महोदय, मैं कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2009 पर शिव सेना पार्टी की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इस बिल को सदन में पेश करने के लिए मंत्री जी और राज्य मंत्री जी, दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। इस बिल में काफी अच्छे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन और भी सुधार हो सकते थे, कुछ और भी संशोधन हो सकते थे। ...(व्यवधान) मराठी में बोलने के लिए पहले नोटिस देना पड़ता है, वरना मैं मराठी में ही बोलता।...(व्यवधान) इसलिए मैं यहां हिन्दी में अपनी बात कहूंगा। महाराष्ट्र में मैं मराठी में बोलता हूँ।

यह बिल संसद की स्थाई समिति में विचारार्थ गया था और समिति ने अपनी सिफारिशों के साथ इसे सरकार को सौंपा है। इसलिए मैं ज्यादा चर्चा इस पर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि स्थाई समिति में इस पर व्यापक चर्चा हो चुकी है। इस संशोधन विधेयक से वर्कर्स, जो अब इम्प्लाइज कहलाएंगे, उन्हें काफी लाभ होगा। मैं स्वयं ईएसआईसी का सदस्य हूँ। जैसे ईएसआईसी में डवलपमेंट हुई, आपने और आपके पूर्व जो मंत्री जी थे, हमारे तब के डायरेक्टर जनरल जो आर लेबर सेक्रेटरी हैं, उनका बहुत ज्यादा योगदान उसमें रहा है। इस कारण मेडिकल बेनिफिट्स ईएसआईसी के इम्प्लाइज को मिले हैं। ये मेडिकल फेसिलिटीज ज्यादा अच्छी तरह से उन्हें मिल रही हैं और सुपर स्पेशियलिटी बेनिफिट भी उन्हें मिल रहा है। इस एक्ट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, वह हमें करना चाहिए। ईएसआई में जैसे 10,000 रुपए की कवरेज लिमिट है वर्कर की, वह लिमिट भी बढ़नी चाहिए। जैसे सरकारी कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ मिला है, वह फ़ैक्टरीज या कम्पनीज में नहीं मिला है। इसलिए जिन वर्कर्स का 10,000 रुपए से ऊपर का वेजेज होगा, अगर वह किसी ऐसी फ़ैक्टरी या कम्पनी में है, जो ईएसआई के तहत कवर होती है, तो उन्हें भी इसका लाभ मिलना चाहिए। आज के समय में कॉस्ट आफ लिमिट ज्यादा हो गई है। उस कारण से यह बेनिफिट ज्यादा देना चाहिए। इम्प्लाइज के लिए कुछेक इम्प्लायर्स ही थोड़ी-बहुत मदद करते हैं। कई इम्प्लायर्स प्राफिट न होने की बात या अन्य कारण बताकर समुचित लाभ वर्कर्स को नहीं देते हैं। आपने जो 1,2000 रुपए और 1,40,000 रुपए की न्यूनतम व्यवस्था की है, यह ठीक है। इसमें यह भी प्रावधान होना चाहिए कि अगर ज्यादा दे सकते हैं तो वह देना चाहिए। कई कम्पनीज जैसे वोल्टास है, वीडियोकोन है या बजाज हैं, इनका प्राफिट अच्छा होता है, उन्हें ज्यादा देना चाहिए। इसलिए जैसे मिनीमम वेजेज होता है, वैसे ही मिनीमम बेनिफिट के नाते यह फिगर होना चाहिए, बल्कि उससे भी ज्यादा दे सकते हैं।



एक्ट में तो बदल नहीं सकते हैं लेकिन उसमें कोई न कोई सर्कूलर निकालकर कर सकते हैं, ऐसी मेरी विनती है। फ्यूनरल एक्सपेंसेज हमारे हमारे कॉरपोरेशन में उतना ही है, इसलिए यह ठीक है। उसमें भी अगर कोई ज्यादा देना चाहे तो दे सकता है, ऐसा फ्यूनरल एक्सपेंसेज में भी, बैनिफिट में भी देना चाहिए।

जो कर्मचारी होगा, उसके अस्पताल से घर आने पर उसकी दवा शुरू होती है और वह कई दिनों तक चलती है, तो उसका बैनिफिट भी उसे मिलना चाहिए। जब तक वह ठीक नहीं हो जाता है, उसे बैनिफिट देना चाहिए।

मेडिकल रिपोर्ट समय पर नहीं आती है। आपने कहा है कि कमिश्नर, लेकिन मैं कहूंगा कि कौनसा कमिश्नर? लेबर कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर या कौनसा कमिश्नर? मैं तो यह कहूंगा कि लेबर कमिश्नर होना चाहिए क्योंकि पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में लेबर कोर्ट में जाना पड़ता था। आजकल लेबर कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट में भी हो गये हैं लेकिन लेबर कोर्ट के बदले में हम लोग कमिश्नर करेंगे, लेकिन कमिश्नर बोले तो लेबर कमिश्नर होना चाहिए। लेबर कमिश्नर मुंबई, बिहार और दिल्ली में होंगे लेकिन जहां हम जिले तक जाएंगे तो जिले में डिप्टी लेबर कमिश्नर्स हैं, कुछ जिलों में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर्स हैं, कुछ स्थानों पर गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर्स हैं। उन स्थानों पर उन्हें एक्ट में सम्मिलित करना चाहिए। जैसे आपके विदर्भ का एम्पलाई विदर्भ के जीएलओ के पास जाएगा या एएलओ के पास जाएगा, वह बंगलौर में कैसे जाएगा और एक लाख रुपये के लिए बंगलौर के कितने चक्कर लगाएगा? इसलिए कमिश्नर की अपाइंटमेंट जो आप कर रहे हैं उसे नीचे के स्तर तक कीजिए।

सभापति महोदय : खैरे साहब, इसमें परिभाषा दी हुई है कि कमिश्नर कौन बन सकता है? इसमें वह प्रॉविजन है।

श्री चंद्रकांत खैरे : जी, इसमें वह प्रॉविजन है लेकिन नीचे के स्तर तक वह प्रॉविजन होना चाहिए। नहीं तो गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर क्या बोलेगा कि कमिश्नर के पास जाओ, कमिश्नर मुंबई में रहता है। मुंबई जाने के लिए एम्पलाई को कितना खर्चा करना पड़ेगा? इसलिए नीचे के स्तर पर ही यह सैटलमेंट होना चाहिए, यह मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से कहूंगा। जैसा कि तीन महीने के लिए कहा है तो डाक्टर को तो रिपोर्ट एक महीने में देना चाहिए। जो आदमी शांत हो गया, नहीं रहा, उसका जो बैनिफिट है वह एक महीने के अंदर उसे मिलना चाहिए। जो घायल हो जाता है उसे तीन महीने में मिलना चाहिए। जो आदमी नहीं रहा, उसे बैनिफिट देने में कोई हर्ज नहीं है, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कोरपोरेशन या किसी से भी डेथ सर्टिफिकेट आ गया तो उसे बैनिफिट मिल सकता है, लेकिन यह बैनिफिट उसे एक महीने में मिलना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद। मैं दोनों मंत्रियों को धन्यवाद दूंगा तथा श्रम-मंत्रालय

तथा श्रम सचिवालय को भी धन्यवाद दूंगा कि यह बिल बहुत अच्छी तरह से लाए हैं। हमारा पूरा सहयोग रहेगा और जो हमने सूचनाएं इसमें दी हैं उन पर आप विचार करेंगे॥

16.00 hrs.

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): सभापति महोदय, आपने मुझे कर्मकार प्रतिकर संशोधन विधेयक, 2009 के समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि इन्होंने कर्मकार शब्द की जगह कर्मचारी शब्द रखा है। वास्तव में कर्मकार शब्द को सामान्य जनता नहीं समझ पाती थी और कर्मचारी शब्द जनसामान्य से जुड़ा शब्द है। मंत्री जी ने संशोधन में कुछ ऐसे बिंदुओं को रखा है, जो वास्तव में कहीं न कहीं किसी संघ या समुदाय से जुड़े हैं, जिन्हें अपनी बात रखने के लिए कोई न कोई समुदाय है। कुछ असंगठित क्षेत्र हैं, जिनमें काम करने वाला व्यक्ति, जब उसकी असमय मृत्यु होती है, जो मुआवजा उसे मिलना चाहिए, वह उसे नहीं मिलता है। आपने मुआवजा बढ़ाने की बात रखी है, वह आज की महंगाई को देखते हुए कम है। हम प्रति दिन महंगाई से जूझ रहे हैं। किसी पीड़ित परिवार को जो यह धनराशि बढ़ा कर दी जा रही है, वह अस्सी हजार की जगह एक लाख बीस हजार और मृत्यु के बाद 90 हजार से एक लाख चालीस हजार की है, यह बहुत कम राशि है। इससे न तो उसके परिवार का भरण पोषण होगा और नही उसकी दूसरी कठिनाइयां दूर हो पाएंगी। ऐसे भी परिवार होते हैं, जिनमें एक ही व्यक्ति कमाने वाला होता है। असमय उसकी मृत्यु होने की वजह से उसका परिवार ऐसी स्थिति में आ जाता है, जिसमें उनका जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस व्यवस्था को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है।

दूसरा आपने चिकित्सा व्यय की पूर्ति में ढाई हजार रुपए की जगह पांच हजार रुपए की व्यवस्था की है, यह स्वागत योग्य है, लेकिन यह भी कम है और इसे बढ़ाने की जरूरत है। आपने किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए भी व्यवस्था की है, यह भी स्वागत योग्य है, लेकिन इस राशि को भी बढ़ाने की जरूरत है। यह महंगाई का समय है, ऐसे में इस व्यवस्था को करने में भी उस परिवार के सामने कठिनाई आ सकती है। मैं मंत्री जी का ध्यान असंगठित क्षेत्र के उन मजदूरों की तरफ भी ले जाना चाहता हूँ, जहां उनकी न तो यूनीयन है और न ही उनकी बात किसी अधिकारी के पास पहुंच पाती है। काम करते समय यदि वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो उनके परिवार के सामने कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। जैसे गांव में मजदूर रहता है, गरीब रहता है, किसान रहता है, वह रोज कमाता है, रोज खाता है। जिस दिन उसकी कमाई नहीं होती, उस दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जलता है। दुर्भाग्य से जब ऐसी बात होती है, तो उन्हें उसका जो लाभ मिलना चाहिए, उसकी किसी प्रकार की व्यवस्था इस प्रतिकर संशोधन विधेयक में नहीं की गई है। ऐसे लोग जो गांव में मजदूरी करते हैं, किसी का मकान बनाने जाते हैं या किसी अन्य संगठन में मजदूरी करते हैं, जब किसी कारण उनकी दुर्घटना में मृत्यु होती है, तो उनके परिवार को भी व्यवस्था करने के लिए इस संशोधन में उनको सम्मिलित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

ऐसे उद्योग जो छोटे गांवों में या कस्बों में चलते हैं, घरों या कमरों में चलते हैं, इसका लाभ बड़े लोगों को मिल जाता है, लेकिन उसमें काम करने वाले मजदूरों को दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद भी नहीं मिलता है। जैसे बीड़ी उद्योग है, कालीन उद्योग है, पत्थर तोड़ने का काम है या इस प्रकार के असंगठित काम करने वाले लोग हैं, जो गांवों में रहते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं, उनके पास किसी और प्रकार का जरिया नहीं है तथा वह कमाने वाला एक ही व्यक्ति अपने परिवार में है, ऐसी स्थिति में जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके लिए भी सहायता प्रदान करने की व्यवस्था इस संशोधन विधेयक में करने की जरूरत है। ऐसे जिनकी यूनियन हैं, जिनका संगठन है, जिनकी आवाज उठाने की व्यवस्था है, उनकी आवाज तो सरकारी माध्यम से, संगठन के माध्यम से, अन्य माध्यमों से सरकार तक पहुंच जाती है लेकिन ऐसे गरीब भी हैं, ऐसे मजदूर भी हैं जिनका भरण-पोषण मजदूरी करके होता है, उनको भी इस संशोधन में सम्मिलित करने की व्यवस्था होनी चाहिए तभी तो इस संशोधन का वास्तविक स्वरूप समाज को, देश को मिल पाएगा नहीं तो जैसे कि अभी कहा गया कि कहने के लिए तो उसमें बहुत सारे संशोधन हो रहे हैं, उसका स्वागत है, होना चाहिए लेकिन वह भाग, वे समाज के हमारे अंग भी इसमें सम्मिलित होने चाहिए, वे असंगठित क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित हो जाएं ताकि इस संशोधन विधेयक का वास्तविक स्वरूप इस देश, इस समाज और इस जनता तक पहुंच सके, गरीब तबकों और झुग्गी-झोंपड़ी तक पहुंच सके तभी इसका वास्तविक स्वरूप समाज को, देश को मिल पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संशोधन विधेयक का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, सबसे पहले हमारे मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। उनका शुभ नाम है-मल्लिकार्जुन खरगे। मैं उठकर उनके पास पूछने गया था कि मल्लिकार्जुन का क्या मीनिंग है। इस पर उन्होंने मुझे बताया कि इसका मीनिंग लॉर्ड शिवा है। भगवान शिव ने सबके लिए न्याय किया।

सभापति महोदय : खरगे का क्या नहीं पूछा?

श्री विष्णु पद राय: खरगे का मीनिंग नहीं जानता हूं। मल्लिकार्जुन ही काफी है।

सभापति महोदय : खरगे का मतलब हुआ: जो हाथ में तलवार लिये हुए है।

श्री विष्णु पद राय : अच्छा। देश के गरीबों के, मजदूरों के भगवान विश्वकर्मा के रूप में मल्लिकार्जुन जी बैठे हुए हैं। जो संविधान संशोधन विधेयक ये लेकर आये हैं, वह लोगों को न्याय दिलाने के लिए लाये हैं। लेकिन जो ड्राफ्ट मैंने पढ़ा, मुझे लगता है, *Old wine in new bottle with cocktail*. कोई खास परिवर्तन मुझे दिखाई नहीं दिया। जो सरकार वहां बैठी है, कहती है कि यह आम आदमी की सरकार है। प्रोग्रेसिव एलायंस है। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि दरिद्र नारायण की सेवा करना लॉर्ड शिवा की सेवा करना है। इसीलिए जो यह विधेयक लाया गया, यह गरीब मजदूर वर्ग के लिए लाया गया है। इन गरीब मजदूर-वर्ग ने रास्ते, हॉस्पिटल, स्कूल बनाये। उस रोड पर चलकर भारत की पार्लियामेंट में हम सब बैठे हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें ऐसा अमेंडमेंट हो कि सचमुच में लगना चाहिए कि यह आम आदमी की सरकार है जिसने गरीब की चिन्ता की है। मैं एक उदाहरण दूंगा।...(व्यवधान)

मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने एक अच्छा काम किया। जब डी.ए. बढ़ता है, तब दिल्ली सरकार का सरकुलर भी निकलता है। डी.ए. बढ़ा, मजदूर की तनखाह बढ़ा दी। लेकिन तनखाह क्या बढ़ी? मैं तो कहता हूं कि 62 वर्ष के बाद पहले बंधुआ मजदूर जमींदार का था, राजा का था लेकिन आज ठेकेदार का हो गया। महोदय, एक बार फिर दिल्ली चलते हैं। हमारे अंडमान निकोबार भवन का जो लेबर सप्लायर है, जो सिक्योरिटी का सप्लायर है, जो ड्राइवर का सप्लायर है, उस संस्था का नाम एजीडीजी, चूना मंडी, पहाड़गंज है। वह सिक्योरिटी सप्लायर करता है। जो सिक्योरिटी स्टॉफ ड्यूटी में खड़ा रहता है, उनको महीने में तनखाह 2200 रुपये मिलती है। यानी डेली 70 रुपया और मिनिमम वेजेज दिल्ली में 140 रुपये है। जो मजदूर काम करता है, उनका जीपीएफ नहीं है, अर्न्ड लीव नहीं है, यूनिफार्म नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई बेंनेफिट नहीं है। बाकी जो डिपार्टमेंट है, चाहे सिक्योरिटी का हो, चाहे लेबर का हो, चाहे ड्राइवर का हो, प्यून का हो, क्लर्क की यह हालत है। अब मैं आपको अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के बारे में बताता हूं कि वहां क्या हालत है।

अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, वहां डायरेक्ट भारत सरकार बैठी है क्योंकि यह यूनियन टेरिटरी है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अंडमान में क्या हो रहा है। वहां एकमात्र म्युनिसिपल काउंसिल है, 12-14 साल काम किया लेकिन आज मजदूर डीआरएम, टीआरएम रखा गया, रेगुलर नहीं हुआ, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिला। अब प्राइवेट सैक्टर की ओर चलते हैं, वे क्वेशी में काम करते हैं, क्रशर में काम करते हैं, लोडिंग-अनलोडिंग करते हैं, प्राइवेट बोट, डुंगी और होटल में काम करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, रोड कन्सट्रक्शन का काम करते हैं। उनकी हालत क्या है? मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी गांव में गए थे और जिसकी चर्चा पार्लियामेंट में की थी। मैं आपको बताता हूं कि आज सबसे बड़ा कमजोर श्रमिक मजदूर है। उसका परिवार मालनरिश है। हम सबके पिता ने अच्छा कमाया था और हमने खाया था तभी अब हम तगड़े हैं। लेकिन गरीब मजदूर के घर में जो बच्चे पैदा होते हैं, वे मालनरिश हैं। तेलुगू औरतें बम्बू फ्लैट, पोर्टब्लेयर में काम करने आती हैं, मैंने उनसे पूछा आपको कितने रुपए मिलते हैं। वे बोलीं, हमें रोज 150 रुपए मिलते हैं जिसमें से बस और बोट किराया 28 रुपए लगते हैं और 122 रुपए बचते हैं। वहां मिनिमम वेजिस 156 की जगह 150 रुपए मिलते हैं। अगर मजदूर आदमी होगा तो ज्यादा रुपए मिलेंगे और अगर मजदूर औरत होगी तो तनखाह कम हो जाएगी इसलिए मालनरिश बच्चे पैदा हो रहे हैं। मेरा कहना है कि सही मिनिमम वेजिस बनाइए, दिल्ली सरकार डीए एलाउंस लेकर मिनिमम वेजिस फार्मूला पेपर में निकालती है लेकिन इम्प्लीमेंट बाद में होता है। डीए बढ़ता है तो एलाउंस बढ़ता है और दिल्ली सरकार के हिसाब से मिनिमम वेजिस बढ़ता है। अब देखें प्राइवेट सैक्टर में क्या हो रहा है। मजदूर ठेकेदारों के अंडर काम करते हैं, कोरे कागज पर सिग्नेचर होते हैं। अंडमान में मजदूर काम करते हैं जबकि कोई रजिस्टर नहीं होता है। वे वहां काम करते हैं, कागज पर साइन करते हैं और तनखाह लेकर चले जाते हैं, नो ईपीए, नो बोनस, नो ग्रेच्युइटी, एक्सीडेंट से मर जाओ, बीमारी से मर जाओ लेकिन कोई कम्पेनसेशन मिलने वाला नहीं है। हमारे देश में यह हालत है।

MR. CHAIRMAN : Shri Bishnu Pada Ray, you give some advice to the hon. Minister.

SHRI BISHNU PADA RAY : I will give. वर्कर का मीनिंग क्या है - A worker is the one who is working for some consideration. वह मँटली काम करे, फिजीकली काम करे या दोनों काम करे। वर्कर को अलाऊ होना चाहिए - परमानेंट, टेम्परेरी, ट्रेनीज, कांट्रैक्ट, एडहॉक, कैजुअल या डीआरएम। लेकिन जो मजदूर पूरा काम करेंगे वे मजदूर हैं।

सभापति महोदय : अब आप कन्कलूड करें।

श्री विष्णु पद राय : महोदय, अभी मैंने कुछ कहा ही कहा है। मैं अंडमान, काला पानी से आया हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दीजिए।

अब मैं बिल के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने देखा क्लर्क को बिल से निकाल दिया गया है। क्लर्क गोदाम में काम करेगा और गोदाम में स्टोरेज स्टोर मैन्टेन करेगा, अगर ऊपर से गिर जाएगा तो उसे कम्पेनसेशन नहीं मिलेगा। इसलिए जो मैटली काम करता है उसे भी इन्कलूड किया जाए। इसमें प्रावधान रखा गया जो लोग गड़ढा खोदेंगे, एक्सकेवेशन करेंगे, 25 मेन पावर होनी चाहिए, 12 महीने का मेन डेज एवरेज लेंगे। जो गोदाम में काम करेंगे, मिनिमम मेन पावर 10 होनी चाहिए। मार्किट में कुली जो सामान उठाएगा, मिनिमम पांच वर्कर काम करेंगे लेकिन मेरा कहना है कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस कंडीशन में भारत के किसी मजदूर को फायदा होने वाला नहीं है। मजदूर मजदूर ही रहेगा, कोरे कागज पर साइन होंगे और मजदूर को पेमेंट होगी। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि जो कंडीशंस रखी गई हैं कि इतना नंबर मजदूरों का हो तो कंपनसेशन मिलेगा, इस कंडीशन को हटा दें। कोई मजदूर हो, एक दिन करे, पांच दिन करे, दस दिन करे, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। डैथ के बारे में मैं सुन रहा था बसुदेव जी को। उन्होंने बताया कि कोई मजदूर काम करते-करते मर गया रेलवे में, तो उसको पांच लाख रुपये मिलते हैं। दिल्ली में ब्रिज गिरा तो मरने वाले मजदूर के परिवार को पांच लाख रुपये मिले। इसमें क्या रखा गया है? 80 हजार रुपये था और उसको बनाकर 1लाख 20हजार रुपये किया गया है। रेलवे में कंपनसेशन पांच लाख रुपये, बार्डर में मरने से पांच लाख रुपये, आतंकवादी कश्मीर में किसी को मार देगा तो उसको चार लाख, पांच लाख या छः लाख रुपये, हमारे मिलिट्री के आदमी मरेंगे तो आठ लाख या दस लाख रुपये और मजदूर के मरने पर 1लाख 20 हजार रुपये? आज क्या इंडैक्स है? हमें सुनने में आ रहा है कि एमपी की तनखाह 90 हजार रुपये तक बढ़ाएंगे कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स को आधार बनाकर। इसलिए मजदूरों को पांच लाख रुपये डैथ केस में पेमेन्ट दिया जाए यह हमारा आग्रह है।

परमानेंट डिसेबलमेंट में 90 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 40 हजार रुपये किया है। आप खुद जानते हैं, जो लोग बिस्तर पर हैं, किसी के दो आँखें नहीं होंगी, दो पाँव नहीं होंगे, पैरालिसेज़ हो गया, उसके बच्चे गाली दे रहे हैं। वह बेचारा लंगड़ा बिस्तर में पड़ा है। वह रोता है प्रार्थना करता है कि कब ऊपर वाला मुझे ले जाए। परमानेंट डिसेबलमेंट डैथ के बराबर है। इसलिए उसमें भी पांच लाख रुपये मुआवज़े का प्रावधान किया जाए यह हमारी मांग है। इसके बाद रीइंबर्समेंट की बात है। रीइंबर्समेंट किसके लिए करेंगे? इसमें दो रीइंबर्समेंट हैं। एक तो सीवियरली इंजर्ड और दूसरा पार्शियली इंजर्ड। किसी मज़दूर को काम करते समय चोट लगी तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए वह कहाँ जाएगा? वह सीरियस पेशेन्ट है, बीमारी सीरियस है। उसको जाना पड़ेगा स्पेशलिस्ट के पास। अंडमान में कोई सुपर स्पेशियेलिटी हॉस्पिटल नहीं है। उसको चेन्नई में जाना पड़ेगा। जाने के लिए कौन एयरफेयर देगा? एयर में किराया है 92000 रुपये स्ट्रेचर में। गरीब मज़दूर कहां से जाएगा प्लेन में स्ट्रेचर में ट्रीटमेंट कराने के लिए? इसलिए रीइंबर्समेंट स्कीम में जो रिमोट एरियाज़ हैं - लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, उनके पेशेन्ट के इलाज के लिए प्लेन का फेयर भी देना चाहिए, यह हमारी मांग है। वह गरीब मज़दूर रीइंबर्समेंट कैसे लेगा? हम लोग एमपीज़ हैं, या कोई सरकारी कर्मचारी हैं तो एस्टिमेट लाओ, 90 प्रतिशत एडवांस पैसा लो और इलाज कराओ। मज़दूर के इलाज में अगर चार पांच लाख रुपये खर्च होंगे, अपोलो में या रामचन्द्र अस्पताल में, तो वह पैसा कहां से लाएगा? उस मज़दूर को भी एस्टिमेट के आधार पर उनको 90 परसेंट एडवांस रुपया देने की सुविधा हो, यह हमारी मांग है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो पार्शियल डिसेबलमेंट है, उसको भी प्रोराटा में डैथ में पांच लाख रुपये जो है, उसी के मुताबिक इसको भी बढ़ाएँ।

अंत में मैं प्रिवैन्टिव प्रोटैक्टिव हैज़ार्डज़ के बारे में कहना चाहूंगा। आप तो खुद माइनिंग एरिया से हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो लोग सीमेंट में काम करते हैं, रोड में काम करते हैं, क्वैरी में काम करते हैं, उनके लंगज़ में एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है सिलिकोसिस, जिसमें सीमेंट और पत्थर की डस्ट फेफड़ों में जम जाती है। वह पेट में जाती है तो स्टोन हो जाता है। इसलिए सीमेंट वेज बोर्ड में भारत सरकार द्वारा यह फैसला किया गया कि हर महीने उस मज़दूर को कम से कम डेढ़ किलो गुड़ देना चाहिए। यह गुड़ खाने से शरीर के अंदर जो सीमेंट और पत्थर का डस्ट जाता है, वह मोशन में निकल जाएगा। साथ में उसे कोकोनट आइल दीजिए शरीर में लगाने के लिए, ताकि बीमारी दूर भाग जाए। अंत में

मैं फिर अनुरोध करूँगा कि जो लोग हैज़ार्डस काम करते हैं, उनकी चिन्ता भी सरकार करे। मैं फिर कहूँगा कि हे लॉर्ड शिवा मल्लिकार्जुन जी, ऐसा अमेंडमेंट करो कि जिससे सरकार का नाम हो कि यह आम आदमी की सरकार है - एलाइंस प्रोग्रेसिव है, और हर गरीब मजदूर का भला हो। नहीं तो ऐसे लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे कि 500 रुपये का खाना कुत्ता खाएगा, उसके लिए पैसा है लेकिन गरीब के लिए पैसा नहीं है। आम आदमी की सरकार आपको कोई नहीं कहेगा। इतना अनुरोध करते हुए मैं फिर कहूँगा कि सरकार गरीब मजदूरों के साथ न्याय करे।

SHRI PABAN SINGH GHATOWAR (DIBRUGARH): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill. I stand to support the Workmen's Compensation (Amendment) Bill, 2009. Let me, first of all, congratulate the hon. Labour Minister and his colleague for bringing forward this Bill before this House for the consideration of the hon. Members.

Sir, the Second Labour Commission in 2002 recommended the amendment of the Workmen's Compensation Act. But it is good of the UPA Government that it has brought forward the Bill. I should say that it is the first step in the right direction. I will confine myself to the proposed amendments in this Bill.

I want to draw the attention of the hon. Minister, through you, Sir, to the amendment from "Workmen" to "Employees." Definitely, it will enlarge the coverage of the workmen and it will be gender neutral. Earlier, it was workmen. At one point, the PMO also constituted a Task Force to look into the gender neutrality of the Act. They also suggested that the expression "workmen" should be changed. I would congratulate the hon. Minister that he is going to change the title of the Bill by putting the word "Employees" and enlarging the area.

I have a submission in this regard because this Act will benefit those people who are the beneficiaries of this Act. In the changing scenario of the labour market. There is changing scenario in the industrial behaviour also, what about the other people, those who are not covered by the expression "Employees", I would request the hon. Minister to look into the definition of "Employees". It should give protection as much as possible to the employee concerned because there are diverse type of workmen who are coming to the labour market. It is also true that in this country, only 10 per cent of the workforce is organized and 90 per cent of the workforce is unorganized. Unfortunately, the unorganized lot are always outside the purview of any Act. Hence, I think, the UPA Government is thinking of bringing forward a Bill for the benefit - I mean the social security scheme for the - unorganized workers. Definitely, by this amendment, the Government has taken some bold steps. This time, the Government has empowered itself to revise the wages. In this regard also, I have a submission that

there should be a time limitation. So that within four or five years, there should be a revision of the wages. There should be some change in the Workmen Compensation Act. The revision will be based on the Consumer Price Index. The Consumer Price Index is changing every year. So, I think, if we wait for an indefinite period, workers are not going to get the benefit. Hence, there has to be a revision by the Central Government. When the Government is empowering itself, I think, Government need not come to this House. This should be periodically revised so that the workmen can get the benefit of the increased wage.

The State Governments are supposed to frame the rules. The crux of the problem is there because in many States, there are a fewer number of Workmen's Compensation Courts, Compensation Commissioners. So, I would request the hon. Minister to take up the matter with the State Labour Ministers to see that as many Workmen Compensation Commissioners are appointed. Otherwise, after the disability of the workers or after their death, the family members have to wait for a longer period under distressed condition. Again, I would say that it is a laudable step taken by the Central Government. They are limiting the period that within three months, the Commissioners have to give the judgment. If there is no Commissioner, who will give the judgment?

Then, there are fewer numbers of Labour Commissioners and they are loaded with more compensation cases. So, these things have to be looked into by the Government.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.



SHRI PABAN SINGH GHATOWAR : Sir, I will take only one or two minutes more.

The amount of compensation to be given is based on the Consumer Price Index of December, 2000 and they have increased the amount according to this index. It is a good step because it was never looked into by the earlier Government. The NDA Government had never cared to look into the provisions of the Workmen's Compensation Act. There were continuous demands from the trade union movement of the country, but they were never serious and they never tried to bring this Bill before Parliament.

Sir, the Government is also enlarging the qualification of the Commissioner. So, the State Governments will be enabled to appoint more and more Commissioners to attend to the cases of aggrieved persons. This is also a good step.

There are 50 types of injuries mentioned in the Workmen's Compensation Act and according to the assessment of the injury, they can offer compensation from 1 per cent to 100 per cent and it is a cumbersome procedure. So, I think, the Government has to look into the procedure as to how best it can be simplified.

Now there are more and more chemical and other hazardous industries coming up in our country. If the worker gets an internal injury, there is no system to assess it and there is no scope of considering the internal injury of the workers. There are many chemical industries functioning in the country now and the workers, who get an internal injury, suffer for a long time. So, there has to be a system to assess their internal injury and they should be properly compensated through this Act because these are emerging industries. There are many outsourcing companies in the country now and we have to look into the conditions of the workers working in the outsourcing industry.


Sir, the implementation of this Act is totally dependent on the performance of State Governments. There are many good provisions in the Act, but when the time comes for implementation, the responsibility always lies with State Governments. So, I would request the hon. Labour Minister to call for a meeting

of the Labour Ministers of all States, after the passing of this Bill, so that they can quickly formulate the rules and implement the policy envisaged in this Bill.

With these few words, I support the Bill wholeheartedly.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, सरकार ने दावा किया है कि 1923 के कानून को संशोधित करने के लिए हम द्वितीय श्रम सम्मेलन की अनुशंसा पर यह कानून लाये हैं। स्टैंडिंग कमेटी में भी इस पर बहस हुई, चर्चा हुई, अनुशंसाएं हुईं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि वर्कमेन का जो शब्द रखा गया है, उसकी जगह पर एम्पलाई, मतलब कर्मकार की जगह पर कर्मचारी रख दिया है। इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि स्टैंडिंग कमेटी की अनुशंसा उसमें है।

हम इनसे सवाल उठाते हैं कि उस कानून का नाम वर्कमेन कम्पेंसेशन कानून है और उसके भीतर वर्कमेन की परिभाषा की जगह पर एम्पलाई रख दिया गया तो फिर इस कानून के नाम में वर्कमेन क्यों है, उसको इन्होंने एम्पलाई क्यों नहीं किया? कानून के अंदर वर्कमेन की जगह इंप्लाय शब्द को इन्होंने स्वीकार कर लिया। भीतरी भाग में जब स्वीकार किया, तो ऊपरी हेडिंग में जो मुख्य नाम है, उसमें वर्कमेन की जगह इन्होंने इंप्लाय क्यों नहीं रखा? यह हमारा सवाल नंबर एक है।

महोदय, यह दावा किया गया, यह सन् 1923 का कानून है। मरने पर 80,000 रूपए कंप्नसैशन और 90,000 रूपए घायल होने पर, इसमें इन्होंने बहुत साहस दिखाया है। इसे समझा जाए, आप तो स्वयं जानकार आदमी हैं, मजदूरों के हित के  हैं। सन् 1923 में 80,000 रूपए, ये बड़ा साहस किए, वर्कमेन-वर्कमेन करके ये लोग बड़ा धन्यवाद चला रहे हैं और बहुत बधाई भी कर रहे हैं। ... (व्यवधान) सन् 2000 से सन् 2009 में क्या हालत है? सत्तापक्ष से मेरा आग्रह है कि आप विधेयक पास कराने में जरूर वोट दे दीजिए। जनता और खासकर गरीब आदमी, जो मेहनतकश मजदूर है, उसके सवाल में वाहवाही मत दीजिए।

मैं आपको इसमें भेद बताता हूं। कहां गरीब आदमी का काम देखने वाला है? कानून में ऐसी उलझन है, तीन पन्ने में कर्मचारी की परिभाषा है, असली जो कामगार है, वह तो इसमें आएगा ही नहीं। जो कर्मचारी नियोजित है, वह मर गया, जो कर्मचारी बीमित है, निविदा कर्मचारी बीमा निगम में नीमित है उनको नहीं, कुछ लोग ऐसे कार्यरत होते हैं, नियोजित होते हैं, क्या उनको कागज मिलेगा? हमारे यहां से लोग दिल्ली में आते हैं, वे माथे पर ईंट लेकर चलते हैं। वह सीढ़ी पर चल रहा है, चढ़ रहा है, वह गिर गया, मर गया, उसका विधान कहां है? कौन से कानून से उस गरीब आदमी की सहायता होगी? उसको कहां से कंप्नसैशन मिलेगा? छोटे-छोटे कारखाने चलते हैं। वह हाथ से उन्हें चलाता है, उसका हाथ घुस जाता है, हाथ कट जाता है, आदमी मर जाता है, आदमी दौड़-दौड़कर परेशान होता है। कानून में कौन सी परिभाषा होगी? तीन पन्ने में परिभाषा यह लिखे हैं। केवल न वाली परिभाषा लिखे हैं, फलां आदमी इसमें नहीं होगा, फलां आदमी इसमें नहीं होगा, तो कौन आदमी इसमें होगा? परिभाषा पाजीटिव होनी चाहिए। परिभाषा से ही हमें भारी मतभेद है। आप देखिए कि परिभाषा में इन्होंने क्या लिखा है? एक तो यह लिखा

है कि कर्मचारी को कर्मकार, कर्मकारों के बदले कर्मचारियों लिखा जाएगा, इससे क्या कोई मतलब है? असली है परिभाषा, कर्मचारी से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अनुसूची दो में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी किसी हैसियत में नियोजित नहीं है, यह निगेटिव है, जो नियोजित नहीं है, तो उसमें कौन है? इसमें संपूर्ण पन्ने में खोजेंगे, गरीब आदमी जो कहीं भी काम कर रहा है, क्या उसका कोई नियोजन कागज बनता है? जो छोटे-छोटे कारखाने वाले हैं, क्या उसका कागज बनाते हैं? जो डेली मजदूर है, उन्हें ठेकेदार ले आया, अभी मेट्रो में खतरा हुआ हुआ। दिल्ली वाले वहां देखने गए होंगे। मेट्रो में मजदूर काम कर रहा था। वह मर गया। वह गिर गया, उसका शाहतीर और उसका सिल ऊपर से गिर गया, वह पिचककर मर गया। उसके नीचे जो बैठे थे, वे मर गए। उनका क्या होगा? उनका इस कानून में क्या कहीं उल्लेख है? इसमें बड़ा भेद है। गरीब आदमी के साथ बड़ा भारी छल हो रहा है, खासकर मेहनतकश के साथ ऐसा हो रहा है। उसको कौन से कानून में परिभाषित किया जाएगा, कहां से कानून लाइएगा, विनिर्दिष्ट दो को देखा जाए, क्या-क्या इसमें लिखा हुआ है? ... (व्यवधान) मूल अधिनियम की अनुसूची दो में, दादा आप लोगों का काम करते हैं, वामपंथी लोग वर्कमैन-वर्कमैन, खाली यूनियन-यूनियन कहकर रह जाते हैं, लेकिन गरीब का सवाल हल कैसे होगा?

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, कंकल्यूड करिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, हम मूल बात कह रहे हैं। इन्होंने कानून बना दिया कि कमिश्नर हल कर देगा। लेबर कोर्ट उसको तीन महीने में तय कर देगा। तीन महीने में नहीं करेगा, तीन वर्ष तक रहेगा, पांच वर्ष तक रहेगा, उसका आप क्या करेंगे? गरीब आदमी से संबंधित कितने ही मामले कोर्ट में चल रहे हैं? वह कितने दिनों से चल रहा है, यह जानकारी है। क्या उनके लिए इसमें कोई प्रावधान है? इन्होंने कानून बना दिया कि तीन महीने में हल होगा। इलैक्शन पिटीशन का कानून में लिखा हुआ है कि छः महीने में फैसला होगा। क्या छः महीने में फैसला होता है? चूंकि कानून बनाया जा रहा है, इन्होंने कानून बना दिया कि तीन महीने में निष्पादन हो जाएगा, तो हम जानना चाहते हैं कि यदि तीन महीने में निष्पादन नहीं होगा, तीन साल लग जाएंगे, पांच साल लग जाएंगे, तब क्या होगा?

मारुति बहुत नामी कारखाना है। उसके सपोर्टर बहुत भारी दलाल लोग हैं। डेढ़ सौ, दो सौ कर्मचारी जो उसमें कार्यरत थे, दादा की पार्टी वाले कोई यूनियन चलाते हैं, उन्हें हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। वे कोर्ट में गये। हमें लगता है कि इस बात को पांच-छह वर्ष हो गये। ऐसा जाना जाता है कि वह जो गाड़ी का कारखाना था, जो कोर्ट चलाते हैं, उन्हें गाड़ी दे दी। इस तरह क्या फैसला होगा? इसलिए लेबर कोर्ट में ऐसे लचर कानून न रखे जायें जिससे गरीब लोग जो मर गये, घायल हो गये, उन्हें

न्याय न मिल सके। यदि तीन महीने में फैसला नहीं होगा, तब क्या होगा? वह गरीब कहां जायेगा, किसके यहां दरवाजा खटखटायेगा?

‘दैनिक जागरण’ में श्रम कानूनों का सच नाम से एक एडिटोरियल है। सभापति महोदय, आप दैनिक जागरण जरूर पढ़ते होंगे। उसमें लिखा है -- केन्द्रीय रोजगार एवं श्रम मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खरगे की स्वीकारोक्ति का कोई मूल्य नहीं कि श्रम कानून तनिक भी प्रभावी नहीं है। जब यह प्रभावी ही नहीं है, तो फिर कानून बनाकर क्या होगा? ऐसा मंत्री कहते हैं। श्रम के लिए कानून बनायेंगे तो वह जल्दी प्रभावी होगा। इन्होंने ठीक कहा। श्रमिकों एवं सेवायोजकों के बीच त्रिपक्षीय समझौता कराने के अतिरिक्त उनके मंत्रालय ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। उनको कम समय मिला है इसलिए कितना काम करेंगे। जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों विशेष रूप से केन्द्रीय मंत्रियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे केवल समस्या की गंभीरता बयान करें। जो सरकार में नहीं हैं, क्या वे गंभीरता बयान करेंगे? इन्हें काम करना है, लेकिन करते नहीं हैं। दुर्भाग्य से वर्तमान श्रम मंत्री यही कर रहे हैं। विडम्बना यह है कि विभिन्न स्तरों पर श्रम कानूनों में बदलाव की व्यवस्था अनेक बार जतायी जा चुकी है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला है। यह हम नहीं, अखबार के एडिटोरियल में विद्वान सम्पादक लोगों ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। लेकिन मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जो गरीब मेहनतकश लोग हैं, मेहनत करने से दुनिया में कुछ निर्माण हो सकता है। मेहनत से कारखाना चलता है, कपड़ा बनता है, घर बनता है, मेहनत से पार्लियामेंट बनी है। इसके लिए किसी मजदूर ने ईंटें ढोयी होंगी। उनका ख्याल नहीं किया जा रहा है। कानून का ऐसा मकड़जाल बना दिया जाता है कि वह फार्म लेकर दौड़ता रहेगा। मरने वाले की पत्नी एमपी के यहां आयेगी और कहेगी कि लेबर कोर्ट हमारी बात नहीं सुन रही है, हमें कागज नहीं मिल रहा है। जो मेहनत करके रोटी खा रहा था, वह मर गया, तो उसके परिवार का क्या होगा? इसकी चिंता है और यह श्रम मंत्री का दायित्व बनता है कि देश में जो मेहनतकश लोग हैं, असंगठित मजदूर हैं, उनके पास कागज नहीं है। वे दैनिक मजदूरी करते हैं, क्योंकि उन्हें गांव में काम नहीं मिला इसलिए यहां काम खोजने आ गये। वे माथे पर बोरा ढो रहे हैं, ईंटें ढो रहे हैं, कारखाने में मशीन चला रहे हैं, पम्पिंग सेट चला रहे हैं। यदि उसे चलाते हुए वे मर गये, तो उनके बारे में कोई प्रावधान इस कानून में नहीं है। इस कानून से गरीबों का भला होने वाला नहीं है इसलिए कोई कम्प्रीहेंसिव कानून आना चाहिए। कम्पेनसेशन कम है, तीन महीने वाला एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है, जिसमें गरीब और मेहनतकश लोग, जो कारखाने में काम कर रहे हैं, उनको लाभ मिल सके। जो काम करके दौलत पैदा करते हैं या जो कामगार हैं, इस विधेयक से अभी तक हमें उनके भले की कोई संभावना नहीं लगती। इसलिए हम सब पक्षों से और सदन से दरखास्त करते हैं कि इस तरह की मनोवृत्ति और इच्छाशक्ति होनी चाहिए कि मेहनत करने वाले निरूत्साहित न हों। सामाजिक सुरक्षा

की व्यवस्था ऐसी हो, कि जो भी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगे कि हम काम कर रहे हैं, तो हमारे मरने के बाद भी हमारा परिवार बिखरेगा नहीं, इस तरह की गारंटी होनी चाहिए। इन्हीं सब बातों पर विचार किया जाये।

*SHRI P. LINGAM (TENKASI): Mr. Chairman, Sir, I rise to support, on my own behalf and on behalf of the Communist Party of India, the Workmen's Compensation (Amendment) Bill, 2009 moved in this House on 7th of August, 2009. I would like to thank the Government for this move.

It is a long awaited action on the part of the Government to improve the lot of the working class of this country. Due to the changes in economic scenario, we find an impetus to both economic and industrial growth. Whether the standard of the industrial labour who contribute to the industrial growth has improved is a moot question. A labour, who is entirely dependent on his body and physical strength to earn his livelihood, is contributing to the industrial growth in his own way. Hence, the labour class must be adequately compensated when there is a dire need at a time when they are disabled.

When there is a sudden stoppage in the lives of the labour class either due to death or disablement or incapacitation or invalidation because of accidents or other causes, there must be an effective mechanism to provide for the social security needs of his family members and other dependents. This Workmen's Compensation (Amendment) Bill must ensure social security to an individual labour and his dependent family whenever there is a cessation of his productivity either due to disablement or death.

I would like to point out that the quantum of compensation spelt out in this Bill for death and disability is inadequate. I would also like to point out that the allowance provided for cremation at the time of death is very meagre and does not

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

meet the present day requirements as available in the wake of rising prices. I would like to place on record that it is incumbent on the part of the Government to ensure that the compensation amounts so paid are adequate and compatible to the needs based on the ground reality.

Social security cover is available to the workers and employees in the organised sector. We cannot afford to ignore the lot of the workmen in the unorganised sector. Their standard of living needs to be improved and it has been neglected all these years. I would like to impress upon the Government to provide a cover to those workers also and, if it is possible, we must ensure that the benefits of this Bill accrue to the workers in the organised sector too.

In this Bill, the compensation provided to workmen has been enhanced from Rs. 80,000 to Rs. One lakh and twenty thousand only. I would like to point out that even in a road accident, the compensation paid is more. While calculating compensation for the victims of road accidents, their annual income is taken into consideration and it is multiplied by 10. Thus, an amount equivalent to 10 years' annual income is paid as compensation. But in the case of workmen, the compensation sought to be paid through this Amendment Bill is not adequate, particularly when we consider the huge price rise that we are witnessing now. We must recognise the fact that the dependents and the family members of such workmen who die in harness must have befitting compensation to help them come out of the shock and the grief due to an abrupt end to their livelihood. I would request the Government to increase the compensation amount to Rs. Five lakh. Totally incapacitated workmen are to get Rs. 1,40,000 as compensation which has been enhanced from Rs. 90,000. I would like to point out that this is also not adequate. After spending on medical treatment, the worker must ensure that the day-to-day needs of his family must also be met. Hence, the sudden stoppage of livelihood of the worker must also be taken into consideration. I request the Government to enhance this compensation also to Rs. Five lakh while providing for medical assistance and healthcare on a continuous basis from then on.

I would like to point out that the allowance extended to perform the last rites of the workmen in this Bill is much less than what is provided in other social security measures. Even poor people are forced to shell out at least Rs. 20,000 for such ceremonies. At least that compensation must be paid fully taking into consideration the ground realities.

Medical Advance must be extended to workmen for undergoing treatment in place of the medical reimbursement procedure resorted to in this Bill. The sorry plight of the working class must be taken into consideration while providing medical care. Almost all of them are not in a position to spend during such exigencies. It will be meaningless to say that they can take back the money after spending it first during those critical hours when they are in dire need of anything and everything. This Amendment Bill, by itself, could have provided for medical treatment through certain notified hospitals. At least from now on, a holistic view must be taken and a comprehensive compensation package must be extended to workmen. Saving the lives of workmen at the needy hour is more important and this must not be lost sight of.

This Bill provides for the setting up of Statewise Commissions. I would like to impress upon the Government that the wings of such Commissions must be operative in all the district headquarters all over the country considering the vast population and the large number of workmen in our country. Deputy Commissions must be set up in all the districts. Trade union representatives, especially from Central Trade Union organisations, must be roped in to take part in the functioning of these commissions so that the workers' point of view is not lost sight of. Emphasising the need to cover workmen from the unorganised sector also to get the benefits of this Amendment Bill and also the need to increase the number of members in the commission from 20 to a further enhanced number, let me conclude my speech extending my support again.

MR. CHAIRMAN : Dr. Prabha Kishor Taviad wants to lay her speech on the Table of the House. She can give her written speech on the Table of the House, which will be taken as read.

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, सरकार के द्वारा कर्मकार प्रतिकर संशोधन विधेयक, 2009 में कुछ संशोधनों के साथ इस बिल का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस बिल में मुख्य रूप से चार विषयों का उल्लेख हुआ है। एक, कर्मकार शब्द की जगह पर कर्मचारी शब्द रखा जाये। दूसरा, काम करने वाले कर्मचारी की अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो उसको अभी 80,000 रूपए मिलते थे अब उसको 1,20,000 रूपए मिलेंगे। तीसरा, यदि कर्मचारी स्थायी रूप से विकलांग हो जाए तो पहले उसे 90,000 रूपए दिए जाने का प्रावधान था जिसे अब बढ़ाकर 1,40,000 रूपए कर दिया गया है। चौथा प्रावधान यह है कि पहले कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके अंतिम संस्कार के लिए 2500 रूपए दिए जाते थे जिसे अब बढ़ाकर 5000 रूपए कर दिया जाएगा।

मैं समझता हूँ कि देश की बहुत बड़ी आबादी, इन श्रमिकों की है, जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इनकी संख्या का अगर अनुमान लगाया जाए तो यह 35 करोड़ से भी अधिक होगी जिनके लिए यह बिल प्रस्तुत किया गया है। मैं मानता हूँ कि यह ऐसा क्षेत्र है जो कई हिस्सों में बंटा हुआ है। उनकी सुविधा के लिए, उनकी मदद करने के लिए कानून तो बने हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इन कानूनों का लाभ उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। इसका एक कारण यह है कि जो कानून बने हैं, उनमें शब्दों का खेल है, कानूनों के प्रावधानों में जगह-जगह किन्तु-परन्तु लगे हुए हैं। इसके कारण भी मजदूरों को इन कानूनों का लाभ नहीं मिल पाता है। यह विधेयक स्वागत योग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं, लेकिन इस विधेयक में जो प्रावधान किए गए हैं, वे बढ़ाने लायक हैं। एक गरीब आदमी की जिंदगी क्या है, सिर्फ 1,20,000 रूपए! इसी तरह एक गरीब आदमी अगर स्थाई रूप से विकलांग हो जाए तो उसकी कीमत क्या है, सिर्फ 1,40,000 रूपए! मैं पूछना चाहता हूँ कि जिनका बीमा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से बीमा है, उन्हें इन परिस्थितियों में कितना बीमा मिलता है? जब दुर्घटना होती है, तब बीमा मिलता है। अगर सरकार वास्तव में उनकी मदद करना चाहती है तो ये जो सीमित प्रावधान हैं, इन्हें बढ़ाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मंत्री जी ने कहा कि ईएसआई के जो मजदूर हैं, उनके अलावा जो श्रमिक हैं, उन्हें हमने इसमें शामिल किया है। मंत्री जी यह बताएं कि इस बिल में किस-किस तरह के श्रमिक आएंगे और कौन-कौन से क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक आएंगे? यदि इसका भी उल्लेख होता तो जिस व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए आपने एक्ट में संशोधन करने का काम किया है, वह

पूरा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी कई ऐसे सेक्टर हैं, जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात बताता हूँ। मेरे क्षेत्र में बड़े-बड़े कारखाने हैं, उस क्षेत्र में काफी संख्या में मजदूर काम करते हैं। उनके बारे में भी चिन्ता करनी होगी। इसके अलावा जो घर में झाड़ू-पोंछा लगाने, बर्तन साफ करने, खेतों में काम करने वाले, जंगलों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनके बारे में क्या प्रावधान है? इसके अलावा बीड़ी मजदूर हैं, जो बीड़ी बनाने में ही अपना जीवन खपा देते हैं और उसके फलस्वरूप उन्हें टी.बी., कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं, उनके लिए क्या सोचा है, क्या उनका भी प्रावधान इसमें है और क्या उनकी मदद भी आप करने वाले हैं?

16.53 hrs.

(Dr. Girija Vyas *in the Chair*)

क्या एक मजदूर के जीवन में यही इस बिल में प्रस्तावित तीन-चार स्टेज ही आएंगी कि वह मर जाए, स्थाई रूप से विकलांग हो जाए या उसकी अंत्येष्टि हो। मैं समझता हूँ इनके अलावा और भी जरूरत है, जैसे उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, परिवार के लिए दवा इत्यादि की व्यवस्था। जैसे अभी रघुवंश बाबू कह रहे थे कि अगर किसी मजदूर का हाथ या पांव कट जाए तो वह स्थाई विकलांग की श्रेणी में नहीं आएगा, तो फिर पैसे कैसे मिलेगा। इसलिए हमें ये सब चीजें भी देखनी होंगी। हमें यह भी देखना होगा कि काम करते हुए किसी दुर्घटना में कोई मजदूर घायल हो जाए, तो उसके इलाज की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। संगठित क्षेत्र के मजदूरों का इलाज ईएसआई के अस्पताल के माध्यम से हो जाता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे किसी मजदूर को आप कैसे लाभ पहुंचाएंगे? असंगठित क्षेत्र में यह हालत है कि अगर कोई महिला गर्भवती हो, तो वह तब तक काम करती है, जब तक उसके पेट में दर्द न हो जाए। इसी तरह खेत-खलिहानों में काम कर रही महिलाओं के जो बच्चे होते हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि दोनों बीमार रहते हैं। ऐसी प्रसूति वाली महिलाओं की हम मदद नहीं कर सकते।

मेरे राज्य मध्य प्रदेश की सरकार ने एक कर्मकार सहायता योजना चलाई है। मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूँ कि उस योजना के तहत इस तरह के तमाम श्रमिकों को शामिल किया गया है। पूरे राज्य में ऐसे 75 लाख मजदूरों को चिन्हित किया गया है और उन्हें पहचान पत्र दिए गए हैं। जिसके माध्यम से उनके बच्चों की पढ़ाई फ्री, उनके माता-पिता और बच्चों के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दुर्घटना के समय उन्हें मुआवजा भी दिया जाता है। अगर कोई महिला गर्भवती हो तो उसे 40 दिन की मजदूरी अवकाश सहित मिलती है। इसी तरह उसके पति को जच्चा-बच्चा की देखभाल के लिए 15 दिन की मजदूरी अवकाश सहित मिलती है।

आपने इस विधेयक में अंतिम संस्कार के लिए प्रावधान किया है, ऐसा प्रावधान उस योजना में भी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक गरीब परिवार की जरूरत क्या है, उसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे कानूनी स्वरूप दे सकते हैं, उसका उल्लेख इस बिल में होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप

इन सब बातों पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि आपका दृष्टिकोण सही है। मेरा यह कहना है कि इन चार प्रावधानों के साथ और भी प्रावधान इस बिल में जोड़े जाएं और श्रमिकों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का काम आप करें। श्रम कानून कई हिस्सों में बंटा हुआ है। इस श्रम कानून की इम्प्लीमेंट एजेंसीज हैं, वे अपने-अपने हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन कर रही हैं। आए दिन कारखानों में दुर्घटनाएं होती हैं और रोज मजदूरों की मृत्यु होती है, लेकिन उन्हें मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं मिलता। कारखानों में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए प्रशासन के माध्यम दबाव बनाकर से थोड़ा-बहुत पैसा मिल जाता है, लेकिन उससे उन मृतक मजदूरों के परिवार वालों की समस्या का निराकरण नहीं होता है। न्यायालयों में मुकदमें पंजीबद्ध हैं, कब उनकी निराकरण की समय-सीमा तय होगी? आपने तीन महीने की समय-सीमा बताई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस समय-सीमा का इम्प्लीमेंटेशन न्यायालयों में होगा। आपको उस गरीब का ध्यान रखकर, जिसके लिए इस बिल में संशोधन किया जा रहा है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। उस गरीब को कैसे हम लाभ पहुंचा सके, इस पर भी कड़े कानून बनाने की जरूरत है। मैं इस बिल का इन संशोधनों के साथ समर्थन करता हूँ।



*DR. PRABHA KISHOR TAVIAD (DAHOD): tThe people of unorganised sector – working in stone crushing factory are inhaling the dust of stone – small micro parts of stone which is known as silica, and the disease is known as silicosis. The lungs are destroyed to such an extent that they are getting infection of lung off and on mostly tuberculosis. Then the patient has to die as there is no treatment of Silicosis. Such persons/ workers are to be given compensation.

In Gujarat ESIS – scheme is there but these workers are not able to get benefit because these persons are not on roll calls because the factory owners are always showing less number of workers on record, when they have a visit of labour officer they are declaring holidays and not allowing them to represent.

These people are poor. The factory owners are giving shelter to stay in factory. These people are not knowing the hazards of 24 hours inhalation of silica – whole family is at risk.

So I request you to include them and if they are diagnosed any occupational disease they should be given compensation irrespective of duration of exposure. Any occupational disease, if diagnosed should be given compensation.

* Speech was laid on the Table.

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): मैडम, आज माननीय मंत्री जी जो बिल लाए हैं मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि जिसके लिए यह बिल लाया गया है वह हिंदुस्तान में रहने वाला इंसान बड़ी बुरी हालत में है। हमारा समाज जोकि लोकतांत्रिक समाज है, उसकी जिंदगी सबसे घटिया सदियों से रही है। लगता था कि जब लोकराज आयेगा तो इस मजदूर वर्ग की, वर्कमैन की सुनवाई यकीनन होगी। आज उसके मकान की क्या हालत है? उसके घर पर छत नहीं है, उसकी शक्ल से ही लगता है कि वह मजदूर है, उसके पहनावे को देखें तो दूर से लगता है कि मजदूर है, दूर से ही उसकी बनावट मजदूरों की लगती है। वह दिन कब आयेगा जब यह मजदूर भी, दुनिया के बाकी इंसानों के साथ मिलकर बैठ सकेगा और अपने को इज्जतदार इंसान मान सकेगा। यह ठीक है कि आप बड़ा बिल लेकर आये हैं और बेहतरीन अमेंडमेंट्स लाए हैं लेकिन इन अमेंडमेंट्स से मैं नहीं समझता कि उस मजदूर को कुछ मिल पाएगा। यकीनन इसमें उसे इज्जत देने की बात कही गयी है। यह बहुत बढ़िया बात है। मौत पर 80 हजार से 1 लाख 20 हजार रुपये की बात कही गयी है। क्या 1 लाख 20 हजार में उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनका पेट भर पाएगा, वह इज्जत की जिंदगी जी सकेंगे। दूसरा आपने जो 1 लाख 40 हजार रुपया किया है, उसे भी देखें। एक तरफ आपने कहा है कि 1 लाख 40 हजार रुपया अगर वह डिसेबल होता है तो उसे दिया जाएगा। दूसरी तरफ आपने इंजरी के बिल पेश करने की बात कही है, आपने कहीं नहीं लिखा कि अगर वह बीमार हो जाए तो उसके लिए कहीं भी लफ्ज नहीं है कि उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कुछ होगा। केवल काम करते समय इंजरी के लिए किया गया है। यह क्या बात है? यह बड़ी अफसोस की बात है। मजदूर की बीमारियां क्या हैं? सबसे ज्यादा टीबी किसे होती है, कैंसर किसे होता है। आज मजदूर वर्ग में कैंसर है, टीबी है, बड़े लोगों को तो विदेश से बीमारियां आती हैं। वहां विदेश गये थे और सार्स लेकर आये हैं, एड्स लेकर आये हैं लेकिन गरीब की बीमारी के लिए कोई डिफेंस नहीं है, उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता है। मैं कहना चाहूंगा कि यह तो संगठित मजदूर की हालत है, कभी असंगठित मजदूर की तरफ देखें। मेरे यहां वैष्णों देवी में 25 हजार मजदूर यात्रियों को कंधों पर उठाकर यात्रा करने के लिए ले जाता है। उस पर 12 परसेंट टैक्स है। मैंने पांच साल पहले भी यहां कहा था, उस समय माननीय ऑस्कर फर्नानडीज साहब थे, आज सब चैंज है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।

17.00 hrs.

आज भी वहां उनका शोषण किया जा रहा है। आपने इनकम टैक्स तो सुना होगा, आपने सेल्स टैक्स भी सुना होगा और टोल टैक्स भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने लेबर टैक्स सुना है? मैं पूछना चाहता हूँ कि वैष्णों देवी की यात्रा पर जो मजदूर काम करते हैं, उन्हें टैक्स देना पड़ता है, कौन इसे लीड कर रहा है? इसे कोई नहीं पूछ रहा है। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि एमपी जितना मर्जी चिल्लाए कोई सुनवाई



नहीं है। हम सभी गलतफहमी में हैं कि एमपी सदन में कोई बात करेगा, तो स्थिति में बदलाव होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कह सकता हूँ कि एमपी भी मजदूर की भांति है। हमारी भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप सोचें, एमपी सम्माननीय है, चीफ सैक्रेटरी से बड़ा है, लेकिन क्या मिलता है। अपने मिलने वालों को चाय नहीं पिला सकता है। एक सैक्रेटरी के आफिस कोई आएगा, तो वहां उसे सरकारी चाय मिलेगी। आपको क्रुट दिखाया गया है।

सभापति महोदय : लाल सिंह जी, आप कृपया विषय पर बोलिए।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): महोदय, लाल सिंह जी सही बात कह रहे हैं, इन्हें बोलने दीजिए।

चौधरी लाल सिंह : मैं कहना चाहता हूँ कि जिस मजदूर ने सुई से जहाज तक बनाया, वह आदमी है, वह बैठ नहीं सकता है। वह दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतें खड़ी कर सकता है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वह गद्दे तैयार कर सकता है, लेकिन उन पर लेट नहीं सकता है। बड़े-बड़े घर बना सकता है, लेकिन झुग्गी में रहता है। हमें उनके लिए क्या किया है? हमने उनके लिए कुछ नहीं किया है। जब मजदूर सुखी होगा, तब इस देश में किसी प्रकार की मुश्किल नहीं रहेगी। मजदूर सबसे ज्यादा दुखी है और जिल्लत की जिंदगी बिताने पर मजबूर है। उसके बच्चे स्कूल जाने को तरसते हैं। किस मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, किस मजदूर के बच्चे पढ़ कर डाक्टर या इंजीनियर बन गए हैं? कौन सा मजदूर ऐसा है, जिसके बच्चे सही ढंग से पढ़ सके हैं? सिर्फ एक मिड डे मील योजना है, लेकिन यह कैसी योजना है, जिसमें बच्चे खाना खाते ही बीमार हो जाते हैं। मेरा सुझाव है कि सौ रुपए नरेगा के तहत किए हैं और वह भी बहुत मुश्किल से किए हैं तथा असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए किए हैं। आज दाल और चावल का क्या भाव है? मजदूर तेल भी नहीं खरीद सकता है। उसके घर तड़का नहीं लगता है। आप तो कहते हैं कि फ्राई करो फ्राई, तड़का लगा लो। आप मजदूर से पूछो कि क्या कभी फ्राई देखा है।

श्री गणेश सिंह (सतना): दाल के अंदर दाल नहीं होती है।

सभापति महोदय : आप बैठ जाएं। माननीय सदस्य आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

चौधरी लाल सिंह : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ। पांच लाख रुपए से कम मुआवजा नहीं होना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आपकी स्टैंडिंग कमेटी की जो अनुशंसा है, वह भी साढ़े चार लाख, पांच लाख की है। समिति ने कुछ सोच कर ऐसा कहा होगा, अगर समिति ने कहा है, तो आपने कम करके उसे क्यों पेश किया है? मेरा कहना है कि स्टैंडिंग कमेटी की जो कार्यवाही है, वह जरूर इम्प्लिमेंट होनी चाहिए। इसके साथ मेडिकल रिइम्बर्समेंट की बात कही है, रिइम्बर्समेंट लेने के लिए पहले पैसे देने पड़ते हैं। शायद आप लोगों को भी कभी रिइम्बर्समेंट लेने के लिए जाना पड़ा होगा, आप जानते होंगे कि मजदूरों की

रिइमबर्समेंट कैसे होती होगी? आप मजदूरों का इलाज करवा दो, उसे रिइमबर्समेंट की जरूरत नहीं है। वह पहले दवाई कहां से खरीदेगा? एक्सरे के टेस्ट वह कहां से कराएगा?

आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि कमिश्नर बिठा दो, कौन सा, जो एजुकेशन का तजुर्बा रखता है और मनेजमेंट का। कौन सी मनेजमेंट, जो वर्कर का खून निचोड़ती है। उस संस्था को पूरा ढंग आता होगा कि कैसे मजदूर की जान निकालनी है। आप कमीशन बनाइए लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी एक्सपीरिंस होल्डर, तजुर्बेकार यानी मजदूरों से ही किसी एक्स-एम पी को इसका हैड बनाइए जो कम से कम उन पर तरस तो खाएगा। हम जानते हैं कि **We are representing the country.** हम जानते हैं कि एक एमपी क्या कर सकता है, उसके मन में क्या है? इसलिए आप इस कमेटी का हैड एक्स-एम.पी. को बनाइए, एक्स-एम.एल.ए. को बनाइए और बाकी कोई कमीशन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है।

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Madam Chairperson, we all discuss about the labourers in the unorganized industrial sector but to date we could not take any concrete steps to improve their lot. For the first time, a Comprehensive Bill has been introduced in this august House and has been said that it would keep pace with the changing times and scenario. Therefore, I take the floor to support this Workmen's Compensation Bill, 2009 and would like to express my views on it.

We all know that workers are the source of creation. Be it in agriculture, in industry or in general, workers are creators. But what is the condition of the workers? They die unattended. Their children do not receive education, they do not get proper medical treatment, or pension or gratuity. This is the ground reality. Labourers in the Bidi Industry, Construction Sector, Motor Vehicle Industry are at high risk. They are infact bound to obey the instructions of the management and can be retrenched any moment. Their demands are never met.

Thus the Bill is here today but it has to be implemented in the right earnest. Otherwise there is a tendency among the owners and employers to violate the rules. If rules are not followed properly then the workers do not benefit at all. A provision should be there by which the employers are kept under control and they do not dare to overstep. Along with this, I'd say that whenever anyone dies of accident, both the Central Government and the State Government, in the quasi-federal structure, immediately declare a compensation of Rs.5 lakhs. So why won't the labourers be paid only Rs. one lakh twenty thousand or one lakh forty thousand? They should also be given 5 lakh rupees and if his/her next kin is suitable for job then they should also be accommodated in job. This is my request to Hon. Minister.

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

Secondly, there is a provision of Rs.5000 to be paid to the workers to perform the last rites of their near and dear ones. We know that prices are shooting through the roof. So this amount is not sufficient at all. It should be at least Rs.10,000. If any labourer is injured or incapacitated, he has to bear the primary cost of his own treatment. This is not proper. He is not financially sound enough to do so. Thus the Government should come forward to take the responsibility of medical treatment of the workers this provision should also be there.

One more thing is that there might be unnecessary delay in payment of compensation to the workers. Often 5 to 10 years pass but still the compensation money is not paid to them this should be mentioned in the Bill as pointed out by Shri Kalyan Banerjee. He should also be given interest along with the compensation money if there is a delay and the officer or commissioner responsible should be punished for non-performance of duty.

In the country, there are large number of unorganized labourers who are suffering. Something needs to be done for them and better provisions should be added to this Bill so that the workers are benefited. With these few words, I thank you and conclude my speech.

*SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): I welcome this Workmen's (Amendment Bill). Sir unorganized sector workers particularly Mason, *PERIA ALL*(big worker) Chithal (Lady worker) and their work-load is more. Their life is miserable. They don't have any security for job. If they fall from the home (construction site) they cannot afford a private hospital. Thanks to Tamil Nadu State Government for bringing a new law namely 'KALAI GNAR KAPPETTU THITTAM'" to spend one lakh from the Government of Tamil Nadu. Same way I request the Government under the leadership of Dr. Manmohan Singh and under the guidance of Madam Soniaji for providing medical compensation namely actual expenses – even if it is Rs.3 lakh. Our UPA Government have to give the amount that will go directly to the hospital and the Government should give instruction to the Hospital, i.e. actual expenses of medical or whatever it is, even if it is Rs.3 lakh will directly go to the Hospital. The card holders either BPL/Workmen Cardholder should be entitled for that. In an organized sector, you have to increase the compensation for death from Rs.1,20,000/- to Rs.3 to 5 lakh so that they can manage with the money by opening a small shop in a market and thus manage their livelihood.

There job is not a secured one. If they suffer from any disease, they can be allowed to take treatment in Government ESI Hospital. For that, the Government have to issue orders to the hospitals. Sir Bidi workers' condition are very pathetic. The weight of a man is not more than 60 kg. and woman is not more than 50 kg. Their health is very pathetic. So the Government have to take special care for these Bidi workers which is an unorganized sector. The Government is bringing this legislation which is of real importance. With this Act, the unorganized labourers and temporary makeshift workers and their poor families will be benefited.

With these words I welcome this historic Bill.

* Speech was laid on the Table

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER (PONNANI): Madam, thank you very much for giving me this opportunity. I have a special gratification in participating in this discussion as I was also an industrial employee working in a chemical factory for about 15 years, and I am still a humble Trade Unionist. Hence, I had many occasions to deal with the Workmen's Compensation Act, and I really appreciate the usefulness of this piece of legislation.

This is a much awaited amendment to the Workmen's Compensation Act. Even though it is a small piece of legislation, yet I would say that it is the outcome of a laborious work. The intention of this legislation is very good. The Second National Commission on Labour (2002) recommended for such an amendment. Similarly, the Standing Committee on Labour had a series of discussions with the stake-holders, Trade Union people, industrialists, safety officers, etc., and they have made on-the-spot study about the necessity of such an amendment. They have visited industrial cities like Ranchi, Bangalore, Kochi and Trivandrum, and they have had enough threadbare discussions with the concerned persons.

If we are asked whether this amendment is adequate, then we may not be able to say 'Yes'. But, it is really meaningful. The definition is changed from workmen to employees, which will be covering most of the employees; the minimum compensation amount has been increased from Rs. 80,000 to Rs. 1,20,000 and from Rs. 90,000 to Rs. 1,40,000; the funeral expenses have also been increased from Rs. 2,500 to Rs. 5,000; reimbursement for actual treatment is also met in this; and widening of eligibility criteria for Commissioners is also there. Another important point in this is the time limit, that is, within three months the decision will have to be taken by the Commissioner. These are all good things.


But, when we analyze all these things, we have to verify certain other things also. For example, in the list of injuries external injuries are listed in it, but it is not sufficient. I would like to quote just a couple of sentences from the Report of the Standing Committee. It says that :

“The Committee strongly, therefore, recommends that besides external injuries, internal injuries caused during the course of

employment, which *inter alia* should include passage from residential workplace, should also be incorporated in the appropriate schedule of the Act to determine the compensation payable to the employees.”

Unfortunately, this part has not been considered in this Bill, and I would humbly request the hon. Minister to give due consideration to this recommendation of the Standing Committee.

Then, I would like to make some general observations. One is about the industrial accidents. In reply to a question in Rajya Sabha, the figure that is mentioned is really alarming. Industrial accidents are increasing day by day. Statistics is with me. Considering the time constraints, I do not want to enter into that details.

Madam, this Factories Act says  about the safety of the industrial employees. Sections 27 to 40 talk about the precautions to be taken to avoid accidents. Safety clause is there. But unfortunately, it has not been monitored effectively. There are Inspectors of Factories and Boilers. They are not visiting the factories. Even if they are visiting the factories, trade union people are not aware whether they have come to the factory or not. So, I suggest that periodical inspection by the Inspectors of Factories and Boilers should be strictly adhered to. When they visit the factory, the concerned trade union people also may kindly be informed about that. So, in order to avoid the accidents, we have to do such kind of monitoring. When we talk about the industrial workers, factory workers, what about the workers in the unorganised sector? Take an example of Delhi. Now the Commonwealth Games are going to come next year during the same period. About the construction workers engaged in this Commonwealth Games. *The Asian Age* reports that 48 construction workers have died and another 98 suffered serious injuries in the series of mishaps which have occurred on construction sites during 2008-2009. It is really alarming. It is only an example. So, I would like to say that we must give some emphasis on the unorganised workers. Even though there is the law, it has not been adhered to strictly.

MADAM CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI MOHAMMED E.T. BASHEER : I am concluding. I myself was a workers. The compensation rate which is stipulated in this Act may considerably be increased. I would like to point out that also. On the spot visit of the Offices, as I mentioned earlier, that should be made compulsory. I do not want to take much of the time. A comprehensive reform is required in the Workmen's Compensation Act. I take this as a humble beginning. I hope that the hon. Labour Minister and the Government will come forward and make a comprehensive law on the safety of the workers. With these few words, I conclude.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इस अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 2009 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं अपने को इसलिए भी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस विधेयक को 14वीं लोक सभा में पारित होना था। 14वीं लोक सभा में भी जो विधेयक आया था, यह बहुत सम्यक रूप से विचारोपरान्त आया था। जिस तरह से हमारे तमाम साथियों ने कहा है, यह विचार का एक विषय हो सकता है कि चाहे कोई वर्कमैन या इंप्लॉई डिसेबल हुआ हो या किसी की मृत्यु हो गई हो, या उसको चिकित्सा की वास्तविक क्षतिपूर्ति का सवाल हो, उसकी राशि की भिन्नता पर निश्चित रूप से विचार-विमर्श हो सकता है। लेकिन कांग्रेस और यूपीए गवर्नमेंट की नीयत को बधाई देनी पड़ेगी कि देश के उन तमाम कारखानों में काम कर रहे लोग जो अभी तक इंडियोरैन्स एक्ट में कवर नहीं थे, उनको कवर करने का प्रयास किया गया है।

सभापति महोदया, उनकी जो धनराशि बढ़ाई गई है, यह भी अच्छा कदम है। केवल धनराशि ही नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि यह अधिकार भी इस एक्ट के द्वारा दिया जा रहा है कि अब भविष्य में उस क्षतिपूर्ति को अगर हमें बढ़ाना है, तो हमें बार-बार विधेयक लेकर संसद में नहीं आना पड़ेगा। मैं इसके लिए भी लेबर मिनिस्टर और उनकी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ।

महोदया, इस विधेयक पर स्टैंडिंग कमेटी में भी चर्चा हुई। इसके लिए नैशनल कमीशन ऑन लेबर, 2002 में सैट-अप किया गया था। उसने तमाम मिनिस्ट्रीज से, तमाम राज्यों की लेबर मिनिस्ट्रीज से और सभी स्टेट और यूनियन टैरीटरीज से डिसकस करने के बाद, जो रिक्मेंडेशन्स दी हैं, उसके आधार पर वर्कमैनस कम्पेनसेशन एक्ट, 1923 में संशोधित कर के वर्तमान वर्कमैनस कम्पेनसेशन एक्ट प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार स्वाभाविक है कि यह पहला विधेयक है, जिस पर पूरे देश की राय ली गई है। इस पर सभी राज्यों की राय ली गई है, सभी यूनियन टैरीटरीज की राय ली गई क्योंकि यह विषय देश के उन तमाम इलाकों के मजदूरों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अगर कोई मजदूर, जो संगठित क्षेत्र के मजदूर की श्रेणी में नहीं आता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए, तो हम लोग कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में देखते हैं कि उसके दाह-संस्कार के लिए भी, उसकी विधवा को कहीं अपने सुहाग का मंगलसूत्र रखना पड़ता है। इसमें दाह-संस्कार की राशि को 2500 रुपए से इसे बढ़ाकर 5000 रुपए किया गया है। इससे जहां एक तरफ उसके सुहाग की लाश रखी हो और दूसरी तरफ दाह-संस्कार के लिए पैसे की व्यवस्था करनी हो, तो कम से कम उसे अब अपने सुहाग का मंगलसूत्र नहीं बेचना पड़ेगा। इसलिए मैं इस विधेयक को लाने के लिए सरकार को साधुवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ।

महोदया, आज अगर कोई भी मजदूर अपंग हो जाता है, स्थाई रूप से विकलांग हो जाता है, तो वह निश्चितरूप से पहाड़ के बोझ की तरह अपने परिवार के ऊपर हो जाता है और उस बोझ को केवल

उसकी पत्नी अथवा परिवार ही समझ सकता है। इसलिए इस हेतु जिस तरीके से धनराशि बढ़ाई गई है। वह भी अच्छा है। यदि किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है, तो पहले उसे केवल 80 हजार मिलने थे, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार रुपए किया गया है और स्थाई रूप से विकलांग को 90 हजार के बजाय 1 लाख 40 हजार रुपए देने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से इस सरकार की कम से कम यह नीयत है कि इस देश के उन तमाम वर्कमैन की परिभाषा को काफी वाइडर किया गया है और उन्हें एम्पलॉइज की श्रेणी में लाया गया है और वे जो तमाम लोग, चाहे रेलवे में हों, चाहे शिप में हों या एयरलाइंस में हों, जो अभी तक इसके अंदर कवर नहीं होते थे, उन सभी को इसके अंदर कवर किया गया है। इस प्रकार से उन तमाम करोड़ों लोगों को आज एक सुरक्षा प्रदान करने का काम इस विधेयक द्वारा किया गया है।

महोदया, इस विधेयक के संबंध में हमारे वरिष्ठ साथियों और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो कहा, श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, हम सब सार्वजनिक अथवा व्यावहारिक जीवन में हम देखते हैं कि जिस प्रकार से वर्कमैन्स कम्पैनसेशन के मुकदमे चलते हैं और जिस प्रकार से लेबर कमिश्नर्स को जो एम्पलायर्स हैं, वे किस तरीके से प्रभावित करते हैं, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि तमाम शुगर मिल्स हैं और हम लोगों के क्षेत्रों में भी अनेक इस तरह की इकाइयां हैं, उन इकाइयों के तमाम ऐसे असंगठित मजदूरों को इससे लाभ होगा। यह बात सही है कि बहुत थोड़ी सी क्षतिपूर्ति के लिए, मिल वाले पैसा इसलिए नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वे एम्पलायर और कॉर्पोरेट हाउस के लोग उन्हें सबक देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि पैसा देंगे, तो अपनी टर्म एंड कंडीशन्स के आधार पर देंगे। इस सरकार ने कम से कम एक कमिशनर को नियुक्त कर के यह कह दिया है कि तीन महीने के अंदर निश्चिततौर से उनकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था होगी और वह सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद भी अगर तीन महीने में नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार करेगी। जब सरकार इस विधेयक में यह बात ला रही है कि हम उन तमाम मजदूरों, जो विकलांग हुए हों या किसी और कारण से उन्हें क्षतिपूर्ति मिलनी है, फिर चाहे उनकी मृत्यु हो गई हो या मैडीकल की हो, उस क्षतिपूर्ति को दिलाने का भी एक मॅंडेटरी प्रॉवीजन किया गया है। निश्चिततौर से यह भी स्वागत योग्य कदम है।

महोदया, मैं समझता हूँ इस विधेयक के माध्यम से जो नया अधिकार दिया जा रहा है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगा कि अगर वर्कमैन्स कम्पैनसेशन को जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है, उसके साथ जोड़ दिया जाए और उसे समय-समय पर जिस समय प्राइस इंडेक्स बढ़ता हो, उसी समय इनके कंपैन्सेशन की दरें बढ़ जाएं, तो अच्छा होगा। इस पर अगर सरकार विचार कर सकती है, तो निश्चिततौर से आने वाले दिनों में यह एक स्वागत योग्य कदम होगा। क्योंकि आज यह विधेयक उन लोगों

को लेकर आया है, जिनकी आवाज शायद यहां तक नहीं आती, लेकिन निश्चित तौर से हम लोग जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि देश के उन तमाम लोगों को, जो आज इस स्थिति में हैं, उनके लिए इस तरह से चीजें सोची गईं।

यह बात तो सही है कि 1923 का यह विधेयक 2002 से 2004 तक ढंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। 2004 के बाद कांग्रेस-यू.पी.ए. की सरकार आई तो हमने सैकिण्ड कमीशन ऑफ लॉ की रिपोर्ट को निकाला और उस रिपोर्ट में जो रिकमेण्डेशंस थीं, उन रिकमेण्डेशंस पर हमने विचार किया और सभी राज्यों से हमने उनकी राय ली।

मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से यह सम्पूर्ण सदन सर्व-सम्मति से इस विधेयक को पारित करेगा।

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): Thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak on certain points regarding this Amendment Bill.

At the outset, I thank the hon. Minister as well as his colleague for having realized the pitiable condition of the workmen and for incorporating certain aspects. The Standing Committee has made recommendations in the course of their examination of the Bill. But, whatever recommendations made by the Standing Committee have been accepted by the Government, I must say that that is not enough. More should have been done because all the hon. Members from both the sides have not only spoke for the workmen but they have tried to highlight the problems of the workmen in regard to their conditions, when they get injured, or when the person working in the factory or any other organization get killed. So, I once again thank the hon. Minister for bringing in this Bill.


At the same time, I would like to point out, as has been pointed out by the hon. Member from Kerala, that all the recommendations of the Standing Committee have not been considered and not given effect to in this particular amending Bill. As has been pointed out, I would like to again quote the recommendation of the Standing Committee:

“The Committee, therefore, strongly recommend that besides external injuries, the internal injuries caused during the course of employment, which *inter alia*, should include places from residence to workplace and vice versa. We have also incorporated in the appropriate Schedule of the Act to determine the compensation payable to the employee.”

This aspect, I must recommend to the Government that it should consider seriously because workmen are workmen and we all know the condition of workmen. The hon. Minister also, being a very experienced politician and Minister, he must have been aware of it. Hence, I strongly plead to the Government that it should include this particular recommendation of the Standing Committee that had been given by the Committee, having considered in detail.

Similarly, there are other aspects that have been recommended by the Standing Committee, which have also made other recommendations, which I quote:

“The Committee, therefore, strongly emphasise that the provision for reimbursement of actual medical expenditure incurred for treatment of injuries caused during the course of employment be made part of the Act.”

They have also categorised the period, which means that the claim for reimbursement of the medical expenses submitted below three days of the injury would not be considered. This categorisation should not be there. I would plead before the hon. Minister not to categorise the kind of injury as also the period of injury. The Government should consider this and if possible, at this eleventh hour  bring an amendment to the amending Bill. As I have stated earlier, workman is a workman. If a person gets killed due to some accident or some other kind of injury caused in the course of his working in the factory, his whole family becomes orphan. If the only earning member in a particular family gets killed working in a factory, what will be the condition of the whole family? So, I would request the Minister to consider these suggestions.

While pleading for all these facilities for the workmen, I must remind the hon. Minister as well as the House what our Father of Nation, Mahatma Gandhi said, because I consider this quotation very relevant to this particular amending Bill. Mahatma Gandhi said:

“I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice; an India in which there shall be no high class or low class people.”

This is very prophetic and I urge the hon. Minister to consider this. In the light of these observations of our Father of Nation, the Government should take into consideration all the aspects of this particular amending Bill and the recommendations of the Standing Committee.

MADAM CHAIRMAN : Shri Adhir Chowdhury, a number of Members from your Party have already spoken. So, I would give you just three minutes to speak.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Thank you Madam for this generosity. I know that there is a severe time constraint. Therefore, I shall be very brief in my deliberations on this Bill.

At the outset, I must say that the Workmen's Compensation (Amendment) Bill 2009, was a long pending and long cherished dream of the labour force of our country that some succour should be provided to the labour force of our country. In this Bill the word 'workmen' has been substituted by 'employee'. So, now we may say it as the Employees' Compensation (Amendment) Bill 2009.

Madam, three or four very salient features are sought to be incorporated in this amendment:

1. Enhancement of the minimum rates of compensation payable to the workers.
2. Confer power upon the Central Government to specify the monthly wages in relation to an employee.
3. Enhancement of the funeral expenses.
4. Reimbursement of the actual medical expenditure incurred for treatment.

Fifthly, appointment of Commissioners, and last but not least increasing the coverage of the restrictive clause in Schedule II of the Act and inclusion of additional hazardous activities.

Madam, as per the Directive Principles of State Policy as enshrined in our Constitution, social security must be provided to all the employees of our country. But so far only a fraction of our workmen could avail of this opportunity. Therefore, the Bill seeks to widen the scope of compensation for a larger number of employees in this country. At the time, that is in the year 1923, when this Bill was enacted, there was no outsourcing and there was no computerisation and automation in our country. So, now in the present scenario it is an archaic and obsolete Act and there was a felt need for a review of the entire spectrum of the compensation scenario for workmen and the present Bill under discussion has sought to bring in the aspect of compensation within the purview of legislation. So, the legislative proposal as has been brought before the House after a

meticulous examination by the Standing Committee is not only a need of this age but also need of this hour.

Madam, I would like to put forward two to three points before the hon. Minister for his consideration. In view of the increasing price, when the price indexes of commodities have been rising. The Government has made an enabling provision in this legislative proposal which has sought to review, on one hand, the wages and on the other hand the compensation aspect. I would like to know from the hon. Minister as to what is the maximum limit of the compensation that can be provided. It is because in this Bill there is no reference to the maximum limit that could be given by the Ministry.

Secondly, today the labour market scenario is changing very rapidly and therefore, the list of injuries of employees should also be expanded keeping in view the percentage of income of the employees. Another point that I would like to make is that in case there is an insurance coverage, then what will prevail upon – compensation or insurance?

Madam, I am hailing from a district in West Bengal, namely, Murshidabad where there is a huge concentration of *bidi* workers. They have been suffering from diseases like Tuberculosis, Asthma and such other diseases. I would like to request the hon. Minister to take into account the sufferings of the labour force in our country and make further amendments to this Act 16 if it is so required. I will again then support that legislation as I am now supporting this legislation wholeheartedly which is being brought forward under the nomenclature 'Employees Amendment Bill, 2009'.



श्री रामकिशन (चन्दौली): सभापति महोदया, आपने मुझे कर्मकार प्रतिकार (संशोधन) विधेयक, 2009 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इस विधेयक में दो-तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण कही गई हैं। कर्मकार की जगह कर्मचारी रखा गया और दुर्घटना के रूप में उन्हें जो क्षति-पूर्ति दी जा रही है, उस राशि को बढ़ाने का काम हुआ है। लेकिन जो राशि रखी गई है, वह कम है। 80,000 रुपये की जगह एक लाख 20 हजार रुपये है जिसे बढ़ाने की जरूरत है। आज बहुत सारी चीजें महंगी हुई हैं, इसलिए इस राशि को भी बढ़ाने की जरूरत है। यह निम्न है, आप इसे और बढ़ायेंगे। इसे और ज्यादा मिनिमम करना चाहिए, यह कम से कम दो-तीन लाख रुपये से ऊपर होनी चाहिए। जब स्थायी समिति में यह मामला आया था, तब हमने यही राय दी थी कि इन सब चीजों को रखा जाये।

दूसरे खंड में 'नब्बे हजार रुपये' की जगह एक लाख चालीस हजार रूपए और ढाई हजार की जगह चिकित्सा और सारी सुविधाएं हैं। सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दो-तीन तरह के मजदूर, कर्मचारी हैं। एक वे मजदूर हैं जो उन कारखानों में काम करते हैं जहां आज भी ठेकेदारी प्रथा है। लेबर कमिश्नर, लेबर इंस्पेक्टर द्वारा उनका जो नामांकन होना चाहिए, वह नहीं होता। जब कारखाने में दुर्घटना होती है, तो फिर उन्हें ठेकेदार का मजदूर मानकर उन सारी सुविधाओं से जोड़ा नहीं जाता। इससे कारखाने के मालिक बच जाते हैं। यह जरूरी है कि इसमें ऐसा कानून आना चाहिए कि जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, उन पर अंकुश लग सके।

हमारे यहां बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। वहां दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाओं में मजदूर, कर्मचारी से यह लिखवा लिया जाता है। कभी-कभी अज्ञानतावश उन्हें वे सुविधाएं नहीं मिल पातीं। उनको ठेकेदार का मजदूर, कर्मचारी बताकर सुविधाएं नहीं दी जातीं। मैं सरकार से इसमें संशोधन की मांग करता हूँ। जो ऐसे कारखाने हैं, उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कुछ कारखाने ऐसे होते हैं जिनमें दुर्घटना हो या न हो, लेकिन उनमें काम करने से कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे उद्योगों को चिन्हित करके वहां के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा की सुविधाओं को मजबूती के साथ लागू करना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि ऐसी जगहों के लिए उन मजदूरों, कर्मचारियों के बच्चों को सामाजिक, शैक्षणिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। वहां स्कूल, कालेज, अस्पतालों की कमी है। जब हम स्थायी समिति में बात कर रहे थे, तब मेडिकल कालेज और शैक्षणिक डिग्री कालेज बनाने की भी बात की थी। यह इसलिए कहा गया था कि मजदूर का बेटा कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। हम उसकी हॉयर एजुकेशन के लिए कैसे सुविधाएं दें। मजदूर का वेतन कम, उसकी आय कम, उसके जो दूसरे स्रोत हैं, वे भी कम हैं। ऐसे मजदूर परिवार के लोगों को शैक्षणिक सुविधाएं हम सस्ती दर

पर कैसे मुहैया कराये, इन सब चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ...(व्यवधान) मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपकी पार्टी से बहुत लोग बोल चुके हैं। मैंने आखिर में सबको तीन-तीन मिनट बोलने का समय दिया है।

श्री रामकिशन : मैं दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।...(व्यवधान) हमारे वाराणसी और चन्दौली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बुनकर भाई हैं जिनकी हालत बहुत खराब है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, बुनकर बीमा योजना उनके लिए कहीं लागू की गयी है और कहीं लागू नहीं की गयी है। उसकी यह हालत है कि वहां जो आईसीआईसीआई बैंक है, जिन डाक्टरों को नामित किया गया है, वे पूरे कार्ड का गलत इस्तेमाल करके मजदूर का पैसा जो उसके इलाज के लिए उसे मिलना चाहिए, वह उसे नहीं मिल पाता। उसमें बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपये का घपला हुआ है। मैं इस बात को माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ऐसे जो घपले करने वाले लोग हैं, उन पर भी आपकी नजर रहनी चाहिए। इसके साथ ही बीड़ी मजदूरों को जो टीबी आदि जो बीमारियां होती हैं, उनके लिए बड़े पैमाने पर अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम आपको करना चाहिए।



श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच) : महोदया, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बोलने का मौका दिया। मैं खड़गे साहब को बधाई देता हूँ। कर्मकार प्रतिकर संशोधन विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ।

यूपीए सरकार हमेशा गरीबों की बात सोचती है। यह बात सत्य है कि यह जो विधेयक आया है, वाकई में वह बड़ा प्रशंसनीय है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं दो-तीन चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें जो मेडिकल कैटेगरी में रिइम्बर्समेंट का प्राविजन रखा गया है। There are two types of categories, “temporary” and “permanent”. What does that mean? What sort of arrangement will be made by the Government for “permanent” and “temporary” categories? It should be very clearly defined in the Act. परमानेंट कैटेगरी जिसमें किसी व्यक्ति का हाथ या पैर कट गया है, अपनी जगह से बिल्कुल हिल नहीं सकता है, उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं और अस्थायी कैटेगरी जिसमें किसी व्यक्ति का थोड़ा सा कहीं हाथ या पैर कटा है, जो चल-फिर सकता है, उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है? यह बात हो सकता है कि मंत्री जी के जेहन में हो, अगर नहीं है तो इस प्वाइंट को नोट किया जाए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप इंप्लायमेंट देने जा रहे हैं, जो ऑफिसर्स या कमिश्नर्स नियुक्त होंगे, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? क्या वह गरीब आदमी उनके पास तक पहुंच पाएगा? उसके लिए जिले और निचले स्तर क्या व्यवस्था हो रही है, इस प्वाइंट को मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मैं बहराइच से आता हूँ, जहां बिल्कुल गरीबी है, उस इलाके के घर-घर में जाकर मैंने देखा है कि उन गरीबों की क्या हालत है। यह बहुत अच्छा बिल आया है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जैसे एक वर्कर गिरता है दस फिट से, आठ फिट से या जमीन पर चलते हुए गिरकर मर जाता है, उसके बारे में यह प्रावधान होना चाहिए कि एक वर्कर एक वर्कर है, अगर वह मरता है, खासकर कंपनियों में, तो उसको कंपेनसेशन मिलना चाहिए। कंपनियों में काम करते हुए जहां वर्कर्स को बीमारियां होती हैं, अगर वर्कर बीमार होता है, तो उसे एडवांस में पेमेंट किया जाना चाहिए बीमार होने से पहले। जैसे वह हॉस्पिटल में जाता है, उसे एडवांस पेमेंट होनी चाहिए जिससे वह इलाज करा सके। इसलिए जिलास्तर पर इन अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, चाहे आप डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति करें या इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी दें क्योंकि इंस्पेक्टर से कमिश्नर तक पहुंचते-पहुंचते उसका घर ही बिक जाएगा, वह गरीब खत्म हो जाएगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस कंपनी या फैक्ट्री में वह व्यक्ति का काम करता है, अगर वहाँ किसी कारणवश उसकी मृत्यु होती है, तो उसके बेटे या बेटी को तुरंत इंप्लायमेंट मिलना चाहिए। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।



THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Madam, more than 22 hon. Members have spoken on the Bill. Many of them have also appreciated and a few of them criticized also. But in spite of that, I take it that it is a credit for the Department that the Department is doing its best with the cooperation and help of the Members of the Parliament as well as the Standing Committee Members. I congratulate all the Standing Committee Members who have given very good suggestions. We have already implemented a few of them and still we have to implement many more such progressive amendments.

श्री अर्जुन मेघवाल ने इस संशोधन विधेयक पर चर्चा की शुरुआत की। उनके बाद मुम्बई से आने वाले हमारे नौजवान, फायर ब्रांड साथी संजय निरुपम जी ने अपनी बात कही, लगता है वह इस समय सदन में नहीं हैं। उनके बाद श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी, शैलेन्द्र कुमार जी, श्री कल्याण बनर्जी ने अपनी बात कही। उनके बाद श्री बसुदेव आचार्य ने अपने विचार सदन में रखे, वह इस समय हाउस में नहीं हैं। उनके बाद गोरखनाथ पांडेय जी, मि. राय, पबन सिंह घटोवर जी, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने अपने विचार रखे। रघुवंश बाबू हमारे ऊपर बड़े गुस्से में थे। लगता है एडीटोरियल पढ़ कर आए हैं। उनके बाद पी. लिंगम जी ने अपने विचार व्यक्त किए। डॉ. प्रभा किशोर ताविआड, जिन्होंने अपनी रिटन स्पीच सभा पटल पर रखी। उनके बाद गणेश सिंह जी, चौधरी लाल सिंह जी, प्रशांत कुमार मजूमदार जी, मो. बशर जी ने बहुत से ठोस सुझाव दिए। उनके बाद जगदम्बिका पाल जी ने, जो सी.एम. भी रह चुके हैं, प्रैक्टिकल सुझाव दिए। उनके बाद अर्जुन चरण सेठी जी ने, जो स्टैंडिंग कमेटी में भी हैं, अपने सुझाव दिए। उनके बाद अधीर रंजन जी, राम किशुन जी ने और आखिरी वक्ता के रूप में कमल किशोर जी ने अपने विचार व्यक्त किए।

इन सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने बहुमूल्य सुझाव इस संशोधन बिल पर हुई चर्चा के दौरान व्यक्त किए। बहुत सी बातें इस चर्चा में रिपीट हुई हैं। मेरे सामने इस चर्चा के दौरान जो सुझाव दिए गए और जो शंकाएँ प्रकट की गईं, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। इस संशोधन बिल पर चर्चा की शुरुआत करते समय अर्जुन मेघवाल जी ने जो कहा, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा।



माननीय संजय निरुपम जी ने अच्छा सजेशन दिया है कि जो शैड्यूल्ड (2) में एकटीविटीज हैं, डैनजरस, हैजॉरडस कारखानों में काम करने वाले लोगों के लिए, इस शैड्यूल्ड में जो बदलाव लाया गया है, उसका फायदा बहुत से वर्कर्स को होता है। पहले 20 से ज्यादा फैक्ट्री वर्कर्स को ही फायदा होता था, लेकिन अब ऐसे ऑकुपेशन में, जिसकी लिस्ट हमारे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में है, अगर एक आदमी भी काम करता है तो उसे अब कंपनसेशन मिलेगा, यह इसमें सबसे बड़ा फायदा है। पहले ऐसे कारखाने में अगर 20 वर्कर्स होते थे तो ही फायदा मिलता था लेकिन आज अगर एक या दो आदमी भी, संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें विकलांगता, डैथ या मैडीकल एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें उस मजदूर को मिल रही हैं तो इससे बड़ा फायदा वर्कर्स को दूसरा कोई नहीं हो सकता है। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है और सब चीजें एक दिन में होने वाली नहीं हैं। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो माननीय रघुवंश जी बोलेंगे कि मजबूरी में बात कर रहे हैं। यह मजबूरी की बात नहीं है, हम सभी को मिलकर इसमें निर्णय लेकर इम्प्लीमेंट करने की बात है, सिर्फ आश्वासन की बात नहीं है। इसलिए जो चीजें आज हम कर सकते हैं, उन चीजों को हम लाए हैं। इसमें बहुत से बदलाव भी हम लाए हैं, उदाहरण के लिए, फ्यूनरल के लिए 2500 रुपये से 5000 रुपये किया गया है। यह कम है, यह भी हमें मालूम है लेकिन जो 2500 रुपये का अमेंडमेंट आया, वह वर्ष 2000 में लाए, यानी 9 साल पहले लाए। आज के प्राइस इंडेक्स के मुताबिक और भी ज्यादा होना चाहिए। इसलिए हमने इसमें प्रावधान रखा है कि अगर टाइम टू टाइम प्राइस-इंडेक्स बढ़ता गया तो नोटिफिकेशन करने का अधिकार सरकार को है। इसलिए समय-समय पर नोटिफिकेशन करके हम इसे चेंज करेंगे। माननीय रघुवंश जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए।

इसी ढंग से जो विकलांग हैं या जिनकी मृत्यु हुई है, उनके बारे में भी हमने प्रावधान रखा है कि समय-समय पर हम इसमें चेंज कर सकते हैं, यहां पर बार-बार नहीं आना पड़ेगा। अब तक क्या होता था कि आज के एक्ट के मुताबिक हर चीज के लिए हमें यहां आना पड़ता था। फ्यूनरल एक्सपेंसेज बढ़ाना है, फिर एक बिल में अमेंडमेंट लाना, कंपनसेशन को बढ़ाना है, फिर एक बिल में अमेंडमेंट लाना, डिसेबल्ड को कंपनसेशन देना है तो यहां अमेंडमेंट लाना पड़ता था। लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट करके हमने सरकार को नोटिफिकेशन करने का अधिकार रखा है। जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम चेंज करेंगे। आज जो हम प्रस्ताव लाए हैं, कानून के तौर पर जो भी कंसेंसस आया है, स्टैंडिंग कमेटी में हो या जैसा आपको मालूम है कि एमप्लाइज, एम्प्लायर, गवर्नमेंट ये सारे लोग मिलकर जो करते हैं, उसमें जो कंसेंसस आया है, उसके आधार पर थोड़ी सी बातें हमने यहां की हैं। लेकिन और जो भी करना है, उसके लिए हमने इस एक्ट में पावर ली है और नोटिफिकेशन के मुताबिक डैफिनेटली जरूरत के अनुसार हम करते जाएंगे।

18.00 hrs.

तीसरी चीज यह है कि सारे सांसदों ने दो-तीन मुद्दों पर ही अपने सुझाव दिये हैं। डसेबिलिटी के ऊपर, मेडिकल एक्सपेंसिस के ऊपर, अंतिम संस्कार तथा कई अन्य बातों के ऊपर माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं।

MADAM CHAIRMAN : It is 6 o'clock now. If the House agrees, the sitting of the House may be extended by half-an-hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.


श्री मल्लिकार्जुन खरगे : जो सुझाव आए हैं, वे सारे सुझाव हम एग्जामिन करेंगे। उनमें जो कुछ भी हम वर्कर्स के हित में कर सकते हैं, वह जरूर करेंगे। अगर किसी जगह दिक्कत है, आपको मेरी सहायता चाहिए, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। हमारे 23-24 सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा की है।

माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान में दस फीट के घर होते हैं और हमने 20 फीट का प्रावधान किया है। इसमें हमने संशोधन करके 12 फीट किया है। इस शेड्यूल में आप देखें, तमिलनाडु के अमेंडमेंट के बाद देखें :

“employed in the construction, maintenance, repair or demolition of any building which is designed to be or is or has been more than one storey in height above the ground or twelve feet or morein height from its lowest to its highest point;”

अगर इसे दस फीट भी करना है तो राज्य सरकार समय-समय पर नोटिफिकेशन कर सकती है, क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार में एक समिति है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर सोचती हैं कि इसे घटाना है, तो इसे घटा सकती है। किसी भी आक्यूपेशन को अगर हजाडर्स समझते हैं, तो वह ओक्यूपेशन एड कर सकते हैं और यदि किसी आक्यूपेशन को डिलीट करना है, तो उसे डिलीट कर सकते हैं। रूल्स को फ्रेम करने का अधिकार भी सैक्शन 32 में है। राज्य सरकार को भी इसकी पावर है और केंद्र सरकार भी समय-समय पर ऐसी चीजों के लिए सोचेगी। विष्णु पद जी मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। आप पहले मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आप विष्णु हैं और विष्णु तथा परमेश्वर की बात कभी जमती नहीं है। मैं इधर बोलता हूँ और आप उधर बोलते हैं, इसलिए आप जरा इंतजार कीजिए।

आपको मालूम है, रेलवे विभाग के लिए बहुत बड़ी देन दी है। वहां के कलर्क लोगों को फायदा नहीं होता था। आज वह शब्द निकालने से लाखों कलर्क लोग इसका फायदा ले सकते हैं और उसी ढंग से जहाज में काम करने वाले जो लोग हैं, जो पहले 25 लाख टन वजन के जहाज के ऊपर काम करने वाले लोग थे, उनको इसका बेनीफिट था, लेकिन उस 25 लाख टन निकाल कर अगर एक टन है दो टन है,

उनको भी फायदा है। ये सारी पाबंदियां हमने निकाल दी हैं। सारी पाबंदियां निकालने की वजह से चाहे एक आदमी है, दो आदमी है, उन्हें इस एक्ट का पूरा-पूरा फायदा होता है। इसलिए इसका स्वागत करना चाहिए। रघुवंश साहब भी स्वागत करते हैं, ऐसा मैंने समझा था लेकिन उनका मूड आज शायद बराबर नहीं था, इसलिए उन्होंने ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। उनका हमारे पेपर के ऊपर ही ज्यादा ध्यान गया। इसके ऊपर उनका ध्यान जरा कम रहा। मैं उनका एडमाइसर हूँ क्योंकि वह रूल डवलपमेंट में जब काम करते थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और वह लोहियावादी हैं। नेचुरली वे अपनी आवाज पहले से ही दबे, कुचले लोगों के बारे में उटाते आये हैं लेकिन मेरी एक ही अपील है  कभी भी ऐसे समय पर जब आप अपनी बात रखते हैं, जरा हमारा भी बैकग्राउंड देखकर, कानून का बैकग्राउंड देखकर अपनी बात रखें तो मेरे लिए जरा ठीक होगा। इसके अलावा और जो भी कुछ अमेंडमेंट हमने यहां रखे हैं, उसमें खासकर जो स्टैंडिंग कमेटी के 5 अमेंडमेंट हमने एक्सेप्ट किये हैं, और भी हो गये हैं। अब उन्हें भी हमें देखना होगा लेकिन इससे हमने शुरुआत की है। यह अंत नहीं है। यह प्रारम्भ है। अगर इसमें कुछ और बदलाव भी हो सकते हैं तो निश्चित रूप से हम आज नहीं तो कल फिर हम लाएंगे लेकिन कम से कम इसकी शुरुआत हुई है और करोड़ों वर्कर्स को इससे लाभ हो रहा है चाहे संगठित हो या असंगठित हो, कोई भी हो, इसका फायदा वे उठा सकते हैं।

दूसरे, इसमें सबसे बड़ा अमेंडमेंट यह है कि जो पॉवर आज सरकार को मिल रही है, उसका सदुपयोग जरूर डिपार्टमेंट करेगा क्योंकि जब दो लाख कमपनसेशन, डेढ़ लाख, 1 लाख 40 हजार रुपये महाराज बोलकर चले गये। प्रसन्न कुमार पाटसाणी जो बोलकर चले गये कि कुत्ते के लिए इतना होता है। लेकिन मेरी उनसे इतनी ही विनती है कि हर कानून अलग-अलग है। इस कानून में हमें क्या करना चाहिए, अगर आप बताएंगे तो हम जरूर संशोधन करेंगे, अगर इस कानून को छोड़कर दूसरी जो सलाह अगर आप देंगे तो मेरे लिए उसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं यही कहूंगा कि आज जो हम 10 छोटे-छोटे अमेंडमेंट इसमें लाये हैं और जो वर्कमैन कमपनसेशन एक्ट को एम्पलाईज कमपनसेशन एक्ट इसलिए किया, न्यूट्रल जेंडर कर दिया। जेंडर का मामला आजकल है कि मैन क्यों बोले, वीमैन क्यों नहीं बोलें, ऐसा बोला जाता है, इसलिए एम्पलाई-एम्पलायर ये शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए इस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। सारे अमेंडमेंट्स अच्छे हैं और आपने जो सलाह दी है, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और बहुत से माननीय सदस्यों ने एप्रीशिएट भी किया है। सभी लोगों ने अच्छे सुझाव भी दिये हैं और 22 माननीय सदस्यों ने इसके ऊपर जो बात कही है, उसमें कोई एक ऐसा सदस्य नहीं है जिन्होंने एप्रीशिएट न किया हो। सभी ने इसकी प्रशंसा की है और मुझे ऐसे कानून लाने के लिए हिम्मत दिलाई है। अगर आप इसी रीति से और भी प्रोत्साहन देते रहेंगे तो ईएसआईसी एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट


एक्ट है तथा अन्य दूसरे एक्ट भी इस सदन के सामने में लाऊंगा और गरीबों की भलाई के लिए हम और आप मिलकर कुछ काम करेंगे।

अंत में क्योंकि मैं हमेशा सुनता हूँ, आप बोलते हैं, लेकिन हमारे पास कोलोक्विल से है। हिन्दी में या उर्दू में हमारी भाषा उतनी परफैक्ट नहीं रहती। खासकर रघुवंश प्रसाद जी जब बोलें तो मैं सोच रहा था कि रघुवंश जी को मैं क्या बोलूँ क्योंकि यह ऐसा मसला वर्कर्स का है, खासकर कामगारों का ऐसा मसला है कि इनकी समस्या को हम बहुत से शब्दों में बोल सकते हैं लेकिन इसे निभाना कैसे है, लाना कैसे है, करना कैसे है? इसके लिए मुझे एक नेता ने किसी संदर्भ में कहा था-

मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, फिर भी हमें पहुंचना है,
दिल मिले या न मिले, कम से कम हाथ मिलाते चलो।

MADAM CHAIRMAN: Only three questions, please.

श्री विष्णु पद राय : महोदया, मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: विष्णु को नहीं सुना, लेकिन विष्णु पालने वाला है, पालनकर्ता है।

MADAM CHAIRMAN: Please ask only one question, then.

श्री विष्णु पद राय : आप जो बिल लाए हैं मैं उसका समर्थन करता हूँ। मेरा लॉर्ड शिवा से अनुरोध है कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, वहां असैम्बली नहीं है, वे अपना बिल नहीं बना सकते हैं। आपने कंडीशन रखी है कि 5, 10, 25 मजदूरों को बेनिफिट मिलेगा।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: इसे हटाया है। अगर एक आदमी भी है, that employee can fight with the employer under this. This is the Act.

श्री विष्णु पद राय : महोदया, रिडम्बर्समेंट की बात है। अंडमान में प्रब्लम है कि कोई मजदूर एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल होता है तो चैन्स में ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन स्ट्रैचर फेयर कौन देगा?

MADAM CHAIRMAN: You got the answer.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I would like to clarify that your State or Union Territory or any State can make rules as suitable to them. अगर आप किसी को ज्यादा भी देना चाहते हैं तो कोई रुकावट नहीं है। अगर कोई कम देना चाहता है तो कोई रुकावट नहीं है। हम इसलिए कहना चाहते हैं कि रूल्स सैक्शन 32 के मुताबिक आप वहां एन्फोर्स करने के लिए रूल बना सकते हैं, आप बना लीजिए। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो हम जरूर उसके बारे में सोचेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार : आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जैसा माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि कर्मकार की क्षतिपूर्ति प्रतिकार के लिए काफी व्यवस्था की है,

इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने उत्तर में महिलाओं की बात कही। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि खास तौर से कर्मचारी कर्मकार महिलाओं के लिए विशेष तौर पर इस बिल में कुछ करने की योजना है।

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: इसमें सभी को सहूलियत दी गई है। एक्ट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसमें डिफरेंट टाइप में डिफरेंट फैसिलिटीज हैं।

श्री जगदम्बिका पाल : माननीय मंत्री जी ने उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि जो रिक्मेंडेशन आई थी वह 2002 की थी। उस समय फ्यूनरल एक्सपेंसिस 2500 था जिसे 5000 किया गया है, मैं इसे कम मानता हूँ। हम निश्चित तौर से इस विधेयक को पारित कर रहे हैं। अगर माननीय मंत्री जी इसे कम मानते हैं, हम उनको इस विधेयक के साथ जो पावर हम देने जा रहे हैं कि बिना किसी अमेंडमेंट के नोटिफिकेशन से बढ़ा सकते हैं। क्या इस तरह से बढ़ाने पर विचार करेंगे?

श्री चंद्रकांत खैरे : महोदया, मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ कि कमिश्नर की बात हुई थी यानी लेबर कमिश्नर होना चाहिए। जहां डिजर्व प्लेस होगा वहां डिप्टी लैवल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ लेबर और जीएलओ गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इनको अधिकार देना चाहिए। मेरे कई साथियों ने कहा कि यह कितना लंबा होगा?

श्रम और रोज़गार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत): इसमें शब्द है कि संशोधन के जरिए गेजेटिड आफिसर को भी एम्पावर कर दिया है। इसके अलावा पांच साल का लीगल प्रेक्टिशनर भी है।

MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill further to amend the Workmen’s Compensation Act, 1923, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

MADAM CHAIRMAN : The House shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 to 10 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 to 10 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

MADAM CHAIRMAN: Now, the hon. Minister may move that the Bill be passed.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

MADAM CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

MADAM CHAIRMAN : Now, we take up the Matters of Urgent Public Importance.

Shri Jai Prakash Agarwal – not present.

Shri Sanjay Nirupam.

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति महोदया, आज 25 तारीख है और आज से एक साल पहले 26 तारीख को मुम्बई में एक भयावह आतंकवादी हमला हुआ था। सबसे पहले मैं उस दिन को याद करता हूँ और उस हमले में जिन नागरिकों की जान गई, उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ।

18.47 hrs.

(Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

उस हमले में लोगों की रक्षा करते हुए और लोगों को बचाते हुए हमारे पुलिस के जिन साथियों की जान गई, उन शहीदों को मैं याद करता हूँ, एनएसजी के जवानों को मैं याद करता हूँ। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि 26/11 की पहली बरसी कल हो रही है। उस बरसी के मौके पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूँ कि पिछले एक वर्ष में कोई शक नहीं है कि हमारे गृह मंत्री श्री पी.चिदम्बरम जी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा और मज़बूत करने के लिए जो इंटेलिजेंस एजेन्सीज़ हैं, उनको और सक्षम बनाने के लिए अच्छे ढंग से काम हो रहा है, लेकिन बहुत सारे मोर्चों पर अभी भी कमी है। दो कमियों की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, विशेषकर मुम्बई के उत्तरी क्षेत्र, जिसको हम उत्तर मुम्बई कहते हैं, ऐसे उत्तर मुम्बई क्षेत्र में कोस्टल सिक्यूरिटी के क्षेत्र में अभी भी सरकार बेहतर ढंग से काम नहीं कर पा रही है। हमारे समुद्री किनारे अभी भी असुरक्षित हैं। विशेषकर उत्तर मुम्बई में ठाणे डिस्ट्रिक्ट जहां खत्म होता है और मुम्बई शुरू होती है, वहाँ गोरई से लेकर मनोरी के बीच लगभग 12 किलोमीटर कोस्टल लाइन ऐसी है, जो पूरी तरह से असुरक्षित है, अनप्रोटेक्टेड है। एक भी चैकपोस्ट वहां नहीं लगाया गया है, कोई फ़ैन्सिंग नहीं है, कोई लाइटिंग नहीं है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : निरुपम जी, क्या करना है, वह बोलिये।

श्री संजय निरुपम : मैं सरकार से और गृह मंत्रालय से मांग करता हूँ कि जितना जल्दी हो, उस कोस्टल लाइन के ऊपर कोस्ट गार्ड के चैकपोस्ट लगाए जाएँ। वहाँ पर लाइटिंग और फ़ैन्सिंग का इंतज़ाम किया जाए क्योंकि यह वही रूट है जिस रूट के ज़रिये 26.11.2008 को आतंकवादी पाकिस्तान से कराची और गुजरात होते हुए ताज होटल और दक्षिण मुम्बई के उस छोर तक पहुँचे थे। तो पहली मांग मेरी यह है कि जितना जल्दी हो, उत्तर मुम्बई के इस कोस्टलाइन पर सुरक्षा स्थापित की जाए।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से लगातार गृह मंत्रालय के पास चिट्ठियाँ भेजी जा रही हैं कि कोस्टल सिक्योरिटी को मज़बूत करने के लिए हमें आर्थिक मदद करें। हमें वहां पर मुम्बई और उसके आस-पास के कोस्टल एरिया में लगभग 12 मैरीन पुलिस स्टेशन बनाने हैं, 24 बैरक्स बनाने हैं, 27 चैकपोस्ट बनाने हैं। इसमें कार्ड रीडिंग के लिए कंप्यूटर और अन्य इक्विपमेंट के लिए चार-साढ़े चार करोड़ रुपये की डिमांड है।

महोदय, हमने बार-बार चिट्ठियाँ लिखी हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो महाराष्ट्र सरकार को आर्थिक सहायता दे, ताकि भविष्य में मुम्बई में या पूरे हिन्दुस्तान में 26/11 जैसी कोई घटना न घटे और कोई आतंकवादी हिन्दुस्तान की सरहद में घुसने की हिम्मत न करे। समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जल्दी बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के धान के कृषकों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जो किसान धान की कटाई-मढ़ाई कर के अपने घरों को ले गए हैं, आज उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है और वे बहुत परेशान हैं। विशेषरूप से जो सरकारी क्रय-विक्रय केन्द्र खोले गए हैं, वहां पर किसानों को टोकन देने में देरी की गई है। दूसरी बात यह है कि इसमें एक व्यवस्था यह की गई है कि जो लघु और सीमांत कृषक हैं, केवल वही सरकारी क्रय-विक्रय केन्द्रों पर अपना धान ले जाएंगे। जो बाकी बड़े कास्तकार हैं, वे अपना धान कहां ले जाएंगे, यह एक बहुत बड़ी दिक्कत किसानों के सामने खड़ी है?

महोदय, जो टोकन दिया गया है, वह बाद का दिया गया है। उसमें तुरन्त और तत्काल उनके धान को बेचने की व्यवस्था नहीं की गई है। क्रय-विक्रय केन्द्र पर किसान के धान को तुरन्त बेचकर पैसा देने की व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि उन्हें मई, जून और जुलाई में समय दिया गया है, जिससे किसान बहुत परेशान हैं। ये किसान जब अपना धान क्रय-विक्रय केन्द्र पर बेचते हैं, तो उन्हें वाजिब मूल्य मिलता है। उसके बाद वे रबी की फसल, चाहे गेहूँ हो या आलू हो, वह बोककर अपना पेट पालते हैं, लेकिन यह विकट स्थिति है, क्योंकि उसे उसकी फसल का पैसा अभी दिया ही नहीं गया है और अगले साल मई, जून और जुलाई का समय दिया गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सरकार इसे गम्भीरता से ले और जल्दी से जल्दी क्रय-विक्रय केन्द्रों पर इन किसानों को चाहे फिर वे सीमान्त, लघु, मध्यम या बड़े कास्तकार हों, उनके धान को लेकर उन्हें वाजिब मूल्य दें, तभी किसान आगे की यानी रबी की खेती करेगा। इससे किसान भी खुशहाल होगा और देश भी खुशहाल होगा। इन्हीं बातों के साथ, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): Respected Chairman, Sir, I rise to draw the attention of this august House to what is happening in West Bengal. Here, we are today celebrating the Women's Day, against atrocities against women. But in West Bengal everyday, women are being maimed, raped and tortured by the cadres of the CPI(M) party. The people of the Schedule Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes are being killed everyday. Even the hospitals are not being spared.

Yesterday, when some people, who were injured by the CPI(M) cadres' bullets, were being taken to the Imambara Hospital in Hoogly and also in the Panihati District General Hospital, the CPI(M) cadres were waving swords, throwing and hurling bombs on these people inside the hospital. They also had unauthorized, unlicensed, illegal weapons and arms with them. They tried to shoot at people. They were killing people. But nothing is being done by the State Government over there. Nearly, 120 people have already been killed in West Bengal after the Lok Sabha elections. I know law and order is state subject but when minorities, SC, ST, OBC and women are attacked, killed, Central Government should intervene.

I would like to draw your attention to this fact that there is neither law nor order in the State of West Bengal. The State-sponsored terrorism is being undertaken in every nook and corner of West Bengal.

Therefore, in this state of affairs, I would humbly request the Government to please send a Central team to West Bengal and impose Article 355 there so that all the other persons specially women and minorities, SC, ST, OBCs being maimed by the torture of the CPI(M) led State-sponsored terrorism can be saved.

Sir, in the hospital of Chinsurah, Imambara and also the District hospital of Panihati, the common man is being killed, women and children are being tortured. Therefore, I would again urge upon the Central Government to take a serious note of this.... (*Interruptions*)

SOME HON. MEMBERS: Sir, it is a very serious matter... (*Interruptions*)

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): There is a Bengali saying: “*Aami saidin hobho shanto, jaidin utpiriter krondon rol aakashe baatashe dhwoni bena.*”, which means: “I will be quiet only on the day when people around me are not crying and are not raising hue and cry for their survival.”

Please take a serious note of this.

श्री आर.के.सिंह पटेल (बांदा): मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में सूखे की भयावह स्थिति है और विशेषकर पूरा बुन्देलखंड सूखे की स्थिति में जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में बुन्देलखंड क्षेत्र में वर्ष 2009-10 में 1200 निजी नलकूपों के उर्जीकरण के लिए लोगों ने अनुबन्ध किया है, उसके लिए किसानों ने धन जमा कर दिया है, लेकिन अभी तक उनके ट्यूबवैलों का उर्जीकरण नहीं किया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से व्यवस्था चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अपने खेतों को अभी छोड़ रखा है, बुआई का सीजन है, पलेवा का समय है, ऐसी स्थिति में उनके नलकूपों का अगर उर्जीकरण नहीं किया जायेगा तो वैसे भी सूखे की मार झेल रहे वहां के किसानों की कमर टूट चुकी है और उनके लिए अभी 7266 करोड़ रुपये का माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां से एक विशेष पैकेज बुन्देलखंड के लिए घोषित किया है।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उन किसानों के नलकूपों के उर्जीकरण के लिए इस पैकेज से उनको तत्काल सामग्री उपलब्ध कराकर उनका उर्जीकरण किया जाये और वहां पर गहरे नलकूप लगाकर उस क्षेत्र में इस पैकेज से सिंचाई की व्यवस्था कराने की कृपा की जाये।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय सभापति महोदय, देश के विभिन्न भागों में रासायनिक उर्वरक की भारी कमी के चलते डी.ए.पी. और एन.पी.के. खाद किसानों को नहीं मिल रहा है। देश के विभिन्न राज्य, खास तौर से बिहार, यू.पी., एम.पी., छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में रासायनिक खादों की भारी कमी है। बिहार में नालन्दा जिले में डी.ए.पी. और एन.पी.के. की कमी के चलते रबी की बुआई प्रभावित हो रही है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : This matter was discussed during the Calling Attention. So, you can just mention it.

श्री कौशलेन्द्र कुमार : खाद की तस्करी और कालाबाजारी के चलते किसानों को जो खाद चोरी-छिपे मिल भी रही है, उसका दाम व्यापारी बढ़ाकर ले रहे हैं। इसलिए मैं सदन से मांग करता हूँ कि नालन्दा जिले में डी.ए.पी. खाद की पूरी व्यवस्था सरकार करे।

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Hon. Chairman Sir, you all know that the state of West Bengal has two parts – North Bengal and South Bengal. North Bengal is well known for its scenic beauty and natural resources. It is a major tourist spot. People from all over the world flock here to enjoy the beauty of Darjiling, Terai Hills, Sikkim and other places. But there is high level of water pollution in the area due to which, now-a-days, less number of tourists visit these spots. Another set back of the region is the rising political unrest.

Earlier, there used to be dense, green forest, tea gardens, orange orchards and numerous birds and animals. Infact the northern region was rich in flora and fauna. But due to environmental pollution rainfall has also become less. So my demand is that in order to check pollution, during the monsoon season, the river water should be tapped and conserved so as to bring down water and air pollution. All the major rivers emerging from the hills can be properly utilized for this purpose. If that is possible then there will be a marked improvement in our atmosphere and environment.

This area is the gateway of eastern India so the Government should concentrate more on this region and declare a special package for overall development of the people of this area and North Bengal as a whole.

With these words, I thank you for allowing me to speak and end my speech.

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

SHRI MANISH TEWARI (LUDHIANA): Mr. Chairman, Sir, on the 20th of November, 2009, activists owing allegiance to a political party attacked the offices of a national news channel in Mumbai and Pune. That the attack is reprehensible and it needs to be condemned by all sections of the House goes without saying. But however, the attack raises a larger question and the larger question is that while the law may deal with the miscreants who perpetrated the attack, what is the culpability of those political parties which conceive, conceptualize, orchestrate and then own up to such attacks? What is their culpability is the larger question which has been raised. My submission is that the time has come for the Government to consider that Section 29(a) of the Representation of People's Act which deals with the registration of political parties needs to be suitably amended, so that those political parties which subvert..... (*Interruptions*) आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान)



MR. CHAIRMAN : Please sit down. Nothing will go on record except the submission of Shri Manish Tewari.

SHRI MANISH TEWARI : My submission is that the time has come for the Government to seriously consider an amendment to Section 29(a) of the Representation of People's Act so that those political parties which violate the constitutional mandate of sub-section (4) whereby they take an oath of allegiance to the Constitution, suitable action should be taken against them.

Connected with this is another matter. It pertains to provision 16 (a) of the.... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. It is not being recorded, Shri Chandrakant Khaire.

SHRI MANISH TEWARI : Today the Election Commission does not have the superintendence of police in a non-election season. Since political parties are not exercising restraint, they are subverting the constitutional mandate. There is a need for outside regulation. Therefore, my submission is that before the fort of

democracy descends into anarchy, this House should take note of it and take suitable action.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे शून्य प्रहर में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय के प्रश्न को पूरे सम्मानित सदन के समक्ष उठाने का अवसर दिया है।

पिछले दिनों भारत में स्वाइन फ्लू से लगभग सौ मौतें हुयीं। जिस पर केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। सभी हवाई अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर प्रमुख डाक्टरों की टीम बैठायी गयी। देश की राजधानी दिल्ली में कई हास्पिटल्स को चिन्हित किया गया कि अगर स्वाइन फ्लू का कोई भी लक्षित मरीज है, तो उसका इलाज किया जाए। आज दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मेडिकल कालेज में कल तक 482 बच्चे पिछले दो महीने में मर चुके थे। आज जब मैंने फोन से मालूम किया, तो अब तक 486 बच्चे मर चुके हैं, जिनका पूरा भविष्य था, जिनके कंधों पर देश का भविष्य था। वे जापानी इंसेफलाइटिस से या मस्तिष्क ज्वर से ग्रसित हुए। राज्य सरकार की उदासीनता इस बात की द्योतक है कि न तो उसके प्रिवेन्शन के लिए वैक्सीन उपलब्ध करायी जा रही है और न ही उन अस्पतालों में उनके उपचार की व्यवस्था हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में, कोई एक जिले में ही नहीं, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, देवरिया, कुशीनगर आदि जनपदों में इसने महामारी का रूप ले लिया है।

निश्चित तौर पर मैं अपेक्षा करूंगा कि अगर राज्य सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो केंद्र सरकार इस ओर ध्यान दे। केंद्र सरकार ने एनआरएचएम के तहत जो साढ़े चार सौ करोड़ रूपए दिए हैं, उसकी भी बंदरबांट राज्य सरकार कर रही है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के साढ़े चार सौ करोड़ रूपए का उपयोग नहीं हो रहा है। इस बात के लिए प्रयास हो रहा है कि उसको स्वास्थ्य मंत्रालय से खनिज मंत्रालय ...(व्यवधान) मैं बहुत जिम्मेदारी की बात कह रहा हूं। केंद्र सरकार ने साढ़े चार सौ करोड़ रूपए स्वास्थ्य मंत्रालय को दिए हैं और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय से वह पैसा लेकर खनिज मंत्रालय को दे दिया गया है। उस पैसे का खनिज मंत्रालय कितना दुरुपयोग कर रहा है ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : थैंक यू।

श्री जगदम्बिका पाल : थैंक यू नहीं, 486 बच्चे मर गए हैं, इस पर धन्यवाद का प्रश्न नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां मस्तिष्क ज्वर या जापानी इंसेफलाइटिस महामारी का रूप ले चुका है, लेकिन इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार कोई काम नहीं कर रही है। केंद्र सरकार निर्देशत करे, स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य सरकार को, इस पर कंट्रोल रूम खोलें। वैक्सीन की जितनी उपलब्धता की बात हो, तो केंद्र सरकार उपलब्ध करा दे।

निश्चित तौर पर राज्य सरकार जो केन्द्र द्वारा दिए गए पैसे का भी दुरुपयोग कर रही है, उसकी जांच करवा ली जाए। मैं चाहता हूँ कि इस पर कार्यवाई की जाए।

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, the time allotted for this matter is over. There are eight more hon. Members to speak. If the hon. Members agree we may extend the time of the House till this item of work is completed.

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes.

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सभापति महोदय, यह सार्वभौम सदन इतिहास की उन गाथाओं का गवाह है जहां देश की घटनाएं जीवन्तता लेकर यहां आती हैं और समाधान पाती हैं। 21वीं सदी के इस प्रारंभ में बिहार में वह भीषण त्रासदी कुशाह बांध टूटने के कारण कोसी की प्रलयकारी बाढ़ ने 35 लाख लोगों की जिंदगी उजाड़ दी, उनके घर विस्थापित हो गए, उनकी धरती बंजर हो गई, उनके स्कूल और कॉलेज ढह गए, चार महीने तक उस राज्य की सरकार ने उन्हें पनाह देकर रखा। स्वयं प्रधान मंत्री जी और सोनिया जी उस त्रासदी को देखने गईं। उन्होंने महसूस किया कि यह राष्ट्रीय त्रासदी है। भारत सरकार इसके लिए चिन्तित है, गंभीर है। मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूँ कि इस देश में वह सरकार है जिसके पीछे इतिहास है, जिसके पीछे आजादी की दास्तां है, वह सरकार अभी केन्द्र में है और उसके काल में उस सरकार के प्रधान मंत्री कहें कि राष्ट्रीय विपदा है, लेकिन वे कुछ नहीं करें। आज भी जाड़े की रात है। लाखों लोग बेसहारा होकर बिना छाया के पड़े हुए हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने 14,500 करोड़ रुपये, उनके घर बनाने, स्कूल बनाने, उनके खेत की बंजर जमीन को समाप्त करने के लिए जो पैकेज दिया है, जिसके पीछे सम्पूर्ण देश की जनता की आस्था है, सम्पूर्ण देश के राज्यों की सरकारें उसके साथ नैतिकता से जुड़ी हुई हैं। हम आपके और इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि कम से कम वह अपने दामन को नहीं जलाए, अपने दामन को कलंकित नहीं करे। जनता उनकी है, बिहार ने कोई अपराध नहीं किया, बिहार ने संवैधानिक प्रावधानों के अंदर कार्य किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि 14,500 करोड़ रुपये का जो पैकेज केन्द्र सरकार के सामने प्रस्तावित है, वह उसे स्वीकार करे और इस पीड़ा को दूर करे।

श्री पूर्णमासी राम (गोपालगंज): सभापति महोदय, बिहार एक पिछड़ा प्रदेश है जहां खाद्यानों एवं उद्योगों की कमी है। बिहार के पिछड़ेपन का यह बड़ा कारण है। इस कृषि प्रधान प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों, खासकर गन्ना आधारित उद्योगों की बड़ी संभावना है। बिहार में गन्ने का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है जहां कई नई चीनी मिलें लगाई जा सकी हैं। इस संदर्भ में बिहार सरकार ने 23 नई चीनी मिलों एवं इथनॉल उत्पादन के लिए मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा नई चीनी मिलों इथनॉल

के उत्पादन पर रोक लगा देने से गन्ना आधारित नए उद्योगों की संभावना पर ग्रहण लग गया है जिससे निजी निवेश हतोत्साहित हो गए हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने सन् 2007 में इथनॉल के उत्पादन पर जोर दिया था। इसके बावजूद इथनॉल के उत्पादन पर एक आदेश के जरिए रोक लगा दी गई है जबकि गन्ना आधारित उद्योगों से हजारों मेगावाट बिजली का उत्पादन तो होगा ही, साथ ही इथनॉल के उत्पादन से पेट्रोल और डीजल का प्रदूषण कम किया जा सकेगा।

अतः मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश के कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के मद्देनजर इथनॉल उत्पादन पर रोक से संबंधित आदेश शीघ्र वापिस लिया जाये, ताकि बिहार के गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सके। धन्यवाद।

श्री जयवंत गंगाराम आवले (लातूर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र लातूर में पूरे महाराष्ट्र में पीने के पानी की कमी एवं पानी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। पानी की लेयर काफी गहरी होती जा रही है। जलस्तर काफी नीचे होने की वजह से सिंचाई एवं पीने के पानी की कमी होती जा रही है। भूस्खलन, भूजल के नीचे खिसकने और भूजल सिंचाई में गिरावट की समस्याओं से कृषि क्षेत्र संकट में है। एक सर्वे के मुताबिक देश में प्रति व्यक्ति शुद्ध पेयजल की उपलब्धता तेजी से घट रही है। वर्ष 1951 में जहां प्रति व्यक्ति पेयजल की उपलब्धता 5177 क्यूबिक मीटर थी, वहीं वर्ष 2001 में वह घटकर 1820 क्यूबिक मीटर रह गयी है। ऐसी भी आशंका है कि वर्ष 2050 तक यह मात्रा घटकर 1140 क्यूबिक मीटर रह जायेगी।

अतः सरकार से मेरी मांग है कि जल संकट को दूर करने के लिए भूजल जल संरक्षण क्षमता और जल प्रबंधन पर वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल कर जल संकट को दूर किया जाये।

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Mr. Chairman, Sir, I would like to draw the attention of this House and also the Government to a very serious issue, that is, the acute shortage of vaccines in Kerala as well as in the whole of the country. Life-saving vaccines which prevent rabies, diphtheria, tuberculosis, polio etc. are now hugely lacking in supply. The country present is in need of 58 crore doses of vaccines, while only 30 crore doses are available. So, there is a huge shortage of 28 crore doses.

Earlier, one hundred per cent of our requirement was met by three public sector vaccine producing factories of Kunoor, Chennai and Kasauli. However, the Government had closed these three public sector vaccine producing factories. This is the reason for the present shortage of vaccines.

Presently, the country is hugely dependent on private sector for vaccines. It is clear that the closure of these public sector vaccine producing factories was to help the private sector. The prices of vaccines produced by private sector are eight times higher than those produced in the public sector. While the prices have skyrocketed and private companies are making huge profits, our immunisation programmes for children have been badly affected. This will seriously harm the health of our future generation.

So, in order to save our infants from the clutches of fatal diseases, the Government should intervene immediately and re-open the closed public sector vaccine producing factories.

श्री रामकिशुन (चन्दौली): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। पूरे देश में लगातार दो-तीन महीने के अंदर काफी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें सैकड़ों लोगों की जानें गयी हैं। इसमें करोड़ों रुपये की रेल सम्पत्ति और आम जनता को नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, ओवरब्रिज और मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग के जो गेट थे, वहां भी किसानों द्वारा ट्रकों और ट्रैक्टरों से जाने में दुर्घटनाएं हुई हैं। इसके दो कारण हैं - एक कारण यह है कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत रेलवे लाइन के समीप जो गांव हैं, उन्हें जोड़ने के लिए सड़कें बना दी गयीं, लेकिन वहां रेलवे का कोई फाटक नहीं लगाया गया। उन गांवों का पक्की सड़कों से सम्पर्क हो गया और लोग आने-जाने लगे। नतीजा यह हुआ कि उससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं।

हमारी मांग है कि इस चीज को ध्यान में रखा जाये और जहां मानव रहित रेलवे फाटक हैं वहां रेलवे फाटक बनाये जायें। दूसरा, रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत भी सड़कों ...(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप डिमांड करिये।

...(व्यवधान)

श्री रामकिशुन : मैं डिमांड ही कर रहा हूँ कि वहां सड़क बनीं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप एक टॉपिक पर बोलिये।

श्री रामकिशुन : मैं एक ही टॉपिक पर बोल रहा हूँ। उसी प्रकार हमारे जनपद चन्दौली में जहां रेलवे के फाटक हैं, वहां रेलवे लाइन जिला मुख्यालय को दो भागों में बांट देती हैं। वहां रेलवे फाटक हैं लेकिन ओवरब्रिज की जरूरत है। एक तरफ न्यायालय है, तो दूसरी तरफ दूसरी न्यायालय है। इसका नतीजा यह है

कि लोगों को आने जाने में, मरीजों को आने-जाने में दिक्कत होती है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जनपद चंदौली मुख्यालय पर ओवरब्रिज बनाया जाए और देश में विभिन्न स्थानों पर जो मानवरहित रेलवे फाटक हैं, उन पर फाटक लगाए जाएं जिससे देश की जानमाल की सुरक्षा हो और भारत सरकार की रेलवे की करोड़ों-अरबों रूपए की सम्पत्ति का जो नुकसान हो रहा है, उसको बचाया जा सके।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, आप जानते हैं कि इस समय देश के 299 जिलों को भारत सरकार द्वारा ड्रॉट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स डिक्लेयर किया गया है, लेकिन कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनको ड्रॉट अफेक्टेड घोषित करने के लिए रिकमेंडेशन यहां नहीं पहुंचाई गयी जैसे मेरे अपने स्टेट में हुआ है और इसकी वजह से पानी की बहुत दिक्कत हुई है। यह समस्या पूरे देश में भी है। मेरे राज्य के कण्डी एरिया में पानी की बहुत दिक्कत है। हमारे हैण्डपम्स, डगवेल्स, ट्यूबवेल्स, बावलियां और तालाब तकरीबन सूख गए हैं, पानी का लेवल नीचे चला गया है और जो ग्रेविटी का पानी है, उसमें भी कमी आई है। इसके साथ ही हमारे नदी-नालों के पानी में भी कमी आई है। आज यह ड्रॉट की समस्या हमारे सामने क्यों है? मैं कहना चाहता हूँ कि जब सरकार ने प्लांटेशन कराई, जितनी भी प्लांटेशन कराई, बाद में यह नहीं देखा कि प्लांट्स बचे कितने, पेड़ बचे कितने? उसकी जो मॉनीटरिंग करनी थी, वह कहीं नहीं हो रही है। मेरी सन्निधन है कि ये हालात बिगड़ेंगे, और भी खराब होंगे। मेरी जैसी स्टेट जहां पानी की भरमार है, अगर वहां पानी की डिफिकल्टी हो सकती है तो देश के बाकी हिस्सों का क्या हाल हो सकता है? मैं कहना चाहूंगा कि कृपा करके पानी को रिचार्ज करने की ओर ध्यान दिया जाए। हमारे जो नदी-नाले सूख रहे हैं, उनमें पानी कैसे आए, उसके लिए क्या तजवीज सरकार रखती है? उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। ड्रॉट से सिर्फ खाने की प्रॉब्लम नहीं हुई, पानी की बहुत डिफिकल्टी बनी हुई है। मेरे राज्य के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कठुआ, उधमपुर, रियासी, रामबन, किशतवार, डोडा, गुल आदि को भी ड्रॉट अफेक्टेड जिलों में शामिल किया जाए।

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मिथिलावासियों की एक चिरपरिचित समस्या की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल में कोसी नदी पर रेल महासेतु एवं पथपुल के निर्माण में विलंब हो रहा है। वर्ष 2009-10 में ही इस पुल का निर्माण होना था, लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ है। सरकार के सौतेले व्यवहार के कारण तथा विभाग की निरंकुशता के कारण लगता है कि अगले पांच वर्षों में भी यह पुल बनकर तैयार नहीं होगा। इस पुल के निर्माण होने से लाखों की आवाजाही इस पुल से होगी, साथ ही फोरलेन रोड जो इस क्षेत्र की धड़कन होगी, इस पुल के बनने से जुड़ जाएगी तथा पूर्वांचल और पश्चिम को जोड़ेगी। ईस्ट-वेस्ट कारीडोर जो बन रहा है, वह भी इससे जुड़ जाएगा। मेरे संसदीय क्षेत्र को कोसी नदी दो भागों में विभक्त कर देती है जिसके चलते हम

लोगों को नेपाल से घूमकर आना पड़ता है, अगर हम वहां अपना गार्ड लेना चाहते हैं तो वह नहीं ले जा पाते हैं। इस पुल के बन जाने से हम लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। इसके साथ ही यह पुल सामरिक महत्व का भी होगा क्योंकि वहां से नेपाल और चीन का रास्ता जाता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जनहित की इस मूलभूत समस्या को ध्यान में रखते हुए इस पुल को यथाशीघ्र बनाने के लिए धन मुहैया कराएं।

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): सभापति महोदय, मैं आपका और केन्द्र सरकार का ध्यान एक अति गम्भीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के देवबंद में दिनांक 3 नवम्बर को जमीयत-उलेमा-ए-हिन्द के 30वें सम्मेलन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। उस सम्मेलन में देश के गृह मंत्री जी भी मौजूद थे। राष्ट्र गीत के खिलाफ प्रस्ताव पारित करना पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है। वंदे मातरम् गीत की रचना स्वर्गीय गीतकार श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ रहे स्वतंत्रता सेनानियों में जोश और उत्साह भरने के लिए की थी।... (व्यवधान)

SHRI ABDUL RAHMAN (VELLORE): There is no condemnation of that. There is no such word. When you raise an issue in Parliament, you should put forward the correct facts. ... (*Interruptions*)

श्री चंद्रकांत खैरे : इस गीत के कारण देश भर में आजादी के लिए बड़ा आंदोलन चला और कई लोग शहीद भी हुए। सन् 1857 में यह गीत लिखा गया था। वंदे मातरम् केवल गीत ही नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों को नमस्कार भी करता है और उनकी प्रशंसा भी करता है, जिन्होंने अपने जान गंवा कर देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया। यह गीत हमारी मातृभूमि की पूजा करते हुए गाया गया है। इस गीत का अपमान जमीयत-उलेमा-ए-हिन्द ने किया है... (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में रहना है तो वंदे मातरम् गाना ही होगा। वंदे मातरम् का जो लोग अपमान करते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग संसद में भी इस गीत का गान करते हैं।... (व्यवधान) इसलिए जिन्होंने हमारे राष्ट्र गीत के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह राष्ट्रद्रोह वाली बात है। यही मेरी मांग है।... (व्यवधान)

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): What he is saying is not there in the resolution. Why should he talk about things which are not there in the resolution? He can create a conflict. ... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND
 MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
 (SHRI V. NARAYANASAMY): Sir, with your kind permission I want one thing
 to go on record. The hon. Home Minister who attended that conference had
 already clarified the position. He very clearly said that there was nothing at the
 time when he was there in the conference. ... (*Interruptions*)

SHRI ABDUL RAHMAN (VELLORE): Your statement is completely false.

MR. CHAIRMAN : Whatever is unparliamentary and derogatory will be
 expunged from the record.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except Shri Sajjan Singh Verma.

(*Interruptions*) ... *

श्री सज्जन वर्मा (देवास): सभापति जी, इसी महीने के शुरू में जयपुर में तेल डिपो में भीषण आग लगी, जिसमें कई लोगों की जान गई और लाखों रुपए का डीजल तथा पेट्रोल जल गया। इस पूरे अग्निकांड में अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। मेरा निवेदन है कि इस तरह के तेल डिपोज़ को मानव बस्तियों से दूर बनाया जाए। इसलिए देश भर में जितने भी ऐसे तेल डिपोज़ हैं, जिनके आसपास मानव बस्तियां हैं, उन्हें निर्जन स्थान पर ट्रांसफर किया जाए और ऐसा प्रयास किया जाए कि वहां कोई मानव बस्ती न बसाई जाए।

मेरा इसी विषय से सम्बन्धित दूसरा निवेदन है कि इस तरह के तेल डिपोज़ में उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से तेल में भारी मात्रा में मिलावट की जाती है, उसे रोकने की कार्रवाई की जाए। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। वहां इंदौर में मांगली में तेल डिपो है, वह भी घनी आबादी में अवस्थित है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि मांगली डिपो को तत्काल वहां से निर्जन स्थान पर स्थानांतरित किया जाए और देश में जहां भी मानव बस्तियों के पास इस तरह के तेल डिपोज़ हैं, उन्हें भी एक बड़ी योजना बनाकर खाली स्थानों पर स्थानांतरित करके स्थापित किया जाए।

MR. CHAIRMAN : The House now stands adjourned to meet tomorrow at
11.00 a.m.

18.54 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Thursday, November 26, 2009/Agrahayana 5, 1931 (Saka).*

